खण्ड-248, अंक-2
शनिवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1886
(21 मार्च, 1964 ई0)

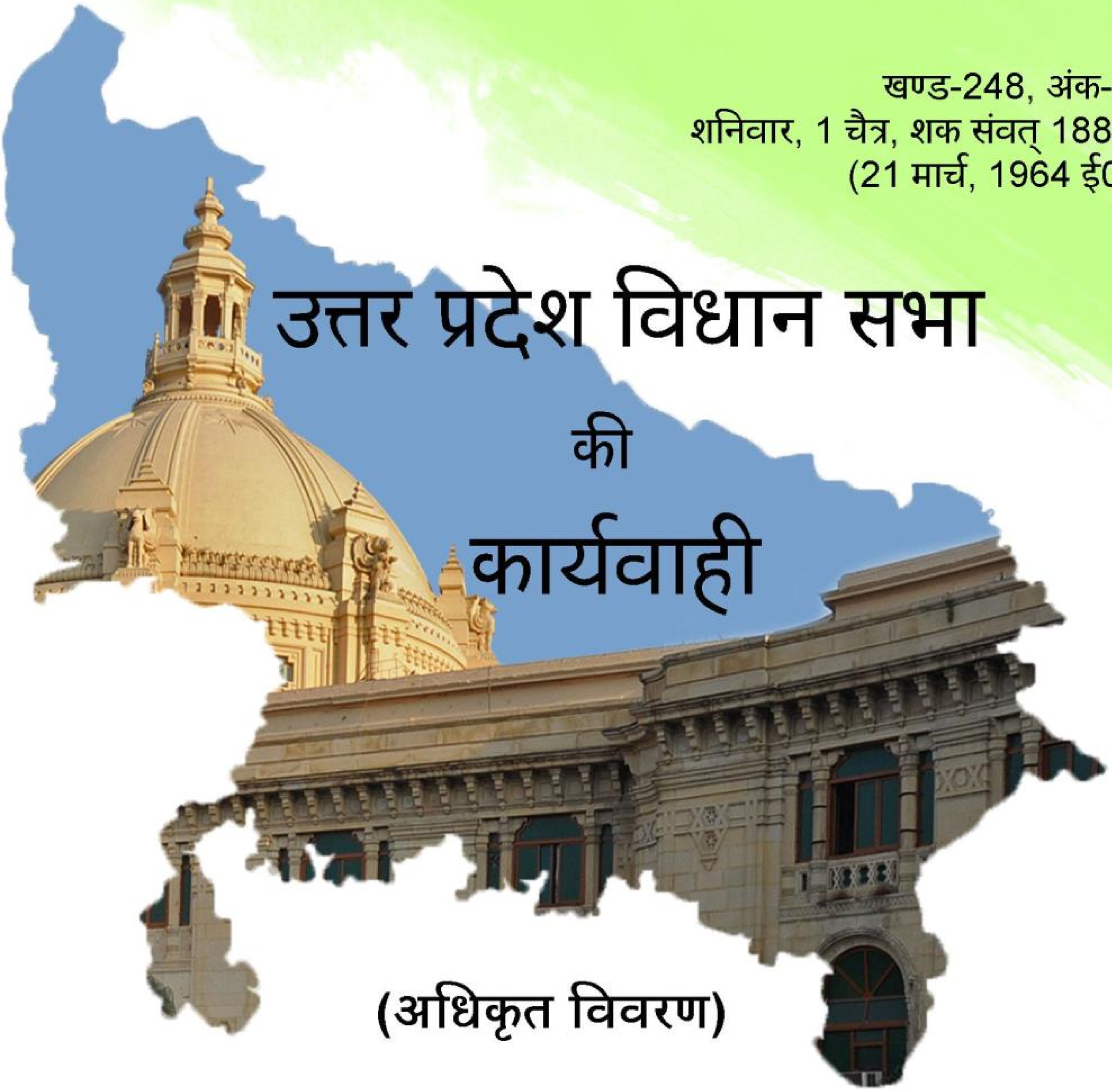

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९१–९४
सदन द्वारा दंडित श्री केशव सिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के संबंध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीशों, श्री एन० यू० बेग और श्री जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न	९५–१७७
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २८–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (जारी) ..	१७७–१९६

संसद पुस्तकालय

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा की २१ मार्च, १९६४ की कार्यवाही (खंड २४८--अंक २) के पृष्ठ १४४ की ११वीं पंक्ति में "जस्टिस वावेल" के स्थान पर "जस्टिस पावेल" तथा पृष्ठ १५१ की १६वीं पंक्ति में "मुचकला" के स्थान पर "मुचलका" पढ़िये। पृष्ठ १७५ की ५वीं पंक्ति में मुद्रित वाक्य "(प्रश्न सदन के निम्न रूप से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ।)" निकाल दिया जाय।

आज्ञा से,
राम प्रकाश,
सहायक सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २१ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३०७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाथ छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीश प्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बदलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री

बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)

लोकपालसिंह, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृहमंत्री, श्री हरगोविंद सिंह तथा शिक्षा उपमंत्री श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन द्वारा दण्डित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के संबंध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश श्री एन०यू० बेग और श्री जी०डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह विशेषाधिकार का प्रश्न उच्च न्यायालय के प्रति उठा है यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है सबस्टेंशियल ला और जूरिसप्रूडेंस का । इसलिये हम निवेदन करते हैं और आदरणीय सदन हमारी राय से सहमत होगा कि इस संबंध में ऐडवोकेट जनरल को सुना जाय क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है कि सार्वभौम सत्ता संविधान के पास है, सदन के पास है या जुडिशियरी के पास है । तो आज इसको आप स्थगित कर दें ताकि हम सबको मौका मिले कि अपने वाद विवाद के पहले ऐडवोकेट जनरल को बुला कर हम सुनें । हमारा निवेदन है कि आप हमें यह अवसर प्रदान करें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, जो उग्रसेन जी ने प्रस्ताव किया है मुझे दुख के साथ उसका विरोध करना पड़ता है, क्योंकि अब यह प्रश्न केवल अध्यक्ष से संबंधित नहीं रहा । मुझे जहां तक सूचना मिली है इसमें माननीय अध्यक्ष, विधान सभा और असेम्बली सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया है । जो ऐप्लीकेशन मूव की गई है जजेज़ के सामने, उसमें चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, सेक्रेटरी असेम्बली और जेलर सभी पार्टी बनाये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास अभी एक कमप्लेंट श्री बृजभूषणशरण जी की नियम ३५ के अधीन आयी है, इसको सुन लें ।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज और सदन के अवमान की जो शिकायत दी है .....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह एजेंडे में कहां है ?

श्री बृजभूषणशरण—

इसमें एजेंडे का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

एजेंडे में नम्बर २ पर विशेषाधिकार का आइटम है ।

श्री बृजभूषणशरण—

श्रीमन्, नियमों के अनुसार जब कमप्लेंट आयेगी तो सदन का कार्य शुरू करने से पहले आपको मुझे अवसर देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

क्वेश्चन्स नहीं हैं, तो हो सकता है ।

श्री बृजभूषणशरण—

श्रीमन्, मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न श्री केशवसिंह, श्री बी० सोलोमन, श्री नसीरुल्ला बेग और श्री सहगल के विरुद्ध इस बात का दिया है कि.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको पढ़ा नहीं है । मैं पढ़ दूं—

"श्रीमन्, मैं श्री केशवसिंह, श्री बी० सोलोमन व श्री नसीरुल्ला बेग व श्री सहगल के विरुद्ध इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की कमप्लेंट करता हूं जो उन्होंने इस सदन के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में एक रिट पिटीशन पेश करके की । मान्यवर, इस सदन की विशेषाधिकार की अवहेलना के लिये श्री केशवसिंह को इस सदन ने कारावास की सजा दी थी । इस निर्णय के विरुद्ध श्री केशवसिंह ने रिट पैटीशन दी वह बी० सोलोमन ने उनकी ओर से उच्च न्यायालय में पेश की और पैरवी की और श्री नसीरुल्ला बेग तथा श्री सहगल ने इस प्रकार इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की तथा अवमान किया जिसके लिये मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि नियम ७६ के अधीन उनके विरुद्ध कार्यवाही करे ।"

इसके साथ जो वहां आदेश हुआ है उसकी एक प्रतिलिपि दाखिल की है और जो आवेदन-पत्र दिया गया श्री केशवसिंह की तरफ से उसको दाखिल किया है ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा निवेदन है कि जितने पेपर्स हैं पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

वह सुना देंगे ।

श्री नेकराम शर्मा—

आप पढ़ कर सुना दें, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है । पेटीशन सुन लें ।

सचिव, विधान सभा—

इन दी हाई कोर्ट आफ जूडीकेचर.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह मामला सबजुडिस है । मैं नियमावली का रिफरेंस देता हूं, रूल्स आफ प्रोसीजर की धारा २९....

श्री अध्यक्ष—

दरख्वास्त पढ़ रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आप फैसला पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जो विषय विचाराधीन है उसके संबंध में माननीय शरण जी ने प्रश्न उठाया है और हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली कहती है कि न तो किसी संकल्प के जरिये और न किसी प्रश्न के रूप में इस विषय को आदरणीय सदन में उठा सकते हैं । श्रीमन्, इस संबंध में २९ (९), ९३ (७) और १०६ (८) देखिये—इसमें साफ कहा गया है कि किसी न्यायाधीश या न्यायालय.....

श्री अध्यक्ष—

आप से अधिक मैं बताऊं, २९ (८), ९५ और ११० नियम भी हैं। आपको जो कहना हो, कह दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उनके अन्तर्गत कोई भी मामला इस आदरणीय सदन में नहीं उठ सकता है। अगर आप उठाते हैं तो सबजूडिस होगा और जो नियम बने हुये हैं, जिनसे यह सदन संचालित होता है उसके विपरीत होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय को जो यहां उठाया गया है उसकी इजाजत न दें। आप अदालत का फैसला पढ़ें और उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो विषय विचाराधीन है उसके बारे में कोई चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिये।

श्री बृजभूषणशरण—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आबजेक्शन मिश्र जी ने उठाया है उसको मुझे मीट करने की इजाजत दें।

*श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवस्था का जो प्रश्न मिश्र जी ने उठाया है उसको वह कल भी उठा चुके थे। आपका कहना यह है कि जो प्रश्न विचाराधीन है उस पर नियमों का प्रतिबन्ध लगा है। इस समय जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि हमारा जो प्रिविलेज का अधिकार है जिसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि उसके ऊपर केवल सदन को अधिकार है, दूसरा कोई विचार नहीं कर सकता है। तो न्यायालय ने स्वयं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ऐसे काम पर विचार किया जिस पर उसको कोई अधिकार नहीं था और हम लोग तथा सदन जिस केस में पार्टी है, क्या हमें अधिकार है या नहीं कि हम सोचें कि हमने जिस काम को किया, अब उस संबंध में आगे क्या करना है? मैं समझता हूं कि इस संबंध में जितनी आपत्तियां उठाई जाती हैं वे सब बेबुनियाद हैं और सदन को अधिकार है, वह केवल उसी का अधिकार था जिस पर हाई कोर्ट ने बियोंड जूरिसडिक्शन विचार किया है। हम इस पर विचार कर सकते हैं और आप माननीय शरण जी को इजाजत दें कि वे फैक्ट्स को सामने रखें।

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने निवेदन किया था कि किन परिस्थितियों में इजाजत दे रहा हूं। जब मैं यहां से गया तो पहला काम यह किया कि एल० आर० से कहा कि मेरे पास उसकी नकल भेजो जो दरख्वास्त पेश हुई है। जब वह मेरे पास आई तो मुझे आश्चर्य हुआ कि केवल स्पीकर ही पार्टी नहीं है लेकिन लेजिस्लेटिव असेम्बली थ्रू इट्स स्पीकर है तो जब सदन इसमें पार्टी बना दिया गया है तो मेरे लिये अनिवार्य हो गया कि सदन को अवगत कराऊं कि क्या-क्या एलीगेशंस आपके खिलाफ हैं और इस संबंध में आपका क्या आदेश मेरे लिये होता है। तो अब हमारे लिये अनिवार्य हो गया और मैं तो अब मजबूर हूं क्यों कि स्पीकर की हैसियत से भी मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं और स्वयं काम करता हूं, लेकिन जब हाउस पार्टी है तो मेरे लिये आपका आदेश लेना आवश्यक है। और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ क्या बातें कही गई हैं व आपके खिलाफ क्या-क्या बातें कही गई हैं। वह सुन लीजिये, फिर उसके बाद जो आदेश अदालत का हुआ है वह आप सुन लें। उसके बाद आप तय करें कि क्या करना है।

सचिव, विधान सभा—

इन दि आनरेबिल हाईकोर्ट आफ जूडिकेचर. . .

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

जरा धीरे-धीरे पढ़ा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़े देता हूं ।

"In the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

Application under section 491 of the Code of Criminal Procedure (Act V of 1898) under Article 226 of the Constitution of India."

अर्थात्, धारा ४९१ जाब्ता फौजदारी तथा अनुच्छेद २२६ भारतीय संविधान के अन्तर्गत यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है ।

"Keshav Singh, aged about 45 years, son of Hardutt Singh, resident of Socialist Party Office, Gorakhpur, post office Kotwali, Gorakhpur. *Applicant*,"

केशव सिंह, आवेदक वर्सेज (विरुद्ध)

"1. Speaker, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow.

2. Legislative Assembly, Uttar Pradesh Government, Lucknow, through its Secretary.

3. Smt. Sucheta Kripalani, Chief Minister, Uttar Pradesh Government, Lucknow.

4. The Superintendent, District Jail, Lucknow."

ये चार विरोधी पक्ष के हैं ।

"The humble applicant begs to submit as under :"

प्रार्थी सविनय निम्नलिखित निवेदन करता है:—

"1. That the applicant is a member of the Socialist Party of India and is Joint Secretary of the Gorakhpur Branch."

(१) कि आवेदक सार्वदेशिक सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य है और गोरखपुर शाखा का सहमंत्री (ज्वाइंट सेक्रेटरी) है ।

"The opposite party nos. 1 and 3 are members of the Congress Party."

विरोध पक्ष के नम्बर १ अर्थात् स्पीकर और नम्बर ३ अर्थात् श्रीमती सुचेता कृपालानी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं ।

"The opposite party no. 2 consists of elected members of whom the members of the Congress Party are in absolute majority."

विरोध पक्ष नम्बर २ अर्थात् विधान सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा है जिसमें कांग्रेस दल के सदस्य बहुमत में हैं ।

"2. That the Socialist Party of India is committed to the Principles of Socialism and is deadly against the capitalist system flourishing in the country under the Congress rule."

(२) सार्वदेशिक सोशलिस्ट पार्टी सोशलिज्म अर्थात् समाजवाद के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा या निष्ठा रखती है (कमिटेड है) और उस पूंजीवादी पद्धति जो कांग्रेस राज के अन्तर्गत इस देश में फल-फूल रही है, उसकी घोर विरोधी है ।

"The leaders and members of the Socialist Party as also the applicant have exploded the myth of the Congress socialism and have placed before the people darkest deeds of the Congress Government."

सोशलिस्ट पार्टी के नेतागण तथा उसके सदस्य और आवेदक अर्थात् श्री केशव सिंह ने कांग्रेसी समाजवाद की कल्पना को विध्वस्त कर दिया है और कांग्रेस की काली करतूतों को सारे मानव समाज या भारत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

"The applicant is a sharpest critic of the Congress Party and its Leader Sri Jawahar Lal Nehru."

आवेदक कांग्रेस पार्टी और उसके नेता श्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे कटु आलोचक है।

"The opposite parties nos. one and three resent the activities of the Socialist Party and bear ill-will against the members of the Socialist Party as also the applicant."

विरोधी पार्टी नम्बर १ अर्थात् स्पीकर और विरोधी पार्टी नम्बर ३ अर्थात् श्रीमती सुचेता कृपालानी सोशलिस्ट पार्टी की कार्यवाहियों से रुष्ट हैं और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध कटु भावनायें रखती हैं और विशेष रूप से आवेदक के विरुद्ध हैं।

"That on the 13th of March, 1964 the applicant was arrested at Gorakhpur by the Marshal of the U. P. Legislative Assembly."

१३ मार्च, १९६४ को आवेदक गोरखपुर में यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली के मार्शल द्वारा हिरासत में बन्दीकृत किया गया और यह विरोधी पार्टी नम्बर १ अर्थात् स्पीकर के आदेशानुसार किया गया।

"and was produced before the opposite party no. 2, i.e. Vidhan Sabha."

और आवेदक को विधान सभा के समक्ष १४ मार्च, १९६४ को प्रस्तुत किया गया।

"for receiving reprimand for the alleged breach of privilege of the House."

उस शास्ति के लिये जो सदन के तथाकथित अवमान के सम्बन्ध में थी।

"That on 14th March, 1964 after reprimand was administered to the applicant the opposite party no. 1 did not allow him to leave out and instead detained him before opposite party No. 2."

१४ मार्च, १९६४ को शास्ति करने के पश्चात् अपोजिट पार्टी नम्बर १, अर्थात् स्पीकर ने आवेदक को बाहर जाने नहीं दिया अपितु उसको अपोजिट पार्टी नम्बर टू, अर्थात् विधान सभा के समक्ष रोके रखा।

"This was illegal and without any authority of law."

यह खिलाफ कानून था और अन्याय था।

"That on a suggestion of the opposite party no. 1 the opposite party no. 3 moved that the applicant be punished for contempt of the House and awarded imprisonment for seven days and that be sent to the District Jail, Lucknow to serve out the sentence."

यह कि अपोजिट पार्टी नं० १, अर्थात् स्पीकर को अपोजिट पार्टी नं० ३, अर्थात् श्रीमती सुचेता कृपालानी, मुख्य मंत्री ने यह सलाह दी कि प्रार्थी अर्थात् केशव सिंह को सदन के अवमान के लिये सजा दी जाय और उसको ७ दिन कैद की सजा दी जाय और उसको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा जाय ताकि वे अपनी ७ दिन की सजा वहां भोगें।

[श्री अध्यक्ष]

"6. That Sri Madho Prasad Tripathi moved an amendment to the motion of opposite party no. 3 mentioned in para 5 above to the effect that a warning would be sufficient."

यह कि श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन कर लिया जाय कि केशवसिंह को केवल चेतावनी दी जाय और कोई कार्यवाही न की जाय और वह काफी है।

"7. That the opposite party no. 1 put the motion of opposite party no. 3 before the Opposite party no. 2 and declared that the motion was carried although the applicant did not commit any breach of the privilege or contempt of the House."

यह कि अपोजिट पार्टी नं० १, अर्थात् स्पीकर ने जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया था उसको विरोधी पक्ष नं० २, अर्थात् विधान सभा में प्रस्तुत किया और यह घोषित किया कि वह प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है यद्यपि प्रार्थी ने सदन का कोई अवमान नहीं किया था और न किसी विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी था।

"8. That thereafter the applicant was sent to the District Jail, Lucknow, under orders of the opposite party no. 1 and he is still there in the custody of opposite party no. 4. The applicant could not even contact his relations and friends at Gorakhpur, as he was sent to jail unexpectedly."

यह कि तदुपरान्त प्रार्थी को डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। अपोजिट पार्टी नं० १ विरोधी पक्ष नं० १ के आदेशानुसार इस समय भी अपोजिट पार्टी नं० ४, अर्थात् सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल की बन्दी में है। प्रार्थी अपने सम्बन्धियों और अपने मित्रों से, जो गोरखपुर में थे, उनसे परामर्श नहीं कर सका और वह अचानक ही जेल में भेज दिया गया है।

"9. That the detention of the applicant before the opposite party no. 2 after the reprimand has been administered to him was illegal and without any authority."

यह कि प्रार्थी को डिटेन करे रखना विधान सभा में शास्ति के उपरान्त जब शास्ति दी जा चुकी थी, ऐसा रोकना खिलाफ कानून था और बिना किसी अधिकार के था।

"10. That the procedure adopted by the opposite party no. 1 was irregular, arbitrary and illegal and consequently the detention of the applicant is illegal."

यह कि जो प्रक्रिया अपोजिट पार्टी नं० १, विरोधी पक्ष नं० १ अर्थात् स्पीकर ने जो प्रक्रिया का अनुसरण किया वह प्रक्रिया इर्रेगुलर, अर्थात् अनियमित, आरबिट्रेरी यानी मनमानी, इल्लीगल अर्थात् कानून के खिलाफ, गैर कानूनी है, अतः उसका डिटेंशन, उसका नियंत्रण जो इस समय हो रहा है वह खिलाफ कानून है, वह गैर कानूनी है।

"11. That the applicant has been deprived of his personal liberty without any authority of law and is being detained illegally in the District Jail, Lucknow, by the opposite party no. 4."

प्रार्थी बिना किसी कानूनी अधिकार के अपने स्वातंत्र्य से वंचित कर दिया गया और अवैधानिक रूप से इस समय डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ में सुपरिंटेंडेंट जेल के द्वारा नियंत्रित है।

"That the detention of applicant is illegal as he was not given an opportunity to defend himself."

प्रार्थी का नियंत्रण अवैधानिक है, इस वास्ते कि उसको अपनी सफाई पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।

"That the detention of the applicant is malafide and is against principles of natural justice."

प्रार्थी का नियंत्रण बदनीयती से है और यह सामान्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है ।

"That the opposite party no. 4 has no authority to keep the applicant in custody in the District Jail, Lucknow."

विरोधी पक्ष नम्बर ४ सुपरिंटेंडेंट जेल को कोई अधिकार नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट जेल में प्रार्थी को बन्दीकृत रखें ।

"That the opposite parties nos. 1 to 3 had no authority to send the applicant to District Jail, Lucknow and therefore his detention is illegal."

विरोधी पक्ष नम्बर १ से ३ तक, स्पीकर, विधान सभा और मुख्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं था कि प्रार्थी को डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजे । इस वजह से उसका नियंत्रण नाजायज और अवैधानिक है ।

"Wherefore it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court be pleased to set the applicant at liberty."

अतः विनम्र निवेदन किया जाता है कि प्रार्थी को अदालत रिहा करे ।

"It is further prayed that pending disposal of this petition the applicant be ordered to be released on bail."

यह भी प्रार्थना की जाती है कि जब तक इस प्रार्थना-पत्र का अन्तिम निर्णय न हो जाय तब तक प्रार्थी को जमानत पर छोड़ दिया जाय ।

इसके साथ-साथ जो इस पर आदेश दिया गया है, उस आदेश के सम्बन्ध में मैं अपनी बात तो कहना नहीं चाहता हूं किन्तु उसमें यह है कि---

"Both the parties agreed that this application should be taken at 3 p.m. this afternoon."

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा प्रश्न यह है कि इसमें बोथ दि पार्टीज की बात कही गई है । मैं यह समझता हूं कि इसमें असेम्बली को पार्टी बनाया गया है । तो जब तक सदन में यह प्रस्ताव न आ जाय कि हमारा समन कौन रिसीव कर सकता है और किसको अधिकार है अदालत में इस विधान सभा को रिप्रेजेन्ट करने का तब तक अदालत में असेम्बली को कोई रिप्रेजेन्ट नहीं कर सकता है .....

श्री उग्रसेन---

मुख्य मंत्री ने वहां पर अपने स्टैंडिंग काउंसिल से कहा और वह वहां अदालत में आये और उन्होंने कहा कि हम मुख्य मंत्री और सरकार को रिप्रेजेन्ट करते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---

मुख्य मंत्री को वहां के स्टैंडिंग काउंसिल रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं, लेकिन असेम्बली को, जब तक इस सदन में प्रस्ताव पास न हो जाय कोई रिप्रेजेन्ट नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष---

असल में जब कभी कोई भी मेरी तरफ से पैरवी करता है तो मुझे उसके लिये वकालतनामा देना पड़ता है, और किसी को अख्तियार नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नेता सदन को अख्तयार है और वह इस सदन को रिप्रेजेन्ट करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन जो हैं वह इस सदन के नेता हैं, लेकिन इस सदन को रिप्रेजेन्ट करने वाला मैं हूं और मैं इस सदन का आदेश पालन कराता हूं ।

"Both the parties agreed that this application should be taken at 3 p.m. this afternoon."

उभय पक्ष ने अपनी रजामन्दी दी थी कि यह आवेदन-पत्र ३ बजे अपराह्न में ले लिया जाय ।

"The case was accordingly taken up at 3 p.m."

यह मुकदमा ३ बजे अपराह्न में लिया गया ।

"No one appears on behalf of the opposite parties."!

अर्थात् विरोधी पक्ष की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ ।

"Accordingly, we direct that the applicant shall be released on bail on furnishing two sureties in a sum of Rs.1,000 each and a personal bond in the like amount to the satisfaction of the D. M., Lucknow."

अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाय इस शर्त पर कि वह दो जमानतें एक-एक हजार रुपये की दें और पर्सनल बांड अर्थात् मुचलका एक हजार रुपये का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दें ।

"Let the Deputy Registrar take all necessary action in this connection."

डिप्टी रजिस्ट्रार इस सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही करे ।

"The applicant shall remain present in court on every hearing of this case in this court."

अर्थात् प्रार्थी प्रत्येक पेशी पर इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहेगा ।

"This writ petition is admitted. Issue notice. Let this case be fixed as early as possible."

यह रिट पिटीशन दाखिल किया जाता है । नोटिस जारी हो और इस मुकदमे की तारीख जल्द से जल्द निश्चित हो ।

(व्यवधान)

यह मैंने पढ़ कर सुनाया और जो माननीय शरण जी ने प्रस्ताव दिया है उसको वह आपके सामने रख दें फिर आप उस पर जो मन में आये बहस कर लीजियेगा । वह अपना प्रस्ताव तो पहले रख दें ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, पहले जब केस पुट-अप किया गया था तो अपोजिट पार्टी को किस ने रिप्रेजेन्ट किया था ?

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। और उनका पत्र भी मैं पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है :

"IMMEDIATE

From—

SRI SHRI RAMA, B.A., LL.B.,
GOVERNMENT ADVOCATE HIGH, COURT, ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW, UTTAR PRADESH.

To—

SRI L. P. NIGAM, B.SC. LL.B.,
SECRETARY TO GOVERNMENT, U. P.,
JUDICIAL DEPARTMENT, LUCKNOW.

No. 699/Crl. Dated March 20, 1964.

Subject—**Application of Sri Keshav Singh under section 491, Cr. P. C. and Article 226 of the Constitution of India against the Hon'ble Speaker and others.**

SIR,

Yesterday during lunch interval we were served with an application under section 491, Cr. P.C. against the Hon'ble Speaker of the Legislative Assembly, U. P., Lucknow, the Secretary to Government in the Legislative Department, Hon'ble the Chief Minister of U. P., and the Superintendent, District Jail, Lucknow, by the counsel for Sri Keshav Singh, who had been sent to prison for seven days by the Hon'ble Speaker after being reprimanded as he had been found guilty of contempt of the Assembly. Sri K. N. Kapur, Learned Assistant Government Advocate, immediately rushed up to the Court of Hon'ble Beg and Sahgal, J J., to oppose the motion. The counsel for Keshav Singh was directed by the Court to add Article 226 of the Constitution of India in his application, which was originally under section 491, Cr. P. C. as it was considered that section 491, Cr. P. C. would not be able to serve the purpose of the applicant. The matter was adjourned until 3 p.m, and during that time Sri Kapoor contacted you on the telephone. As the conversation was going on the Court in the absence of Sri Kapur ordered that the case be listed as soon as possible and that in the meantime the applicant will be on bail.

I am sending you three copies of the application of Sri Keshav Singh and I am told that the case is likely to be listed for hearing by Tuesday, the 24th of March, 1964 during which time the State is expected to put in its counter affidavit. Sri Kapur will see you in this connection tomorrow, when the High Court is closed and arrange for the required counter-affidavit of the persons concerned."

अर्थात् कल लंच के समय हमको एक दरख्वास्त ४९१ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत दी गई जिसमें कि आनरेबिल स्पीकर के विरुद्ध और सेक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट इन दि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट—यह गलत है—यह होना चाहिये 'लेजिस्लेटिव असेम्बली उत्तर प्रदेश, थ्रू इट्स सेक्रेटरी' तो मतलब पुरी साहब से है। तो एक दरख्वास्त की नकल हमें दी गयी, श्री केशव सिंह के वकील की मार्फत। श्री केशव सिंह को सात दिन की सजा स्पीकर ने दी थी श्री केशव सिंह की शास्ति के पश्चात्। श्री के० एन० कपूर, जो गवर्नमेन्ट एडवोकेट हैं वे फौरन आनरेबिल जस्टिस बेग और सहगल की अदालत में पहुंचे, इसका विरोध करने के लिये। केशव सिंह जी के वकील को अदालत ने यह निर्देश दिया कि ४९१ नहीं, उसमें २२६ संविधान की धारा भी जोड़ दी जाय चूंकि दरख्वास्त

[श्री अध्यक्ष]

प्रथमतः केवल ४९१ जाब्ता फौजदारी के अन्दर दी गयी थी। अदालत ने उन से कहा कि तुम ४९१ के साथ-साथ अनुच्छेद २२६ संविधान को भी जोड़ दो अन्यथा केशवसिंह, जो यहां प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना पूरी नहीं की जा सकेगी। (शेम-शेम की आवाजें) जो इसमें लिखा हुआ है वही मैं कह रहा हूं। मैं आपके पास श्री केशवसिंह के आवेदन-पत्र की तीन प्रतिलिपियां भेज रहा हूं, इस कारण से कि आशा की जाती है कि मंगलवार, २४ मार्च, १९६४ के लिये यह मुकदमा रखा जायगा और इस बीच में आशा की जाती है कि स्टेट की तरफ से इसमें काउन्टर एफिडेविट उत्तर-प्रत्युत्तर में प्रस्तुत होगा। श्री कपूर निगम साहब से मिलेंगे। जबानी सूचना एडवोकेट जनरल की इस दरख्वास्त की स्टैंडिंग कौंसिल द्वारा भेजी जा चुकी है और आपके पास उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जो पत्र पढ़ा यह क्या माननीय न्यायाधीशों के न्यायिक कार्य-कलापों के ऊपर ऐस्पर्शन नहीं है? क्या इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य उनके न्यायिक आचरण पर शेम-शेम के नारे लगा सकते हैं? यह दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री कमलासिंह यादव—

व्यवस्था देने से पहले मेरी बात भी सुन ली जाय। जब अदालत में कोई केस पेंडिंग होता है तो जो प्वाइंट ऐट ईश्यू होता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन यहां तो मैलाफाइडी या इंटेंशनल ऐक्शंस जजेज के रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपोजिट पार्टी को नहीं लिखा कि वह हाजिर हों, अपोजिट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ और अपोजिट पार्टी के जो वकील कपूर साहब थे उनको मौका नहीं दिया गया कि वह रिप्रेजेन्ट कर सकें अपने केस को। दूसरी चीज यह है कि ४९१ में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का था उन्होंने २२६ अनुच्छेद ऐड कराया इंटेंशनली और इस तरह से जो बातें असेम्बली में उठायी गयीं उनके खिलाफ उनका कार्य रहा। यह साफ जाहिर करता है कि उनका यह इंटेंशन था कि लेजिस्लेचर के ऐक्शन को अपने क्लचेज के अन्दर ले आयें।

एक बात यह है कि उनके कंडक्ट को हम उस वक्त तक बरी करते हैं, असेम्बली में आक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि उनका इंटेंशन बोनाफाइडी हो। यहां पर जो कार्यवाही की गयी है वह असेम्बली को क्लचेज में लाने के लिए इंटेंशनली है और मैलाफाइडी भी है। इसलिए उनके इस कंडक्ट को हम चैलेंज कर सकते हैं और अपने विचार हम यहां व्यक्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं व्यवस्था दे दूं। जो कुछ माननीय काशीनाथ मिश्र कह रहे हैं, उसमें स्पष्ट बात यह है कि सदन इसमें पार्टी है। माननीय कमलासिंह जी ने पूछा कि वकील इसमें कौन है, वह मैंने बता दिया। अब आप अगर यह कहते हैं कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते, और हमको यह मुकदमा लड़ना है, तो बताइये हम कहां जायं? कहां इस पर विचार करें?

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग भी आपसे ज्यादा हल्ला मचा सकते हैं, हल्ला होगा तो असेम्बली बन्द हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जहां तक शेम-शेम करने की बात है, मैंने उसी समय कह दिया था, यह गवर्नमेन्ट कौन्सेल का पत्र है। उस पर यह नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

हम भी तो अदालत में मौजूद थे, आप हमसे पूछते कि क्या हुआ। माननीय न्यायाधीशों ने कुछ नहीं कहा। यह पत्र फर्जी लिखा गया है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्री केशव सिंह ने आपको एक पत्र लिखा था. . . (व्यवधान) उसको छिपाया गया है .....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। यह सवाल तो बाद को पैदा होगा, अभी नहीं। फिर आप कहियेगा।

*श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, श्री श्रीराम एडवोकेट को जब यह सूचना मिली तो उनको आपकी तरफ से पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने असेम्बली की तरफ से नोटिस क्यों ले लिया? वे इस सदन के वकील नहीं हैं। सरकार के वकील हो सकते हैं और उनका नोटिस ले सकते हैं। उन्होंने अपने अधिकारों से परे जाकर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है। मैं इसका आपको नोटिस देता हूं।

श्री बृजभूषणशरण—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का यह प्रश्न ४ व्यक्तियों के खिलाफ रखा है। मान्यवर, चूंकि कल बहुत-सी बातें यहां सदन में कही जा चुकी हैं, इसलिये मैं संक्षेप में अपनी बातों को कहूंगा। कल, मान्यवर, यह जिक्र था कि सावरेन्टी कहां वेस्ट करती है। सावरेन्टी जनता में वेस्ट करती है और सावरेन विल इज ला। वह है संविधान। संविधान जनता की विल है। इस संविधान को हमें, आपको, माननीय सदस्यों को, न्यायाधीशों को, सभी को मानना होगा। कोई उसके खिलाफ कार्य नहीं कर सकता। मान्यवर, कल प्रश्न बिलकुल दूसरा था और आज दूसरा है। मैं इस समय यह नहीं एजीटेट कर रहा हूं कि माननीय न्यायालय को अधिकार है या नहीं कि हमारे विशेषाधिकारों को देखे या हमने जो जेल की है उसे देखे। आपने जो कल कहा था हमको आपस में सलाह-मशविरा कर लेना चाहिये, तो हम को कनवर्ट कर लेना चाहिये अपने को ऐज हाई कोर्ट आफ पार्लियामेंट। हमारे संविधान का ज्ञान सबको होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि इसका ज्ञान केशवसिंह जी को, श्री सालोमन को, श्री नसीरुल्लाह बेग को और श्री सहगल को, चारों को, जरूर होगा। यह आर्टीकिल १९४ (२) में साफ लिखा है कि—"No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said. . . ." श्रीमती सुचेता कृपालानी ने उस प्रस्ताव को रखा था। वह इस पैटीशन के जरिये चैलेंज किया गया है कि उन्होंने मेला-फाइडी या इल-विल से, चूंकि वह मेरे से बुग्ज रखती हैं कि मैं कांग्रेस की और कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू का विरोध करता हूं, यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक मोटिव एट्रीब्यूट किया है श्रीमती सुचेता कृपालानी, लीडर आफ दि हाउस के ऊपर और यह इम्प्यूटेशन करके उन्होंने उनकी हाउस में कार्य करने की क्षमता कम की है।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक पार्टी बनाया है स्पीकर को, उसके लिये मैं आपसे नम्रता से निवेदन करूंगा कि आप आर्टीकिल २१२ (२) को देखें। इसमें है कि—

"No officer or member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating the procedure

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बृजभूषण शरण]

or the conduct of business or for maintaining order in the Legislature shall be subject to the jurisdiction of any Court in respect of the exercise by him of those powers."

स्पीकर इस सदन के अफसर हैं। उन्होंने खुद से केशवसिंह को पकड़ कर जेल नहीं भेजा। उन्होंनें सदन के बाहर कोई काम नहीं किया। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने एक प्रस्ताव रखा, स्पीकर ने उसे सदन के सामने रखा और मतदान कराया। हाउस के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिये स्पीकर ने वारन्ट साइन किया। स्पीकर ने जो कुछ किया वह इस सदन के यानी इस लेजिस्लेटिव बाडी के अफसर की हैसियत से किया। इसलिये स्पीकर इस मामले में सब्जेक्ट टु दी जूरिस्डिक्शन आफ दी कोर्ट नहीं है। इन जजों को और हमारे वकील श्रीराम को, मालूम नहीं क्या-क्या करना चाहिये था। चूंकि हमारी असेम्बली गवर्नमेंट से अलग है और बगैर वकालत नामे के लोग हमको रिप्रेजेंट करें, क्या हम समझते हैं कि वहां हमको इंसाफ मिल सकेगा? वे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और लेजिस्लेटिव असेम्बली के सेक्रेटरी का फर्क नहीं जानते हैं, और ये वकील हमको रिप्रेजेंट करेंगे? माना कि माननीय न्यायाधीशों को, सोलामन को और केशव सिंह को बृटिश पार्लियामेंट के विशेषाधिकारों का या हमारे रूल्स का ज्ञान नहीं था, लेकिन होना चाहिये था। फिर भी, उन्हें कम से कम आर्टिकिल १९४, २१२ तो मालूम थे ही। इस पटीशन में साफ लिखा है कि मेला-फाइडी इंटेंशन से पार्टी नम्बर १, २ व ३ ने यह किया—

"...for alleged breach of privilege of the House; that on a suggestion of the opposite party no. 1 the opposite party no. 3 moved that the applicant be punished for contempt....."

यह इम्प्यूटेशन है आन दी स्पीकर, आन श्रीमती सुचेता कृपालानी और इस हाउस पर। जिस समय उन्हें यह मालूम हुआ था तो उनका फर्ज था कि संविधान के अन्तर्गत जूरिसडिक्शन को बार कर दें। जिस समय उन्होंने बार न करके उसके खिलाफ कोई कदम किया है तो उसे हमें देखना है। आर्टिकिल २११ में, जिसका कल से बहुत बखान किया जा रहा है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कंडक्ट किसी लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जायगा अगर वह इन दी डिसचार्ज आफ देयर ड्यूटी है। आप ३३२, ३५३ और १९९ आई० पी० सी० को देखें। कानून बनाने वालों का मंशा यह है कि जो कोई काम सरकारी अफसर करे अगर उसमें गलत एक्सरसाइज आफ जूरिसडिक्शन भी हो जाय तो वहां.....

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि २११ में यह है कि माननीय न्यायाधीशों का जो न्यायपालिका में आचरण होगा उस पर हम कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इस समय माननीय बी० बी० शरण जी क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

उसे समझने की कोशिश कीजिये।

श्री बृजभूषणशरण—

मान्यवर, मैं यह जस्टीफाई कर रहा हूं कि हमको उन माननीय न्यायाधीशों के आचरण पर टीका करने का अधिकार प्राप्त है। जहां कानून में पब्लिक सर्वेन्ट्स, पब्लिक अफसरों को और पब्लिक अथारिटीज को प्रोटेक्शन दिया है वहां यह लिखा है कि परपरटिंग टू हैव ऐक्टेड इन दी डिसचार्ज आफ देयर ड्यूटीज। जहां राइट आफ सेल्फ डिफेंस दिया है वहां लिखा है कि कोई अफसर इन दी डिस्चार्ज आफ हिज ड्यूटीज अगर कोई काम कर रहा हो या परपरटिंग टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी अंडर कलर आफ हिज आफिस कर रहा हो, तब भी उसके खिलाफ कोई राइट आफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। मगर यहां परपरटिंग टू डिसचार्ज देयर ड्यूटीज

नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो हम बार्ड थे उनके कंडक्ट को डिसकस करने से। १९४ और २१२ (२) को देखकर माननीय न्यायाधीशों को पता लग गया होगा कि वह अपनी ड्यूटी डिसचार्ज करने के लिये कुछ नहीं कर रहे थे।

कल यह आशंका उपस्थित की गई थी कि हमने विशेषाधिकारों को डिफाइन नहीं कर रखा है। मैं आज फिर वही बात कहना चाहता हूं। १९४ आर्टिकिल के मातहत हमने प्रिविलेजेज को डिफाइन नहीं किया है। संविधान में है कि अगर डिफाइन नहीं किया है तो वही प्रिविलेजेज होंगे जो हाउस आफ कामन्स के हैं। तो संविधान ने हमें हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज दिये हैं और वे म्युटैटिस म्यूटैंडिस एप्लाई करेंगे। कल कहा था कि लेजिस्लेचर बाई ला। लेजिस्लेचर पर शंका जाहिर की जा रही है कि अगर हाउस ने नियम बना दिये हैं, तो हाउस इज नाट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेम्बली, काउन्सिल और गवर्नर शामिल हैं। यह एक आशंका जाहिर की गई थी कल। मैंने इसे बहुत स्टडी किया। अगर यह मानें तो २११ बिलकुल बेकार हो जाता है। उसमें यह लिखा है—

"No discussion shall take place in the Legislature of a State."

तो लेजिस्लेचर तो इसको डिस्कस कर नहीं रहा है। हम तो लेजिस्लेटिव असेम्बली में इसको डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकिल १९४ के अनुसार लेजिस्लेचर नियम बना सकती है, लेकिन अगर वह नहीं बनाये हैं तो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की आथोरिटी से हम काम करेंगे। इसलिये वादी ने और वादी के वकील ने यह जानकर कि यह हाउस सुप्रीम बाडी है, यह जानकर कि स्पीकर साहब ने जो कुछ किया है वह अंडर दि डाईरेक्शन आफ दि हाउस किया है, यह जान कर कि श्रीमती सुचेता कृपालानी ने मेम्बर आफ दि हाउस की हैसियत से ही वह प्रस्ताव पेश किया था, उस पेटीशन को प्रस्तुत किया और माननीय न्यायाधीशों ने भी उसको ऐडमिट करके इस पोजीशन को क्रियेट किया है।

मैं इस समय इस बात में तो जाना नहीं चाहता कि निगम साहब को गवर्नमेंट एडवोकेट ने क्या लिखा है, वादी को माननीय न्यायाधीशों द्वारा मदद किये जाने के बारे में। इस समय तो मैं केवल इस चीज को ले रहा हूं कि माननीय न्यायाधीशों ने इस सदन को प्रापरली ट्रीट नहीं किया है, उसके लिये उनको इनडिविजुअल कैपेसिटी में हाउस के सामने पेश किया जाय और श्री केशव सिंह के विरुद्ध वारंट आफ अरेस्ट जारी किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वहां तो माई लार्ड कहते हैं।

श्री बृजभूषणशरण—

और यह हाउस इस मामले को एडजुडीकेट करे।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, अब काफी बहस हो गयी है। अली जहीर साहब और काशी नाथ जी को भी सुन लिया जाय।

श्री बृजभूषणशरण—

मान्यवर, ऐसी अवस्था में और इसी प्रकार के एक सवाल पर हाउस आफ कामन्स में डिबेट हुई और हाउस ने यह तय किया कि हम कोर्ट के सामने सबमिट नहीं कर सकते। इसलिये इस समय सवाल यह है कि या तो हम अपने राइट्स को अपने आप ही समाप्त कर दें या अपने राइट्स को आखिर तक डिफेंड करें। मैं चाहता हूं कि यह हाउस अपने राइट्स को डिफेंड करे और साथ ही मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय श्रीराम जी के द्वारा अपने आपको डिफेंड किया

[श्री बृजभूषण शरण]

जाय। माननीया सुचेता कृपालानी को, अगर वे चाहें तो श्री श्रीराम डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यह स्पीकर और हाउस की डिगनिटी का सवाल है इसको हमें श्री सितलवाड के द्वारा ही डिफेंड करना चाहिये। मैं फिर एक बार हाउस को वार्निंग दूंगा कि हमें वालेन्टरिली सरेंडर नहीं करना चाहिये और डिफाल्टर को बुलाकर पनिश किया जाना चाहिये। आप इस संबंध में कृपा करके मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १७०, १७२ को देखने का कष्ट करें जहां वालेंटरी सरेंडर की बात कही गयी है। इस तरह के प्रिसिडेंट्स हैं उनको देखने से हमें मालूम होगा कि मैं जो कह रहा हूं, उसको करने के लिये हम काम्पीटेंट हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, माननीय बृजभूषण शरण जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। प्रस्ताव में यह जोड़ दिया जाय "श्री केशव सिंह को तुरन्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाय"।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा संशोधन है कि श्री केशवसिंह को फांसी दे दी जाय।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, श्री उग्रसेन जी का यह संशोधन भी नोट कर लिया जाय कि केशवसिंह को फांसी दे दी जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा नम्र निवेदन है कि इस समय सदन के सामने दो इश्यूज प्रस्तुत हैं। पहला तो वह जिसे कल माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने और माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने रखा था.....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमें भी आप मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें तो, दूंगा क्यों नहीं। पहले माननीय सदस्य को सुन तो लें।

श्री नेकराम शर्मा—

दूसरा इश्यू वह है जो आज श्री बी० बी० शरण ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप आज केवल श्री बी० बी० शरण वाले प्रस्ताव पर ही बहस करायेंगे या जो इश्यू कल प्रस्तुत हो चुका है उसको भी मिला कर—इन दोनों पर बहस करायेंगे ? या तो आप दोनों को मिला दें तो साथ-साथ दोनों पर बहस करायें या एक-एक पर बहस करायें। इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है इसे पहले बतला दें तो ठीक हो।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मेरी जो भावना है उसे मैं निवेदन कर दूं....

(व्यवधान)

मैं अपनी भावना आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आदरणीय सदन की जैसी इच्छा हो। आज अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में बजट है और उस पर हमारे बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। इसलिये मैं सोचता था कि आज जो एक प्रश्न माननीय शरण जी ने सदन को

सामने रखा है वह नया है और जाहिर है कि आकर्षक भी है और उसको देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि दोनों का सम्बन्धित विषय एक ही है, तो मैं चाहूंगा कि दोनों पर साथ-साथ विचार हो और परसों इस पर बहस कर लें।

(व्यवधान)

या फिर सदन इस पर गौर करे कि बहुमत में यह तो नहीं हो सकता कि अगर कोई अनुसूचित जातियों के बजट पर बोलना चाहे तो मैं उनसे कह दूं कि आप न बोलें, यह तो जरा मुश्किल है।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न की इम्पार्टेंस और अहमियत को देखते हुए, इसके लिये स्पेशल टाइम देना चाहिये और मेरा सुझाव है कि आज शाम को ५ बजे के बाद आप इसको लें और कम से कम तीन चार घंटे का समय इसके लिये दें। इस प्रश्न पर तीन-चार घंटे से कम समय नहीं लगेगा। आज ८–९ बजे तक इस प्रश्न पर डिस्कशन हो अगर आप उचित समझें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, कल सण्डे है और बहुत से माननीय सदस्य बाहर जाने वाले हैं। या तो आप इस पर आज ही बहस करा लें या परसों के लिये रखें।

(व्यवधान)

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैं श्री जेड० ए० अहमद की बातों से पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों के लिये यह मसला बहुत ही अहम है और हमारे लिये ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के लिये, हिन्दुस्तान के लिये और बहुत से बाहरी मुल्कों के लिये भी अहम है। इसलिये इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है और इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस केस के संबंध में जो भी कागजात पेश हुए हैं उनकी नकलें, यहां आदरणीय सदस्यों द्वारा जो भी विचार व्यक्त किये गये हैं उनकी नकलें और हाईकोर्ट वगैरह में जो कागजात पेश हुए हैं उनकी नकलें—यानी इन सब कागजों की नकलें छपवा कर इस सदन में बांट दी जायं ताकि हम लोग उनके कंटेक्स्ट में सारी बातों को सोच कर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि जितने भाषण यहां हुए हैं उन सब को ४०० से अधिक सदस्यों में बांटा जाय, तो यह कैसे हो सकता है ?

श्री भगवानसहाय—

बहरहाल भाषण न दें तो कम से कम डाकुमेंट्स तो दिलवा ही दें।

श्री अध्यक्ष—

उनको तो मैंने पढ़कर सुना ही दिया है। आफिस में सारे डाकुमेंट्स हैं, जो भी माननीय सदस्य इनमें इंटरेस्टेड हों, देख लें। सब को बांटा जाय वह तो मुश्किल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सखीसिंह (जिला मथुरा)—

परन्तु यह सब नकलें हिन्दी में हों।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, आप मेरी बात सुन लें उसके बाद जो भी निर्णय आप देना चाहें दें। यह एक बहुत ही कानूनी पेचीदा मामला है और इस में एक-एक कामा और फुलस्टाप की अहमियत है और जब तक वह तमाम डाकुमेंट्स हमारे पास न हों तब तक महज उनको एक बार सुनने से ही काम न चलेगा। .....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कामा, फुलस्टाप की अहमियत है यह तो सब जानते हैं। आगे कहिये, आप को क्या कहना है ?

श्री भगवानसहाय—

उनकी अहमियत को देखते हुये यह जरूरी है कि हमें उन कागजात की नकलें दी जायं और तभी बहस इस पर शुरू हो।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बार-बार माननीय भगवान सहाय जी की तरफ से यह चीज आती है कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और इस का बड़ा महत्व है। उसकी गम्भीरता या महत्व के विषय में कोई दो राय नहीं हैं, उसके बार-बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि देश का कांस्टीट्यूशनल इतिहास भी इस प्रश्न को लेकर बनने वाला है और उस को देखते हुये हमें इस प्रश्न पर अधिक सतर्कता से विचार करना है। यह सदन एक सुप्रीम बाडी है। माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि कल रविवार है और बहुत से लोगों को घर जाना है, लेकिन सदन के जो प्रिविलेज हैं और जो यहां के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ ही उसका जो वर्क है वह नेशन की सर्विस की वजह से दुनिया के सभी अन्य कामों से ऊपर है लिहाजा यह कहना कि कहीं जाना है, उचित नहीं.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने कहा कि ५ के बाद रखना उचित न होगा।

श्री नवलकिशोर—

मेरा निवेदन है कि सदन के सामने जो यह मसला है वह बहुत गम्भीर है और सदन इस के लिये तैयार है कि उस पर पूरा डिबेट किया जाय और इसमें शक नहीं है कि यह सदन सुप्रीम कोर्ट की तरह है और यह कोर्ट आफ पार्लियामेंट की तरह है और मैं चाहता हूं कि इस डिबेट को चलने दिया जाय और बजट ८-१० बजे रात तक ५ बजे के बाद ले लिया जाय और वह उस वक्त पास कर दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

मैंने निवेदन किया था कि महाधिवक्ता, श्री कन्हैया लाल मिश्र, को पहले सुन लिया जाय, लेकिन आप ने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह तो प्रश्न जब होता है जब नियमों की कोई बात हो और उसके खिलाफ कोई बात हो रही हो। महाधिवक्ता की राय के बारे में हमारी रूलिंग्ज हैं

कि सदन इस पर इनसिस्ट नहीं कर सकता कि वह अपनी राय आकर दें लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि हम उन की राय जान लें, लेकिन वह बीमार हैं ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपका सुझाव बहुत सही है और उसका मैं स्वागत करता हूं । यह विषय बहुत गम्भीर है और मैं चाहता हूं कि जो जरूरी कागजात हैं उनकी नकल हमें मिल जाय और परसों इस पर बहस हो जाय और परसों की बहस आगे किसी दिन बढ़ा दी जाय ।

श्री भगवानसहाय—

मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं । माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि यह सदन सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से बैठेगा । तो क्या हमारे हाउस का जुरिस्डिकशन यू० पी० की टेरीटरी के बाहर भी होगा ?

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से यहां बात होती हैं जैसे अदालत में वकीलों की तू तू, मैं-मैं होती है। उनका मतलब यह था कि यह सदन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तरह न्याय कर सकता है । अब कोई बात बताने की नहीं है, मैं बता दूं । जहां तक मैं समझ रहा हूं इस सदन का साधारण मत यह है कि आज बहस हो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

बजट पर बहस होनी चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस पर परसों बहस हो ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

ऐसे महत्व के विषय पर मैं समझता हूं सदन डिवाइडेड हो, यह अच्छा नहीं है । कुछ माननीय सदस्य, जैसे श्री शिब्बन लाल सक्सेना, कुछ लोग जनसंघ के इस मत के हैं कि परसों इस पर विचार किया जाय । माननीय डाक्टर अहमद की राय यह है कि शाम को ५ बजे के बाद बैठा जाय । मैं समझता हूं माननीय शरण साहब ने जिन नये वैधानिक प्रश्नों को उठाया है उनके संबंध में विचार करने के लिये आवश्यक है कि कुछ समय इसके लिये मिले । एक आवश्यक अनुदान पर आज विवाद होने वाला है । तो मैं समझता हूं इस पर डिवाइडेड कोई फैसला हो, यह कुछ उचित नहीं होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा प्रस्ताव है कि जो विषय की गम्भीरता है उसके अनुरूप हम शायद उतना व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष—

गम्भीरता को छोड़िये, वह सब समझते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

जो प्रश्न इस समय हमारे सामने है, वह जो कुछ भी प्रश्न और हैं, चाहे अनुदान हो या और कोई हो, उन सब से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के मान-अपमान, प्रतिष्ठा और जीवन-मरण का प्रश्न है। ऐसी हालत में अनुदान पीछे ढकेला जा सकता है और बजट पास हो सकता है फिर से, लेकिन जो हमारे ऊपर आक्षेप हो रहे हैं और हमारी प्रभुसत्ता के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, यह प्रश्न केवल सोशलिस्ट पार्टी या उसके किसी कार्यकर्त्ता का नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष का है, बल्कि विधान सभा और लेजिस्लेचर का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में हमें और सब कामों के लिये समय देना चाहिये। क्या इतना त्याग नहीं कर सकते कि जिन मांगों के लिये चाहते हैं अधिक बहस हो, उनके लिये रात के १२ बजे तक बैठें जैसे जमींदारी अबालीशन के समय बैठे हैं? अगर हम वाकई प्रेम रखते हैं अनुसूचित जाति के साथ तो मेरा सुझाव है कि उसको बाद में ले लें और रात के बारह बजे तक बैठें, सुबह तक बैठें और बहस करें। लेकिन इस प्रश्न को पहले लें, उस पर लोगों के विचार सुनें और अगर तीन दिन तक बहस करनी पड़े तो करें।

श्री जेड० ए० अहमद—

मेरा प्रस्ताव है कि माननीय नवल किशोर जी ने जो प्रस्ताव किया है उसको मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मुझे सेन्स आफ दी हाउस मालूम हो गया, इस वजह से इस पर बहस जारी रहेगी और जैसे ही बहस समाप्त होगी उसके बाद अनुदान लेंगे और जब तक अनुदान समाप्त न हो जाय हम बैठेंगे।

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है। अनुदान का समय ११ से ५ बजे तक है। इस अवधि के बाद उसको लेने का आदेश आप दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

जो आदेश सदन देगा वह मेरे लिये शिरोधार्य है।

श्री उग्रसेन—

सदन का प्रस्ताव तो हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा इस सदन के मन्तव्य को समझ कर तय कर दिया है।

श्री उग्रसेन—

मैं इसका विरोध करता हूं, इस पर वोट ले लें।

श्री अध्यक्ष—

वोट का समय नहीं है। इस पर बहस होगी। जब अनुदान का समय आयेगा तब प्रस्ताव होगा कि ५ बजे के बाद बैठें, तब बैठेंगे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जैसा मैंने कल भी अर्ज किया था और बार-बार हमारे सदन के माननीय सदस्यों ने भी दोहराया, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और एक इम्पार्टेन्ट मसला हाउस के सामने है और इसके बहुत फार रीचिंग इफैक्ट्स होने वाले हैं। इस वजह से इसके ऊपर जितने भी व्यक्तियों के विचार हों, उन पर गौर किया जाय और जहां कहीं से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी हम राय हासिल कर सकें उसको हासिल करें। इतनी बात मैं कह दूं कि मुझ से एडवोकेट जनरल से बातचीत सुबह हुई है। मैंने चाहा है कि वे जल्दी से जल्दी आ जायें। उनकी तबीयत ठीक है और वे शम्बा तक आ सकते हैं। तो आज के डिस्कशन के बाद उनका बयान सुनने के लिए सोमवार के लिए मुल्तवी कर दें। यह तो मैंने बाई दी वे कहा। अब मैं जो मसला है उसके बारे में कहता हूं। यह मसला तो इतना अहमियत का है कि कोई फैसला अदालत का हुआ, जो कि एक तरफा फैसला था इस पर फैसला आपको करना है कि जहां तक वह फेल अदालत का है, आया वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं, कानून इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। मिस्टर वीर सेन भी बहुत नाराज हुये और कहा—यह मामला तो बिलकुल साफ था। इसमें किसी किस्म का फर्क और शक की गुंजाइश नहीं है। मैं इस सिलसिले में आपकी तवज्जह दिलाऊंगा उन कानून की दफात की तरफ जिससे यह मालूम होता है कि यह मामला इंगलैन्ड में भी एक अर्से तक जेरे बहस रहा है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से यह तय हुआ है कि क्या सूरतेहाल होनी चाहिये। आप मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को देखें तो उसमें आपको यह मालूम होगा कि सफा ९० के ऊपर इसमें दिया है कि :—

"While both Houses agree in regarding the same offences as breaches of privilege, in several important particulars there is a difference in their modes of punishment. The Lords have claimed to be a Court of record and, as such, not only to imprison, but to impose fines. They also imprison for a fixed time, and order security to be given for good conduct ; and their customary form of commitment is by attachment. The Commons, on the other hand, commit for no specified period, and during the last two centuries have not imposed fines.

There can be no question that the House of Lords, in its judicial capacity, is a court of record ; but, according to Lord Kenyon, 'when exercising a legislative capacity, it is not a court of record'. Whether the House of Commons be, in law, a court of record, it would be difficult to determine ; for this claim, once firmly maintained, has latterly been virtually abandoned, although never distinctly renounced."

तो उस पर कुछ न कुछ फर्क है हाउस आफ लार्ड्स में और हाउस आफ कामन्स में। एक हाउस कोर्ट आफ रिकार्ड हो सकता है और दूसरा हो सकता है या नहीं, इसमें कुछ शक पैदा हो गये हैं। और जो हमारी दफा १९४(३) कान्सटीट्यूशन की है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे प्रिविलेज और राइट्स वही होंगे जो हाउस आफ कामंस के हैं। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि हाउस आफ कामंस के जो राइट्स हैं वही होंगे।

इसके बाद मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के सफा ९१ पर लिखा है कि—

"The origin of a power which is judicial in its nature is to be found naturally in the medieval conception of Parliament as primarily a court of justice—The "High Court of Parliament". Of this court the Lords were, with the barons of the Exchequer and the judges of two benches, original members in virtue of their membership of the more ancient Curia Regis. The House of Lords therefore possessed the power of commitment by at least as good a title as any court of Westminster Hall (*m*). But the Commons, 'new comers to Parliament' within the time of judicial memory, could not claim the power on grounds of immemorial antiquity. As late as 1399 they had recorded their protest that they were not sharers in the judgment of Parliament, but only petitioners (*n*). The possession of the right by the Commons

[श्री सैयद अली जहीर]

was challenged on this ground (*o*), and was defended by argument which confounded legislative with judicial jurisdiction (*p*). It was probably owing to the medieval inability to concieve of a constitutional authority otherwise than as in some sense a court of justice that the Commons succeeded in asserting their right to commit offenders on the same terms as the Lords. In any case they are found freely exercising this right from the begining of Elizabeth's reign, and even earlier if Holinshed's account of their proceedings in Ferrers' case is to be trusted. It is calculated that over a thousand instances of its exercise up to the middle of the 19th Century are to be collected from the Journals."

मैं यह इसलिए पढ़ रहा था कि इस मामले में यह कह देना कि मामला बिलकुल साफ है, यह सूरत नहीं है। हाउस आफ कामंस की पावर्स भी अंडर सर्टेन कंडीशंस हैं।

श्री अध्यक्ष—

उधर से पृष्ठ ९२ कोट किया जाता है कि—

"The power of commitment by the Commons was distinctly admitted by the Lords, at the conference between the two Houses, in the case of Ashby, V. White, in 1704 (s), and it has been repeatedly recognised by the courts of law."

श्री सैयद अली जहीर—

मैंने उसे तस्लीम किया है। मैंने यह कहा कि सिचुएशन साफ नहीं है। सफा ९३ में में यह है कि :—

"Although the return is thus made according to law, the general rule is that the parties who stand committed for contempt cannot be admitted to bail, or the causes of commitment be inquired into, by the courts of Law. This opinion, expressed by resolutions of the House of Commons, has been confirmed by numerous subsequent decisions of the courts of law, given on applications for the release, or for the discharge on bail, of persons committed by the House of Lords and Commons."

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह नीचे का और पढ़ लें।

श्री सैयद अलीजहीर—

डू नाट इंटरफियर, प्लीज सिट डाउन।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी किसी माननीय सदस्य को इस तरह से डांट सकते हैं कि आप बैठ जाइये। इस तरह से उन्होंने माननीय सदस्य का अपमान किया है। उनको क्षमा मांगनी चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—

वह मेरे दोस्त हैं, मैं डांट सकता हूं, वह मुझसे छोटे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर जिसके बारे में कहा गया वह कम्पलेंट करते तो मैं जरूर कह देता कि वापस लें। लेकिन वह नहीं कह रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री सैयद अलीजहीर—

"In 1677, two years before the passing of the Habeas Corpus Act of 31 Charles 2, the Earl of Shaftesbury, who had been committed by the House of Lords 'for a high contempt' was remanded by the Court of King's Bench on the ground that it had no jurisdiction (1 Mod., 144).

In the view of the courts, either House of Parliament being a court of equal authority to the courts of Westminster Hall, its judgment to commit for contempt could not be inquired into any more than a similar judgment by another court of Westminster Hall. This view was well stated by De Grey, L.C.J., in Brass Crosby's case."

तो जहां तक ला का ताल्लुक है, यह पोजीशन है। अब आप यह देखें कि इस केस में फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स सारे हाउस के सामने हैं कि केशव सिंह जिन के ऊपर कार्यवाही की गई और हमारे रूल बहुत ही क्लीयर हैं, रूल ७६ (६) के खिलाफ आपने इस हाउस के रिजोल्यूशन के जरिये सात दिन के लिये जेल भेज दिया। वह जेल गये। जेल में वह बन्द थे। ६ दिन उनके गुजर चुके थे। उसके बाद एक दरख्वास्त आती है हाई कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने जब इस किस्म की दरख्वास्तें होती हैं तो उसमें रूल यह है कि अगर उसमें गवर्नमेन्ट किसी तरफ की पार्टी है तो उसको तो नोटिस हमारे जो स्टैंडिंग कौंसिल हैं उनके जरिये से दे दी जाती है, लेकिन अगर किसी और के खिलाफ इस तरह का एक पार्टी आर्डर होता है तो हाई कोर्ट को यह पूरा अधिकार है कि अगर वह पार्टी रेप्रेजेन्टेड नहीं है तो कोई भी इन्टेरिम आर्डर जिसको कहा जाता है सिविल प्रोसीजर कोड के मातहत उसके खिलाफ वह दे दे। इसके मातहत वहां पर यह दरख्वास्त दी गई थी और यह इंटेरिम आर्डर उसमें मांगा गया। इस दरख्वास्त के जो अल्फाज हैं उनको आप देखें, उसमें यह मांगा गया कि उनको फौरन बेल के ऊपर रिलीज कर दें —

"It is most respectfully prayed that this Hon'ble Court be pleased to set the applicant at liberty."

और उसके बाद फर्दर प्रेयर है कि—

"It is further prayed that pending disposal of this petition applicant be ordered to be released on bail."

जब तक इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला न हो उस वक्त तक आप इनको जमानत के ऊपर छोड़ दें। यही दरख्वास्त इसमें की गई थी। जहां तक मुझे वाकयात मालूम हुए हैं, जो खत हमारे गवर्नमेन्ट ऐडवोकेट ने एल० आर० को लिखा है, लीगल रिमेम्ब्रेंसर को, वह ब्राडली स्पीकिंग सही है। लेकिन असलियत जहां तक मुझे मालूम हुई है यह है कि जब यह दरख्वास्त मार्निंग में पेश हुई तो कोर्ट ने यह कहा कि ४९१ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह दरख्वास्त मेन्टेनेबिल नहीं है। तो कौंसिल ने कहा कि नहीं मेन्टेनेबिल है तो २२६ में कर दीजिये। अब उसमें फर्क यह आकर पड़ जाता है कि कोई दरख्वास्त जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आती है तो गवर्नमेन्ट के रेप्रेजेन्टेटिव, गवर्नमेन्ट एडवोकेट उसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन रिट अप्लीकेशन जब होती है २२६ की तो वह हमारे स्टैंडिंग कौंसिल के पास आती है और वह उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वह उसको देखे और उसकी पैरवी करें। लेकिन जैसा मैंने कहा इस केस में जहां गवर्नमेन्ट पार्टी न हो वहां पर हाई कोर्ट को यह पूरा जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है कि ऐसे मामलों में वह इन्टेरिम आर्डर दे सकते हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इस समय जो गलतफहमी हुई और जो

[श्री अध्यक्ष]

काउंसिल अपीयर नहीं हुआ तीन बजे तो इस अमेंडमेंट की वजह से और मुल्तवी इसलिए कि अगर गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई अपीयर होना चाहे तो तीन बजे अपीयर हो जाय, उन्होंने इसे पोस्टपोन कर दिया। अब उनके इन अल्फाज के लिखने के माने...

श्री नेकराम शर्मा—

प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय न्याय मंत्री कुछ सिविल प्रोसीजर कोड को कोट कर रहे हैं। जब तक वह उसका सेक्शन न बतायें तब तक हम जवाब नहीं दे पायेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि जब वे सिविल प्रोसीजर कोड को रिफर करें तो उसका सेक्शन बता दें।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वह अप्लीकेशन अदालत के सामने रखी गयी तो उसके बाद यह अमेन्डमेंट पेश किया गया या कब किया गया और उसकी कापी अपोजिट पार्टी को कौंसिल को कब दी गयी ?

*श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

यह बात सही नहीं है जो मंत्री जी कह रहे हैं कि वह इंटेरिम आर्डर था। उसमें लिखा हुआ है "both the parties have been heard." उसके माने हैं कि वह फाइनल आर्डर है। जब उन्होंने श्री केशवसिंह को रिलीज कर दिया तो वह उनका फाइनल आर्डर हो गया। वह इंटेरिम आर्डर नहीं रह गया।

श्री सैयद अली जहीर—

अब इसमें यह जो लफ्ज हैं "both parties have agreed that this application should be taken up at 3 p.m." उनका मंशा सिर्फ यह है कि श्री कपूर जो स्टेट कौंसिल थे उन्होंने इत्तफाक किया था....

श्री अध्यक्ष—

इसको डिसकस करने से कोई लाभ नहीं है।

*श्री रामायणराय—

मैं जानकारी करना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने मंत्री जी से....

श्री अध्यक्ष—

अगर वह ईल्ड करें और आपको सुनकर जवाब दें।

श्री रामायणराय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मुकदमा था उसमें विधान सभा को पार्टी बनाया गया है और आप बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि गवर्नमेंट कौंसिल—गवर्नमेंट कौंसिल, तो जब विधान सभा किसी मुकदमे में पार्टी बनाई जाय तो उसकी क्या पद्धति होगी उसका वर्णन हमारी प्रक्रिया नियमावली में दिया हुआ है। गवर्नमेंट कौंसिल को यहां पर कहां से अधिकार हो गया कि उन्होंने जिस मामले का सम्बन्ध विधान सभा से था कि वह वकालत शुरू कर दें। कैसे उन्होंने यह कार्य किया, यह मैं जानना चाहता हूं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि जिस वक्त फर्स्ट ऐप्लीकेशन पेश होती है किसी इंटेरिम आर्डर के लिये और जैसा मैंने दरख्वास्त के हवाले से बताया, तो उसमें यह जरूरत नहीं होती कि अपोजिट पार्टी को पहले सर्विस हो ही जाय तभी आर्डर पास किय जाय। यह हो सकता है कि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था और उन्होंने उस राइट का गलत इस्तेमाल किया, It is a matter of exercise of wrong jurisdiction. इस तरह जब भी रिवीजन ऐप्लीकेशन्स आती हैं तो wrong exercise of jurisdiction की बुनियाद पर चैलेंज किया जाता है जिस वक्त ऐप्लीकेशन की हियरिंग उनके सामने हो। उस वक्त इसका फैसला किया जाता है कि अदालत को जूरिस्डिक्शन है या नहीं। तो बहस सिर्फ इतनी रह जाती है कि आया कोई डेलीबरेट ब्रीच आफ प्रिविलेज और डेलीबरेट डिसरिगार्ड आफ दि आर्डर आफ दिस हाउस हुआ है या नहीं। अगर उन्होंने एक तरफ की बात सुनकर यह खयाल किया कि जो पावर उनको २२६ में है उसके मुताबिक वह ऐसा हुक्म दे सकते हैं तो यह कोई गलत बात उन्होंने नहीं की। जो पावर उनको २२६ में मिली हुई हैं वह भी मैं आपके सामने रख दूं। उसमें यह है कि—

"Notwithstanding anything in Article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority including in appropriate cases any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose."

फंडामेंटल राइट्स तो कान्स्टीट्यूशन में हैं। हाईकोर्ट ने २२६ के जुरिस्डिक्शन के मातहत उसमें किसी किस्म का डाइरेक्शन ईशू कर दिया। अगर वह जानबूझकर ब्रीच आफ प्रिविलेज की कोई बात करे तो वह केस ब्रीच आफ प्रिविलेज का हो जायगा, लेकिन अगर वह एक्सपार्टी आर्डर है जो आमतौर पर हाईकोर्ट दिया करते हैं तो फिर उसमें वह बात नहीं है। इसमें हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया और वह ऐसी सूरत में दिया कि दूसरी पार्टी रिप्रिजेंटेड नहीं थी तो ऐसी हालत में यह देखना होगा कि वह जानबूझकर दिया या नहीं। मान लीजिये हाईकोर्ट बाद को यह होल्ड करती है कि हमने गलती की और यह सवाल प्रिविलेज का है, अगर वह अथारिटी को देखने के बाद, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखने के बाद, यह होल्ड करता है कि हमने जो आर्डर पास किया था उसमें गलती थी और वह हाउस का एक्सक्लूजिव राइट है और जो उसने किया यह उनको कांस्टीट्यूशनल पावर थी तो वह ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ रह जाता है कि इस इंटरिम स्टेज पर क्या वह कर सकते थे....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

२२५ को भी पढ़ दिया जाय कि उसमें क्या कहा गया है।

श्री सैयद अली जहीर—

दफा २२५ में कांस्टीट्यूशन के जो हाई कोर्ट बने हुये हैं उनके जुरिस्डिक्शन क्या होंगे, यह दिया हुआ है। उसमें यह है कि—

"Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on that Legislature by this Constitution, the jurisdiction of, and the law administered in, any existing High Court, and the res-

[श्री सैयद अली जहीर]

pective powers of the Judges thereof in relation to the administration of justice in the Court, including any power to make rules of Court and to regulate the sittings of the Court and of members thereof sitting alone or in Division Courts, shall be the same as immediately before the commencement of this Constitution ."

यह है कि जो पावर्स संविधान के पहले की हैं वह वैसी ही रहेंगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कानून बनेंगे वे उनके अन्तर्गत रह कर कार्य करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

लेजिस्लेचर के ऐक्शन के बारे में २२६ में कहीं नहीं दिया है । (बाकी के वाक्य समझ में नहीं आये ।)

श्री सैयद अली जहीर—

अब आप यह तमाम केसेज देखें, यह केस भी देखें जे० वर्सेज टोप हैम (Top Ham) जिसमें हाउस आफ कामंस के सामने दो जजेज को बुलाया गया था । इसका जिक्र यहां हो चुका है और यह ठीक है कि जब कोई अदालत फाइनली फैसला कर दे जिससे जो हाउस के प्रिविलेज हैं उनको निगेटिव कर के अपने राइट्स को असर्ट करे तो ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है । लेकिन अगर गलतफहमी में, या महज एक्सपार्टी आर्डर होने से, नहीं बनता । हमें जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिये । गलतफहमी का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिये कि अकेला आदमी कोई अदालत के सामने जाये और कोई भी आर्डर ले ले । एक्स पार्टी आर्डर रोजाना ही हुआ करते हैं । हर हाई कोर्ट को अख्तियार है कि जब कोई दरख्वास्त लेकर जाय तो जो भी उसकी समझ में आये, सही या गलत, वह उसे लेकर आर्डर कर दे और उसके बाद जब रेगुलर हियरिंग हो तो उसमें दूसरे फरीक को सुने । अपोजिट पार्टी को भी राइट्स होते हैं..... (व्यवधान)

श्री बृजभूषणशरण—

अगर हाई कोर्ट नैपाल के विरुद्ध कोई आर्डर पास कर दे तो क्या होगा ? हम आटोनामस बाडी हैं । हमारे खिलाफ ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री उग्रसेन—

अगर बहुमत के बल पर सुचेता कृपालानी यह प्रस्ताव पास करा लें कि लखनऊ को फूंक दिया जाय तो क्या होगा ? लखनऊ फूंक दिया जायगा ? (व्यवधान)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

विशेषाधिकार में और लखनऊ फूंकने में बहुत फर्क है ।

श्री उग्रसेन—

हमारे स्कूल में आ जाइये तो पढ़ा दूं ।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हाई कोर्ट की पोजीशन का ताल्लुक है, २२६ का मैंने हवाला दे दिया । अब आप उसी के साथ २११ भी देख चुके हैं । उसमें है कि अगर कोई मेंबर

पेंडिंग हो तो उसमें कंडक्ट आफ दि जजेज क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसी के साथ-साथ सेक्शन १९४(३) भी है और उसी के साथ २२६ भी है कांस्टीट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको कांस्टीट्यूशन को इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिये कि उसके डिफरेंट प्राविजन्स को हारमोनाइज किया जा सके और उनमें कोई कानुफ्लिक्ट आपस में पैदा न हो। इसके लिये मैं आपको हवाला दूंगा एक फेमस केस का, सर्चलाइट का केस १९५९ का है, सुप्रीम कोर्ट पेज ३९५।

कुंवर श्रीपालसिंह—

हम जजेज को सुनना चाहते हैं, उनके वकील को नहीं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

वह व्यक्तिगत हैसियत से इस केस को रख रहे हैं या सरकार की तरफ से इस केस को रख रहे हैं? इसकी सफाई हो जानी चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं यह समझ रहा हूं कि जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनमें से कोई नहीं चाहता कि अन्याय हो या किसी पहलू को बिना समझे हुये फैसला दे दिया जाय। फैसला करना तो आप के हाथ में है, आपको उसका अधिकार है। मैं जो कुछ कह रहा हूं यह एक पहलू है जिसको हाउस देख ले, महज इस नजर से मैं यह पहलू आपके सामने रख रहा हूं। जहां तक हाउस के प्रिविलेज का सवाल है, मैंने पहले ही माना कि अगर जानबूझ कर किसी ने डिसरिगार्ड किया है तो वह कंटेंप्ट का लायबिल है। लेकिन साथ-साथ हमको अपनी जुडिशियरी की इंटेग्रिटी, उनकी आनर, उनकी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करना है।

श्री राजनारायण मिश्र—

मैं एक इनफारमेशन चाहता हूं कि यह डेलीबरेट ऐक्शन है या नहीं, यह कौन बतलायेगा? मान्यवर, यह तो जजेज स्वयं बतलायेंगे जब वह हाजिर होंगे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

यह हाउस का इम्प्रेशन है कि डेलीबरेट है, उसमें दो राय नहीं हैं, उसकी माननीय मंत्री लीपा-पोती करें तो व्यक्तिगत हैसियत से करें।

अपमान कर रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—

जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसमें एक अखबार 'सर्चलाइट' ने कुछ प्रोसीडिंग्स हाउस की छाप दी थीं जिनके लिये स्पीकर ने एक्सपंज करने का आर्डर दे दिया था। वह मामला प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ और जबकि वह मामला हाउस में पेंडिंग था तो एक पार्टी हाई कोर्ट में रिट के लिये दौड़ गयी। आप "ए० आई० आर० सुप्रीम कोर्ट" पेज ४०० पर देखें।

"Finding that things had begun to move and apprehending an adverse outcome of the enquiry to be held by the Committee of Privileges the petitioner moved the High Court at Patna under Article 226 for an appropriate writ, order or direction restraining and prohibiting further with the enquiry referred to above. It appears that on August 29, 1958, the Article 226, petition came up for preliminary hearing and after it had been urged for a day and a half before the High Court for admission, the petitioner on September 1, 1958, withdrew that

[श्री सैयद अली जहीर]

petition allegedly with a view to avail the fundamental rights granted to him under Article 32 of the Constitution."

अब पेज ४०२, पैरा १५ देखिये ।

"Besides a few minor miscellaneous points raised by the learned advocate for the petitioner, which will be dealt with in due course, two principal points arising on the pleadings have been canvassed before us and they are formulated thus :

I. Has the House of the Legislature in India the privilege under Article 194(3) of the Constitution to prohibit entirely the publication of the publicly seen and heard proceedings that took place in the House or even to prohibit the publication of that part of the proceedings which had been directed to be expunged ?

II. Does the privilege of the House under Article 194(3) prevail over the fundamental rights of the petitioner under Article 19(1) (*a*) ?"

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेज को कंसीडर किया है । वहां भी पेटीशन्स को इन्टरटेन किया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्ति रखें । माननीय मंत्री जी, उसी में यह भी लिखा है कि—

".....No court can go into those questions which are within the special jurisdiction of the Legislature itself."

श्री उग्रसेन—

यह आपने कहां से पढ़ा ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रीविलेज डाइजेस्ट से पढ़ा है, केस है पंडित एम० एम० शर्मा वर्सेज श्री श्रीकृष्ण सिनहा ।

(व्यवधान)

श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन्, आपको विदित होगा कि करेंजिया के केस में क्या हुआ था । इसी हाउस ने उनको बाम्बे से बुलाया था उनकी शास्ति के लिये । मगर उन्होंने बाम्बे में सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दिया । सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसीडर किया । तो जो बातें हैं मैं उनको तस्लीम करता हूं, मगर आपको हर बात पर अच्छी तरह से यहां विचार कर लेना चाहिये । अगर कोर्ट यह फाइनल आर्डर कर दे कि वह उसको छोड़ सकता है, तो यकीनन यह ब्रीच आफ प्रीविलेज हो सकता है, मगर इस पर विचार किया जा सकता है । अभी तो कोर्ट का एक्स पार्टी आर्डर है और उसी तरह है जैसे कि अक्सर और आर्डर हुआ करते हैं । (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, पता नहीं यह कानूनदां लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं, यह तो अन्तरिम आदेश है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई फायदा नहीं, कृपया शान्ति के साथ सुनिये ।

श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन्, आर्टिकिल २२६ सिर्फ ब्रीच आफ फंडामेन्टल राइट के लिये नहीं है। आपने सवाल पूछा था उसमें तो यह भी है—

"and for any other purpose".

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता। मैंने जो ऐप्लीकेशन पढ़ी उसमें तो ब्रीच आफ फंडामेंटल राइट था।

श्री सैयद अली जहीर—

आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा कि इस मामले को जोश के साथ तय न किया जाय। हमें तो अपने हाउस की डिगनिटी और प्रिविलेजेज को मेन्टेन करना है लेकिन उसके साथ ही साथ कोर्ट्स को भी कान्स्टीट्यूशन ने कुछ प्रिविलेज दिये हैं। जो राइट्स उनको दिये गये हैं, उनको भी हमें देखना होगा। मैं उसके लिये सजेस्ट कर रहा था कि मुमकिन है एडवोकेट जनरल सोमवार तक आ जायं, तब वे इस पर और रोशनी डाल सकते हैं। चूंकि यह एक बहुत ही डेलीकेट मेटर है और इसमें हाई [illegible]र्ट भी अवेयर है, इसलिये इस पर हमें काफी गौर के साथ ही कोई कदम उठाना है।

श्री बृजभूषणशरण—

क्या स्पीकर साहब का पार्टी बनाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि कोई गलतफहमी हो सकती है।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

मान्यवर, मैं केवल थोड़ी सी बात ही कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने आर्टिकिल २२६ का तो हवाला दिया, लेकिन २२५ को छोड़ दिया जिसमें साफ कहा गया है—

"इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, तथा इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान मंडल द्वारा बनायी हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी वर्तमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उसमें प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी-अपनी शक्तियां, जिनके अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उसके सदस्यों के अकेले या खंड न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी है, वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले थीं।"

अब हमने ७६(६) नियम के अनुसार, अपने बनाये कानून के अनुसार, उसको सजा दी, जो २२५ आर्टिकिल के अनुसार उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता है। इसलिये जो इन जजेज ने किया है वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर किया है।

इसके बाद माननीय मंत्री जी ने दूसरी चीज हैबियस कार्पस और बेल की कही; लेकिन ये चीजें केवल डिटेंशन पर लागू होती हैं, सजा पर नहीं होतीं। परन्तु उसको हमने नियमों के अनुसार सजा दी है। किसी दंड के विरुद्ध हैबियस कार्पस और बेल नहीं हुआ करती, इसलिये जजेज ने यह गलत किया। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम किया है।

दूसरी चीज उन्होंने लिखा है कि दोनों पार्टीज को सुन लिया.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—

उन्होंने कहां लिखा है कि दोनों पार्टीज को सुन लिया ?

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या बगैर सुने ही एग्री हो गये ? जबकि हमारे यहां से किसी प्रस्ताव के द्वारा किसी को कोई वकील नहीं बनाया गया तो फिर कोई बगैर वकालतनामे के हमारा वकील कैसे बन गया ? जज साहब ने क्या अपने मन से ही उनको हमारा वकील समझ लिया और संविधान को ताक पर उठा कर रख दिया ? अतः हमारा केवल निवेदन यह है कि हम इन जजेज को यहां बुलाकर सुनना चाहते हैं, उनके वकील को नहीं सुनना चाहते। अगर उन्होंने गलती की है तो वे यहां आकर अपनी बात कहें। उनको आप यहां पर बुलवाइये और उनकी सुनवाई यहां हो। अगर वे गलत हैं तो यहां आकर क्षमा याचना करें और अगर वे सही हैं तो हम अपने को सरेंडर करें। यही दो रास्ते हैं, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उनको यहां बुलवाइये, चाहे जिस ढंग से भी बुलवाइये और यहां आकर ही वे अपनी बातें कहें।

(श्री नवलकिशोर के खड़े होने पर)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप अली जहीर साहब से जरा इसका भाष्य करा दें कि कानून और नियम में क्या फर्क है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह बात सही है कि यह विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। हमारे सामने दो प्रश्न हैं। एक तरफ तो हाउस की सुप्रीमेसी है, हाउस की डिगनिटी है, हाउस की प्रेस्टीज है और हाउस के प्रीविलेजेज हैं, दूसरी तरफ हमारे सामने जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस है। मुझे इन दोनों में कोई भी संघर्ष नहीं दिखलायी पड़ता। मुझे खेद है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने जो दलीलें पेश की हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं कर पा रहा हूं। बहुत से इश्यूज ऐसे थे जिनका कोई भी सम्बन्ध हाउस के सामने मौजूद इश्यूज से नहीं था और उन्होंने शायद अनजाने में दोनों को एक साथ जोड़ कर कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय हमारे सामने तीन बातें हैं। कल भी हमारे सामने ऐसा ही एक इश्यू था और आज श्री बी० बी० शरण जी ने एक नया इश्यू सदन के सामने रख कर उन इश्यूज को कुछ ज्यादा साफ कर दिया है। तीन बातों में एक तो है सुप्रीमेसी आफ दि हाउस। हाउस ने प्रीविलेज के मामले में अपना एक निर्णय दे दिया, तो क्या कोई कोर्ट उसमें इंटरफियर कर सकता है या नहीं ? दूसरी बात यह कि जजेज ने जो कुछ किया है अब तक उसमें क्वेश्चन आफ प्रीविलेज होता है या नहीं ?

इन जजेज ने आलरेडी एक नहीं बल्कि तीन-तीन काम कर दिये हैं। एक तो यह कि उन्होंने रिट अप्लीकेशन को एंटरटेन किया और उसका ऐडमिशन हो गया। दूसरा यह कि केशवसिंह को बेल पर छोड़ दिया और तीसरा यह कि उन्होंने माननीया मुख्य मंत्री के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ और सेक्रेटरी वगैरह के खिलाफ नोटिस इश्यू कर दिया। तो इन तीन बातों पर आपने को कंसेंट्रेट करने की बात है।

माननीय न्याय मंत्री ने यह बतलाने की कोशिश की है कि हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स के जो प्रीविलेजेज हैं और उन प्रीविलेजेज में सजा देने के जो राइट्स हैं, उसके अन्दर भिन्नता है। वे बहुत पुरानी हिस्ट्री में पहुंच गये जबकि उनमें परस्पर यह संघर्ष था कि हाउस

आफ लार्ड्स सुप्रीम है या हाउस आफ कामंस सुप्रीम है। आज वह स्थिति नहीं है, आज वह मसला तय हो गया है और न्याय मंत्री जी ने खुद ही पढ़ कर सुनाया कि इस तरह के काम करने के लिये हाउस आफ कामंस और हाउस आफ लार्ड्स को इक्वली राइट्स हैं। मेज की किताब के पेज ९१ पर दिया हुआ है "the Commons succeeded in asserting their right to commit offenders on the same terms as the Lords." और क्वीन एलिजाबेथ के राज्य के समय से पूर्व से वह इस अधिकार को प्रयोग में ला रहे हैं। कई बार यह सवाल उठा था कि हाउस आफ कामंस सुप्रीम है या जुडीशियरी सुप्रीम है, और यह स्ट्रगल वर्षों तक चलता रहा और उस स्ट्रगल के आधार पर यह नतीजा निकला कि हाउस आफ कामंस ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया अदालतों के सामने।

एक बात आज बार-बार कही गयी कि देखना यह है कि जजेज ने इंटेंशनली और डेलिबरेटली इस चीज को किया या नहीं। तो यह तो हाउस के तय करने की बात है कि उन्होंने डेलिबरेटली किया या बोनाफाइडी किया। लेकिन एक बात तो फंडामेन्टल है कि जजेज को श्री केशवसिंह के अप्लीकेशन को एंटरटेन करने का राइट ही नहीं था। दो-तीन बातें और बताने की हैं। एक तो यह कि श्री केशवसिंह ने जो अप्लीकेशन दिया है, वह अप्लीकेशन इटसेल्फ दूसरे प्रीविलेज का इश्यू बन जाता है। खैर, मैं उसको इस समय नहीं लेता हूं लेकिन जो कि कल इश्यू था उसी के बारे में अपनी बात कहता हूं। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि हाउस अपनी जगह सुप्रीम है और प्रिविलेज के मामले में उनको तय करने का भी एकाधिकार केवल सदन को ही है। और यहां तक भी हुआ है कि जब कभी कोई नया प्रिविलेज बनाने का सवाल आया है तो कोर्ट्स मेरिट में तो गये हैं लेकिन कन्टेम्प्ट के मामले में कोर्टस् ने कहीं भी इन्टरफीयर नहीं किया है। मैं आपकी आज्ञा से मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ९० से यह पढ़ता हूं कि—

"The power of commitment is truly described as the 'keystone of parliamentary privilege'. As was said in the Commons in 1593, 'This court for its dignity and highness hath privilege, as all other courts have. And, as it is above all other courts, so it hath privilege above all other courts ; and as it hath privilege and jurisdiction too, so hath it also Coercion and Compulsion';"

इसके बाद पेज ९१ पर दिया है :—

"But the main value of the power lay in upholding the dignity of Parliament and defending it against disrespect and affronts which could not be brought or could not be brought by implication, under the head of any of the specific privileges."

उन्होंने कहा है कि प्रिविलेज के सभी मेरिट्स के मामले में उनका फैसला सुप्रीम है और अवमान के मामले में तो सदन का फैसला अन्तिम है, उसका एक्सक्लूसिव ऐबसोलूट और सुप्रीम जूरिसडिक्शन है। माननीय न्याय मंत्री जी ने खुद भी कहा कि हाउस आफ लार्ड्स ने भी हाउस आफ कामन्स के निर्णय को माना है। इसी पुस्तक के पन्ने १३ पर दिया है कि—

"in such case this court is not a court of appeal."

इसके बाद पेज ९३ से भी कई बार कोट किया गया है। उसमें साफ लिखा है कि जब एक बार कमिटमेंट हो जाय तो उसके माने कनविक्शन होंगे और उसके खिलाफ देश का कोई भी कोर्ट अपील के लिये कोर्ट की तरह नहीं बैठ सकता और न जमानत ही ग्रान्ट कर सकता है, यह बात साफ है। यहीं पेज ९३ में है :—

"When the House of Commons adjudge anything to be a contempt or a breach of privilege, their adjudication is a conviction, and their commitment in consequence is in execution ; and no court can dis-

[श्री नवलकिशोर]

charge or bail a person that is in execution by the judgment of another court."

मेरे कहने का मतलब यह है कि इन हालात में मैं उनको रिपीट नहीं करता। आर्टिकिल १९४ के मुताबिक आप के वही प्रिविलेजेज हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं, पार्लियामेंट का शब्द न भी हो तो उसमें कोई अन्तर नहीं है हाउस आफ लार्ड्स में या हाउस आफ कामन्स में। इस सदन की २ केपेसिटी हैं एक तो यह कि हम लेजिस्लेट करते हैं और दूसरे हम कभी-कभी यहां जूडीशियल कोर्ट की तरह बैठते हैं। जो हमारा लेजिस्लेशन होता है उसके बारे में जैसा कि श्री भगवान सहाय जी ने कहा कि बहुत से ऐक्ट हाई कोर्ट ने अल्ट्रावायरस कर दिये, वह कर सकते हैं, लेजिस्लेचर के एनेक्टमेंट्स के बारे में उनको हक है लेकिन जब यह सदन कोर्ट आफ दी हाउस की तरह बैठता है तो उसके फैसले पर कोई अपील नहीं हो सकती और न कोई इन्टरफीयरेंस ही हो सकता है।

श्री भगवानसहाय—

अगर इजाजत दें तो एक बात जानना चाहता हूं।

श्री नवलकिशोर—

पेज ९६ पर देखें, जहां यह कहा गया है कि कुछ केसेज के अन्दर शायद वह देख भी सकते हों पर एक बात आखिर में मानी है कि:

"but it might be a more doubtful question whether, coming directly before us, as on a return to a habeas corpus, we could relieve the subject from the commitment of the House in any case whatever".

एक बात माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने कही, मैं उस क्वेश्चन में नहीं जाना चाहता क्योंकि हैबिअस कारपस तभी ऐंटरटेन होती है जब इल्लीगल डिटेंशन हो। यहां तो पाजीटिव कनविक्शन हुआ था और स्पेसीफाइड पीरियड के लिये हुआ था। इसलिये हैबिअस कारपस ऐंटरटेन नहीं हो सकती थी। हमारे सामने गवर्नमेंट ऐडवोकेट की चिट्ठी आयी, हाउस में आपने पढ़ी और हम बाउन्ड हैं उसे मानने के लिये। और अगर वह गलत है जो उन्होंने लिखा तो जजेज उन पर कंटेम्प्ट का केस चलायें। उन चिट्ठियों से एक बात मालूम पड़ती है, जैसा मैंने पहले कहा—उनका ऐक्शन मैला फाइडी था या बोना फाइडी इसको भी हाउस ही तय करेगा, चिट्ठी में जैसा उन्होंने कहा है, जज साहिबान ने कहा कि धारा ४९१ में ऐप्लीकेशन ऐन्टरटेन नहीं हो सकती और अगर ऐंटरटेन कराना चाहते हैं तो अनुच्छेद २२६ का हवाला देना चाहिये। मैं कोई एसपर्शन जजेज पर नहीं डालना चाहता, मगर यह इंडीकेशन, मैं इसको डायरेक्शन की बात भी नहीं कहता, यह एक तरह का इंडीकेशन था बेंच की तरफ से जो साबित करता है कि वह ऐप्लीकेशन को ऐंटरटेन करना चाहते थे। कोई ताज्जुब नहीं अगर इंगलैंड में सैकड़ों सालों के अन्दर जुडिशियरी और पार्लियामेंट में स्ट्रगिल हुआ है तो हो सकता है अनकांशसली इस तरह की बात दिमाग के अन्दर हो। अगर यह है तो हाउस की सुप्रीमेसी को मेन्टेन करने के लिये लाजिमी है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे।

अब पेज १५९ देखें, इतने केसेज हैं, कुछ भी आर्गुमेंट दिया हो, आखिर में जजेज ने एक बात मानी है कि हाउस को ऐब्सोल्यूट राइट है:

"Both the Chief Justice and Bayley, J., emphasised that the possession of such powers were essential for the maintenance of the dignity of both Houses, and that they 'would sink into utter contempt and inefficiency' without them."

हीय नहीं आखिर में इसी पेज की दो लाइनें देखें:

"The result of these inquiries was the passing of resolutions by the House, declaring that the publication of parliamentary reports, votes

and proceedings was an essential incident to the constitutional functions of Parliament....."

और फिर पेज १६० में कहा है :

"that to dispute those privileges by legal proceedings was a breach of privilege, and that for any court to assume to decide upon matters of privilege inconsistent with the determination of either House of Parliament was contrary to the law of Parliament."

इस केस में इसी पन्ने पर आगे कहा है कि :

"It was admitted by all four judges that over its own internal proceedings, the jurisdiction of the House was exclusive."

पेज १६९ पर लिखा है :

"Secondly, there was no real agreement as to the consequences that should be drawn from the distinction. In the view of the select committee of the House of Commons the Courts had no right to decide on questions of privilege whether they arose directly or incidentally."

उसके बाद कहते हैं :

"Your committee are of opinion that the courts have no jurisdiction to decide upon privilege, either directly or incidentally, in any sense inconsistent with, the independence and exclusive jurisdiction of Parliament. If such a jurisdiction did exist of deciding incidentally upon privilege, uncontrolled by Parliament, it would lead to proceedings as incongruous, and as effectually destructive of the independence of Parliament, as if the direct jurisdiction existed...."

बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में उन्होंने इस चीज के लिये कहा है। और इसी तरह से आखिर में १, २ कोटेशन और दूंगा। श्रीमन्, मैं १–२ कोटेशन और दे दूं और फिर अपनी बात खत्म करूं।

पृष्ठ १७१ पर उन्होंने दिया है कि:

"The judges admitted that, when a matter is a proceeding of the House, beginning and terminating within its own walls, it is obviously outside the jurisdiction of the courts....."

श्री काशीनाथ मिश्र—

उसके आगे पढ़ दीजिए।

श्री नवलकिशोर—

उसके आगे आप पढ़ लीजिए। हाईकोर्ट में वकील अपनी बात कहता है। आप अपनी बात कहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं तो उनको जज बना रहा हूं। ये वकील बन रहे हैं।

श्री लखीसिंह—

यह तो सदन को बताया जा रहा है। अब यह वकील की बात कहने लगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखी सिंह जी, इस समय तो हम मुद्दई और मुद्दायले हो गये हैं।

श्री नवलकिशोर—

पृष्ठ १७२ पर यह है। मैं इसे पढ़े देता हूं :

"In taking this view the courts have in effect treated the power of a House to commit for contempt as in all respect analogous to the power of committal enjoyed by all superior courts."

उसी पेज पर दिया हुआ है कि:

"The House of Commons claims that its admitted right to adjudicate on breaches of privilege implies in theory the right to determine the existence and extent of the privileges themselves....."

इसी पन्ने पर इसी पेज के अन्त में लिखा है कि :

"In other words, it claims to be the absolute and exclusive judge of its own privileges and that its judgments are not examinable by any other Court or subject to appeal."

मान्यवर, मेरे कहने की मंशा यह है कि हर जगह यह बात अपनायी गयी १७४, पेज पर भी अगर आप देखें तो उसमें यह दिया हुआ है :

"On the other hand, the courts have always, at any rate in the last resort, refused to interfere in the application by the House of any of its recognized privileges."

तो, मान्यवर, मेरे कहने की मंशा यह है कि जहां तक ब्रिटिश कंनवेंशन की बात है यह बात बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट के केस की बात कही गई, वहां सर्च लाइट के केस में यह ईशू नहीं था। फंडामेन्टल राइट्स और जो हाउस का प्रिविलेज है उसकी डैफिनिशन करने की बात कही थी वहां भी यही माना कि हाउस ही अपने विशेषाधिकार को तय करेगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह कि कहा गया कि दोनों पार्टियों को सुना या नहीं सुना, मेरे प्वाइंट आफ व्यु से यह बेमानी है। जबकि यह हाउस किसी कोर्ट के जूरिस्डिक्शन को रेकगनाइज ही नहीं करता तो यह प्रश्न नहीं उठता है कि हमारा वकील था या नहीं था। अनुच्छेद २११ की बहुत दुहाई दी गयी है। मामला तो साफ है। यह ईशु ऐसा है कि जो साधारण स्थिति में नहीं आता है, यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी कंडीशन्स में क्रियेट हुआ है। आपकी अपनी व्यवस्था है, बम्बई या पंजाब की है जिसमें स्पष्ट हो गया है कि जो जजेज हैं उनके निर्णयों पर डिस्कशन हो सकता है। यद्यपि आज तो हम ऐसी स्थिति में हैं कि जजेज की मैलाफाइडी की बात भी कह सकते हैं। लिहाजा जो हाउस चाहे आज तो कह सकता है। जब कोर्ट का जूरिस्डिक्शन न हो, जब ये जानते हैं कि इस हाउस के प्रिविलेज क्या हैं और वह अनुच्छेद २१२ को भी जानते हैं, जो हमारे हाउस के आफिसर्स हैं सेक्रेटरी वगैरह वह एम्मयून हैं, इन सब बातों को जानने के बाद उन्होंने ऐप्लीकेशन को इंटरटेन किया है। मगर वह कानूनी बहस की बात है। मेरा कहना यह है कि २११ इस पार्टीक्यूलर केस को एप्लाई नहीं करता है किसी भी केस के अन्दर।

एक बात और न्याय मंत्री जी ने कही कि हमें देखना यह है कि जजेज का इंटेंशन क्या है। हमारा कोई वास्ता उससे नहीं है। अगर आफेंस होता है तो इंटेंशन इम्मेटीरियल है। हाई कोर्ट जजेज ने रिट आफ हैबियस कारपस इंटरटेन किया है तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है और हाउस की डिगनिटी पर आक्रमण है और उन्होंने उसके ऊपर ऐक्शन भी लिया है। दूसरा ऐक्शन यह है कि उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। तीसरी बात यह है २१२ के डिफायेंस में आपको नोटिस सर्व किया है। यह भी ब्रीच आफ प्रिविलेज है और ये जजेज इसके जिम्मेदार हैं।

श्रीमन्, एक बात और कही गई कि इसको प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाय। लेकिन यह कमेटी में भेजने का ईशू नहीं है। स्वयं सदन तय कर सकता है। हाउस ने एक फैसला ले लिया था उसको काटा गया है। आपने कहा था कि हमें इसके ऊपर सोचना है कि आगे क्या करें। अगर हाई कोर्ट हमारे बनाये कानून अल्ट्रा वायरस कर देता है तब भी हम सोचते

हैं। लेकिन आज सवाल सोचने का नहीं है बल्कि डिसीशन लेने का है। सुप्रीम कोर्ट के माने यह नहीं होते हैं जो भगवान सहाय जी ने दलील दी दिस, इज दि सुप्रीम कोर्ट आफ दी हाउस, उसी तरह जिस तरह कि हाई कोर्ट आफ पार्लियामेंट बनती है अपने अवमान के प्रश्न को तय करने के लिये।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट वह है जो कांस्टीट्यूशन में डिफाइन है। माननीय नवलकिशोर जी वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

बहस करने की बात नहीं है। आप ठीक कहते हैं। जहां-जहां कानून में सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा वहां वही उसका मतलब होगा, लेकिन जहां नवलकिशोर जी कहते हैं वहां नहीं होगा।

श्री नवलकिशोर---

श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री जी ने क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पैनल कोड की बात कही। मेरा कहना यह है कि जो भी उनकी दफायें हैं वे अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन जिस ईश्यू को हम इस समय डील कर रहे हैं उससे उसकी कोई रेलीवेंसी नहीं है। एक और जजेज को कंफ्यूजन हुआ है कि उन्होंने हाउस को और गवर्नमेन्ट को एक ही चीज समझा है जबकि गवर्नमेन्ट हाउस का एक भाग है। एक भाई ने पूछा था कि न्याय मंत्री जी गवर्नमेन्ट की हैसियत से बोल रहे हैं या व्यक्तिगत हैसियत से बोल रहे हैं। वह किसी भी हैसियत से बोल रहे हों, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय तो सवाल हाउस के प्रिविलेज और डिगनिटी का है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि माननीय श्रीराम जी सरकारी वकील ने कैसे इसका नोटिस ले लिया। इनका कहना ठीक है। मान लें कि उनको हक था फिर भी हम वकालत-नामा न दें और वकील साहब हमारे वकील हो जायं, यह एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं समझता हूं कि श्रीराम साहब ने जो नोटिस लिया वह अनअथराइज्ड ऐक्शन है। इसका लीगल आसपेक्ट है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं एक दो बातें कहकर खत्म करूंगा। उन्होंने केस को एंटरटेन ही नहीं किया बल्कि यह किया कि अर्ली डेट सुनवाई के लिये फिक्स कर दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि २२६ बढ़ा दिया जाय। मुझे ऐसा लगता है, मैं इंटेंशन में जाना नहीं चाहता हूं, चाहे अनइंटेंशनली भी हुआ हो, लेकिन यह है कि जजेज चाहते थे किसी न किसी तरह से यह इश्यू उनके कब्जे में आ जाय।

मान्यवर, इन चीजों के देखते हुये मैं एक ही बात पर पहुंचा हूं कि आज एक बहुत अहम केस हमारे सामने आया है। इंगलैंड में तो इस तरह की बातें बहुत दफा हुई हैं लेकिन हमारे यहां पहली दफा हुई है, इसलिये, मान्यवर, आज आपके सामने और इस हाउस के सामने एक बड़ा भारी बुनियादी प्रश्न है और जैसा कि माननीय बी० बी० शरण जी ने कहा-यहां कोई सवाल न बालंट्री सरेंडर का है और न किसी और चीज का है, क्योंकि अभी हमारी डेमोक्रेसी इनफेंसी में है। हमारे प्रिविलेजेज जो हैं उनके बारे में भी ओपीनियन को मैच्योर होना है। हर प्वाइंट आफ व्यू से आज यह आवश्यक हो गया है कि हाउस इसके ऊपर फैसला ले और मान्यवर, एक ही फैसला हो सकता है कि केशव सिंह को दुबारा जेल भेजा जाय और जजेज और तमाम साथी जिनका नाम बी० बी० शरण जी ने लिया है, उन सबको बिफोर दि बार आफ दि हाउस यहां खड़ा किया जाय। इन शब्दों के साथ में यह समझता हूं कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए हम सभी लोग पार्टीज से ऊपर, गवर्नमेन्ट से ऊपर, उठकर सोचकर और इसके ऊपर फैसला लेंगे और हमारे सभी साथी जो बात कहेंगे वह इसी दृष्टि से कहेंगे।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

अध्यक्ष महोदय, मैं हैरान हूं कि हमारे लायक हाई कोर्ट के जजों ने कैसे इतनी भारी भूल की ! जो केशव सिंह की अर्जी उनके सामने थी, उसको पढ़कर, सुनकर कोई भी आदमी जिसे ला का बिलकुल भी ज्ञान क्यों न हो, वह भी जान जायगा कि मामला बहुत संगीन है। उन्होंने उसमें सब बातें लिख दीं कि इस तरह से हाउस ने हुक्म दिया, इस इस तरह से यह यह काम हुआ, सब बातें उसमें आ गई थीं और उसके बावजूद भी जजों ने केशवसिंह को छोड़ दिया, यह देखकर मैं बहुत ही हैरान हूं। मैं कोई मोटिव नहीं इम्प्यूट करना चाहता लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे उन्होंने यह गलती की कि इस अर्जी को उन्होंने एंटरटेन कर लिया। इसमें कोई हैबियस कार्पस का सवाल नहीं था, कोई बेल का सवाल नहीं था। एक जजमेंट था इस हाउस की सुप्रीम कोर्ट का कि उनको सजा दी जाय। उसके ऊपर उन्होंने यह अर्जी दी और उसे उन्होंने एंटरटेन कर लिया। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने गलती की है और गलती की है तो यह उन्हीं की सफाई के लिए जरूरी है कि उनको यहां बुलाया जाय, और उस गलती के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिये ताकि आइन्दा फिर कोई जज ऐसी गलती न करे। अगर यह नहीं हुआ तो यह परम्परा आइन्दा के लिए बन जायगी। इसलिये इस मसले पर किसी पार्टी के दृष्टिकोण से विचार न किया जाय। आज सवाल इस बात का आ खड़ा हुआ है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है या जुडीशियरी सुप्रीम है। हमारे विधान में यह साफ लिखा है कि हमारा लेजिस्लेचर सुप्रीम है। जब विधान बना था, उस समय मैं Constituent Assembly का सदस्य था, Privileges के सम्बन्ध में डाक्टर अम्बेदकर ने जो उस समय कहा था उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं—यह मैं कांस्टीट्यूयेंट असेम्बली की उस डिबेट का उद्धरण पढ़ रहा हूं जिस समय प्रिविलेजेज के सवाल पर यहां बहस चल रही थी। पार्लियामेंट के प्रिविलेजेज का मसला तय हो चुका था और जब असेम्बली के Privileges का सवाल आया तो डाक्टर अम्बेदकर साहब ने जो कहा है वह मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यह कांस्टीट्यूयेंट असेम्बली की ३ जून, १९४९ की कार्यवाही के पृष्ठ ५८२ पर है:—

"The Hon'ble Dr. B. R. Ambedkar—

Sir, not very long ago this very matter was debated in this House, when we were discussing the privileges of Parliament and I thought that as the House had accepted the article dealing with the privileges and immunities of Parliament, no further debate would follow when we were really reproducing the very same provision with regard to the State Legislature. But as the debate has been raised and as my friend, Mr. Kamath, said that even the press is agitated, I think it is desirable that I should state what exactly is the reason for the course adopted by the Drafting Committee, especially as when the debate took place last time I did not intervene in order to make the position clear.

I do not know how many Members really have a conception of what is meant by privilege. Now the privileges which we think of fall into two different classes. There are, first of all, the privileges belonging to individual members, such as for instance, freedom of speech, immunity from arrest while discharging their duty. But that is not the whole thing covered by privilege.

(इस समय १ बजकर ४३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए।)

Dr. P. S. Deshmukh :

We do not want any enumeration of the privileges nor any lecture on how they are exercised. What we want to know is whether it is not possible to embody them into the Constitution. That is the real question.

Mr. President : He is dealing with the matter.

The Hon'ble Dr. B. R. Ambedkar :

I am mentioning the difficulty. If we were only concerned with thees two things, namely freedom of speech and immunity from arrest, these matters could have been very easily mentioned in the article itself and we would have had no occasion to refer to the House of Commons. But the privileges which we speak of in relation to Parliament are much wider than the two privileges mentioned and which relate to individual members. The privileges of Parliament extend, for instance, to the rights of Parliament as against the public. Secondly, they also extend to the rights as against the individual members."

श्री उग्रसेन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो बहस चल रही है विशेषाधिकार के प्रश्न पर, वह माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय और अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर है । श्रीमन्, आप इस पर व्यवस्था दें कि जिस माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर बहस चल रही हो क्या वही माननीय सदस्य अधिष्ठाता मंडल के सदस्य के नाते अध्यक्ष-पद पर बैठाया जा सकता है ।

श्री नवलकिशोर—

माननीय उग्रसेन जी ने जो बात उठाई है वह गलत है, इस माने में कि जो मेम्बर हाउस के हैं उनके कुछ राइट्स और प्रिविलेजेज होते हैं । मान्यवर, आपने एक सदस्य की हैसियत से वह प्रश्न उठाया और अधिष्ठाता मंडल के सदस्य की हैसियत से यादव जी उस कुर्सी पर बैठे हुये हैं और प्रोसीडिंग्ज को कांडक्ट कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इन दोनों रूपों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है और यह उचित ही है ।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं उस पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठते हैं और अधिष्ठाता और अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी बैठ सकते हैं । उस कुर्सी के लिये नियम बना हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई नोकान्फिडेन्स का मोशन आयेगा तो उस कुर्सी पर अधिष्ठाता मंडल में से कोई शख्स उस कुर्सी पर विराजमान हो सकता है लेकिन इस समय श्रीमान् अधिष्ठाता की हैसियत से उस पर बैठे हुये हैं और आपके खिलाफ ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से आप उस पर न बैठ सकें, इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो एतराज उठाया है वह नहीं उठाया जा सकता क्योंकि जो चीज सदन में चल रही है उस पर बहस हो सकती है और कोई भी आदमी वहां बैठ सकता है । आप बहैसियत अधिष्ठाता के बैठे हैं और आपके खिलाफ कोई चीज नहीं है, इसलिये इस पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय उग्रसेन जी ने बात कही वह बिलकुल सही है और इसीलिये आपने वह चीज उठाई है । मैं ऐसा समझता हूं कि आप अध्यक्ष महोदय के आसन पर विराजमान हैं । जो बहस चल रही है उस पर हरएक आदमी बहस करने को सक्षम है लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

जब इस पर निर्णय के लेने का प्रश्न आयेगा तो आप उस कुर्सी पर सुशोभित न रहें तो अधिक अच्छा होगा। मैं समझता हूं आप मेरे इस निवेदन पर विचार करके निर्णय देने की कृपा करें।

*श्री रघुनाथसिंह—

आपके उस सम्मानित कुर्सी पर बैठने के बाद माननीय उग्रसेन जी ने जो बात कही वह आपके प्रति कोई दुर्भावना से नहीं कही। आप इस सदन के जागरूक सदस्य हैं और सदस्य होने के नाते आपने अपने दिल दिमाग से सोचकर एक प्रश्न उठाया। अब उस कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ दूसरे पहलू भी सामने आयेंगे और कोई ऐसा मौका भी आ सकता है जब आपको कोई निर्णय देना पड़े और यह हो सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य की बात सुनने के बाद आपको उनकी बात रुचिकर न लगे। इस समय दोनों पक्ष सदन में चल रहे हैं और वह पक्ष भी चल रहा है जिस पक्ष में आपने अपना प्रस्ताव रखा है। तो इस समय निश्चयरूप से आपके प्रति सम्मान बरतते हुये भी और आपके प्रति विश्वास रखते हुये भी मैं यह समझता हूं कि किसी दूसरे आदमी को मौका दें और आप अलग रहें तो अच्छा है।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा निवेदन है कि आप शायद उस समय तक बैठ रहे हैं जब तक कि अध्यक्ष महोदय चाय पीकर वापस नहीं आ जाते। वह एक घंटे के बाद वापस आ जायेंगे। लगभग ५ बजे इस पर निर्णय होना है। इस कारण इसमें कोई आपत्ति माननीय उग्रसेन जी को या डाक्टर साहब को नहीं होनी चाहिये।

*श्री वीर सेन—

माननीय उग्रसेन जी ने जो आपत्ति उठाई है मैं समझता हूं वह रीजनेबिल नहीं है। जो माननीय सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर बैठते हैं वह बिलकुल निष्पक्ष हो जाते हैं। वह न इस साइड के रहते हैं और न उस साइड के रहते हैं। अगर किसी सदस्य ने यहां पर बैठकर कोई चीज मूव कर दी है तो यह मतलब नहीं है कि वह उस कुर्सी पर बैठकर वही विचार धारा लेकर चलेगा। दूसरी बात यह है कि उस कुर्सी पर बैठने पर यहां अब ऐसा मौका नहीं आनेवाला है जब कि यहां पर सदन में टाई का प्रश्न पैदा हो। ऐसा मौका आपके बैठने पर नहीं आने वाला है।

श्री भगवानसहाय—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि इसमें कोई कानूनी राय नहीं है कि आप न बैठें, लेकिन चूंकि आपने खुद इस मामले को उठाया है इसलिये यह अच्छा नहीं लगता कि आप स्वयं ही प्रेसाइड करें। अब सदन के सामने आपने इस चीज को पेश किया है इसलिये इसकी प्रोसीडिंग पर आप प्रेसाइड करें, यह मुनासिब चीज नहीं है। वैसे कोई कानूनी नियम विरुद्ध बात नहीं है। मेरा मतलब यह है कि चूंकि यह सवाल आपने सदन में उठाया है इसलिये डीसेंसी डिमांड करती है कि आप इस समय प्रेसाइड न करें।

*श्री लखपतराम शर्मा—

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य की जगह बैठने पर हम कोई भी प्रश्न यहां सदन में उठा सकते हैं लेकिन उस चेयर पर बैठने के बाद चूंकि वह चेयर फरिश्ते की तरह पवित्र है, वहां कोई आदमी किसी पार्टी का आदमी नहीं माना जा सकता। वह पहुंचने के बाद वह बदल जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक आप वहां हैं आपको वही काम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहिये जो कि फरिश्ते की तरह पवित्र हो । इसलिये हम आपको कोई शंका की दृष्टि से नहीं देख सकते । और आपका जो निर्णय होगा वह भी हम मानेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन ने जो प्रश्न उठाया है कि चूंकि इस विशेषाधिकार के प्रश्न को मैंने उठाया था एक सदस्य की हैसियत से इसलिये मुझे इस चेयर पर नहीं बैठना चाहिये । मैं अधिष्ठाता मंडल के सदस्य के नाते इस सदन के कार्य संचालन के लिये यहां बैठा हूं । उनको आपत्ति यह है कि यह उचित नहीं है और वह संभवतः यह समझते हैं कि सदन का जो निर्णय होगा उसमें इससे किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो सकती है और यह न्यायसंगत न होगा । आप देखें कि संविधान की धारा १८० (२) में इस बात की व्यवस्था है कि :

"During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly tne Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker."

तो संविधान में ही इस बात की व्यवस्था है कि अगर ऐसी परिस्थिति हो कि स्पीकर या डिप्टी-स्पीकर न हों तो उसके लिये जैसी नियमों में व्यवस्था हो अथवा जैसा सदन निर्णय करे, वह व्यक्ति कार्य संचालन कर सकता है । हमारे सदन ने अपने नियमों में कार्य संचालन के लिये इस बात की व्यवस्था की है कि एक अधिष्ठाता मंडल होगा और जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष मौजूद नहीं तो अधिष्ठाता मंडल का कोई सदस्य कार्य संचालन के लिये यहां बैठेगा । मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा अधिष्ठाता मंडल के लिये नामांकित किया गया हूं और जब मैं इस कुर्सी पर बैठता हूं या कोई माननीय सदस्य बैठता है तो उसको वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि अध्यक्ष के होते हैं । इसका अर्थ यह कभी नहीं होता कि अगर एक सदस्य अधिष्ठाता मंडल का सदस्य हो तो उसे किसी विषय पर राय देने का अधिकार पक्ष या विपक्ष में न हो और उसके सदस्य की हैसियत से जो अधिकार हैं वे समाप्त हो जायं । दूसरी बात, जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने पेश है उस पर बहस चल रही है और इस वक्त मेरा कार्य केवल यह है कि मैं इसका कार्य संचालन ठीक से करूं, सदन में व्यवस्था कायम रखूं ताकि माननीय सदस्य इसमें ठीक से हिस्सा ले सकें और विधिवत् सदन का कार्य चल सके । माननीय नेकराम जी ने कहा कि मैं थोड़े समय के लिये हूं । अध्यक्ष महोदय, भले ही किसी काम के लिये गये हों, (व्यवधान) मुझे खुशी है कि आप को चेयर के लिये इतनी चिन्ता है । तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष चाहे जहां जायं, जिस समय तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तब तक इस सदन का कार्य संचालन करूंगा और इसमें सदन किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने अभी नहीं जा रहा है । अगर निर्णय का मौका आया भी तो उसमें अगर दोनों पक्ष की राय बराबर रही तो उस समय भी पीठासीन व्यक्ति नियम इंस्टेंस में अपना वोट नहीं देता । लेकिन इस समय वह परिस्थिति नहीं है । मैं तो सदन का कार्य संचालन कर रहा हूं । माननीय शिब्बनलाल जी बोल रहे हैं और इसलिये मैं कार्य संचालन करूंगा । जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

मैं बतला रहा था कि डाक्टर अम्बेदकर ने संविधान सभा में क्या कहा था :

"For instance, under the House of Commons, powers and privileges it is open to Parliament to convict any citizen for contempt of Parliament and when such privilege is exercised *the jurisdiction of the court is ousted.* That is an important privilege."

[श्री शिब्बनलाल सक्सेना]

उन्होंने आगे कहा है कि :

"I have very carefully gone over May's Parliamentary Practice which is the source book of knowledge with regard to the 'immunities and privileges of Parliament'. (p. 583 from Constituent Assembly of India Debates dated 3rd June, 1949)."

इसके अलावा मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस भी कहती है कि इसमें किसी का दखल नहीं है। पेज ९० पर दिया है कि :

"The power of commitment is truly described as the 'keystone of parliamentary privilege'. As was said in the Commons in 1593, this court for its dignity and highness hath privilege, as all other courts have. And, as it is above all other courts, so it hath privilege above all other courts ; and as it hath privilege and jurisdiction too, so hath it also Coercion and Compulsion." (p. 90)

श्री काशीनाथ मिश्र—

उन्हीं बातों का रिपीटीशन सदन में नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

यह नहीं हो रहा है।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

आगे उन्होंने साफ किया है कि :

"When the House of Commons adjudge anything to be a contempt or a breach of privilege, their adjudication is a conviction, and their commitment in consequence is in execution ; and no court can discharge or bail a person that is in execution by the judgment of another court. The House of Commons, therefore, having authority to commit, and that commitment being in execution....this court can do nothing....in such case this court is not a court of appeal." (p. 93)

इस सिलसिले में मैं एक केस पेश करना चाहता हूं जो बड़ा फेमस केस है।

Jay *versus* Topham, 1682—89—After a dissolution of Parliament, an action was brought in the Court of King's bench against Topham, Serjeant at Arms, for arresting and detaining the plaintiff. Topham pleaded to the jurisdiction of the court that there was an order of the House for taking Jay into custody and bringing him to the bar of the House for an offence committed in breach of privilege ; but his plea was overruled and judgment given against him. The House declared that this judgment was 'Illegal, a violation of the privileges of Parliament, and pernicious to the rights of Parliament'. Sir Francis Pemberton and Sir Thomas Jones who had been judges in the cause, were ordered to attend the House ; they were examined, and finally ordered to be taken into the custody of the Serjeant at Arms. (p. 155)

इसके बाद मैं एक और जजमेंट का हवाला देना चाहता हूं:

"In the case of Barnardiston *versus* Soame, 1674, Lord Chief Justice North appeared to imply that cases which concerned Parliament were above the jurisdiction of the courts because Parliament itself was

superior, "I can see no other way to avoid consequences derogatory to the honour of the Parliament but to reject the action, and all others that shall relate either to the proceedings or privilege of Parliament.'

अन्त में May's Parliamentary Practice· सब बहस का निचोड़ निकालकर कहती है कि :

"On the other hand, the courts admit :

(3) That the control of each House over its internal proceedings is absolute and cannot be interfered with by the Courts.

(4) That a committal for contempt by either House is in practice within its exclusive jurisdiction, since the facts constituting the alleged contempt need not be stated on the warrant of committal." (P. 173)

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे न्याय मंत्री ने इस प्रकार उन जजेज को डिफेंड किया। उन्होंने यह कहा कि यह इंटेरिम आर्डर है । जजों ने साफ कहा कि दोनों पार्टीज को हम तीन बजे बुलाते हैं। उनको सुनेंगे। और जिस वक्त कपूर साहब को सुनने का वक्त आया तो उन्होंने उनको सुने बिना ही फैसला कर दिया और हाउस के फैसले को रद्द कर दिया । यह कोई इंटेरिम आर्डर नहीं था, बल्कि उन्होंने श्री केशवसिंह को रिहा करके हाउस को जलील किया है और एक मिसाल कायम की है कि हमारे फैसले को भी इस तरह से रद्द किया जा सकता है । यह आइंदा की कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री के लिए एक प्रिसिडेंट होगा, इसलिये आपसे निवेदन है कि दोनों जजेज को यहां तलब किया जाय, वह आयें और माफी मांगें अपनी गलती के लिए ताकि आइंदा कोई जज ऐसी गलती न करने पावें। साथ ही यह भी निवेदन है कि इसको कोई पार्टी ईश्यू न बनाया जाय, यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि आप यहां देश और विधान सभा के Privileges का ही खयाल करें और इस प्रस्ताव को पास करें सर्वसम्मति से ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि सुबह मैंने माननीय अध्यक्ष के सामने एक चीज रखनी चाही जो बहस से छिपी रह गयी थी तो उन्होंने कहा कि वह मामला बाद को लिया जायगा.

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री लखपत राम शर्मा—

वह इसलिये है कि जो बहस इस समय चल रही है अगर उसका कोई पहलू छिपा रह गया तो न तो ठीक तरह से बहस चल सकती है और न हाउस उचित निर्णय ही ले सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। विवाद हो रहा है अगर आपकी राय में कोई पहलू ऐसा है जो माननीय सदस्यों की समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अवसर मिलेगा, उस समय कहियेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, अभी तक जो सवाल इस सदन के सामने पेश किया गया और इस मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की मोटी किताब से उद्धरण दिये गये, तो बड़े-बड़े चैप्टर्स पढ़ गये, तो हमें न्यूटन वाली बात याद आ गयी कि "समुद्र के किनारे ज्ञान के अभी मैं रोड़े गिन रहा हूं, मोती

[श्री काशीनाथ मिश्र]

तो मिले नहीं।" तो मोती किसी माननीय सदस्य ने आदरणीय सदन में नहीं रखा और मैं रखना चाहता हूं। इस ब्रीच आफ प्रिविलेज के सवाल पर मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हाउस आफ कामंस के क्या-क्या हैं और इस मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखा है कि कौन-कौन से काम कंटेम्प्ट आफ दि हाउस में आये हैं तो आया उन कामों में से माननीय न्यायाधीशों ने किया है या नहीं। जैसे ऐस्पर्शन हो स्पीकर पर या असेम्बली के अध्यक्ष के खिलाफ कोईकार्य वाही हो या किसी मेम्बर के खिलाफ कोई बात हो--इसमें से न्यायाधीशों ने किया है या नहीं। मेरा कहना है कि जितने हमारे प्रिविलेजेज हैं उनमें से एक की भी अवहेलना नहीं की गयी। केवल इतना ही सवाल था कि एक रिट पेटीशन उन्होंने ऐडमिट कर ली। क्या निर्णय है इस विधान सभा के निर्णय के खिलाफ, अपना मत उन्होंने दिया है या नहीं दिया हमको मालूम नहीं है। उन्होंने रिट पेटीशन को ऐडमिट किया। संविधान ने आर्टिकिल २२६ के अन्तर्गत न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी रिट पिटीशन को ऐडमिट कर सकते हैं। मान्यवर, इंगलैंड का हाईकोर्ट और दुनिया की सब अदालतों से ज्यादा अधिकार हमारे यहां के उच्च न्यायालयों को हासिल है। इस संविधान को आप देखें। कहीं पर भी लेजिस्लेचर को सुप्रीम नहीं माना गया है, न पार्लियामेंट ही को सुप्रीम माना गया है, हिन्दुस्तान में अगर कोई चीज सुप्रीम है तो वह है संविधान। बसु की कमेंटरी में अथारिटी की परिभाषा दी गयी है, आप उसे देखने की कृपा करें। उसके वाल्यूम (१) के पृष्ठ ७६ पर आप देखें, उसमें लिखा है :—

> "The present Article interprets the word 'State' as used in the different Articles of Part III. Unless the context otherwise requires, the word shall refer to all 'authority,'—including not only the Executive and Legilative orgeans of the Union and the Units, but also local bodies having 'authority', such as Village Panchayats, District Boards, Local Boards and the like.....

तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें लेजिस्लेटिव असेम्बली या स्पीकर आदि सब आ जाता है। इसमें कहीं भी यह एज्यूम नहीं किया गया है कि वे आर्टिकिल २२६ से परे हैं। कोर्ट के जूरिसडिक्शन से परे हैं।

अगर संविधान के बनाने वालों की यह मंशा होती कि लेजिस्लेचर को इम्यून कर दिया जाय तो उसका संविधान में हवाला होता, जैसा कि प्रेसीडेंट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकिल ३६१ में लिखा है "(१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय को उत्तरदायी न होगा।" कांस्टीटुएंट असेम्बली के सामने जब यह प्रश्न आया, कि किन-किन को इम्यून किया जाय तो उन्होंने उनके लिये स्पष्ट व्यवस्था इस आर्टिकिल के अन्तर्गत कर दी है। इसमें कहीं भी लेजिस्लेचर को इम्यून करने की बात नहीं कही गयी है। अगर संविधान के निर्माताओं के दिमाग में इनको इम्यून करने की बात होती तो उसका भी जिक्र इसमें स्पष्टतया किया गया होता। हमारे यहां का जुडिशियल पैटर्न अमेरिका के पैटर्न पर है। हमारे यहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी तीनों का कार्य-कलाप अलग-अलग डिफाइन है।

यह कहा गया कि यह १९४ के खिलाफ है। कोई कहेगा कि २१२ इसके खिलाफ है। अगर माननीय न्यायाधीश संविधान की किसी धारा के खिलाफ काम करते हैं तो इसके लिये सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है। लेजिस्लेचर में उस पर विचार नहीं हो सकता है। हमारे संविधान के नवल किशोर जी कुछ अर्थ लगाते हैं, अली जहीर साहब कुछ लगाते हैं और नेकराम जी दूसरा ही लगाते हैं, तथा बृजभूषण शरण जी कुछ अर्थ लगाते हैं। परन्तु संविधान के आर्टिकिल १३२ में लिखा है कि वह पावर केवल सुप्रीम कोर्ट को ही होगी। इंग्लैंड की पार्लियामेन्ट कोर्ट आफ रेकार्ड है, लेकिन यहां लेजिस्लेचर कोर्ट

आफ रेकार्ड नहीं है। हमारे यहां कोर्टआफ रेकार्ड सुप्रीम कोर्ट है। हिन्दुस्तान की जुडिशियरी को इंग्लैंड की जुडिशियरी के साथ कनफ्यूज करना ठीक नहीं होगा। जहां तक इंटरप्रिटेशन आफ दि कांस्टीट्यूशन का या कोर्ट आफ रेकार्ड का सवाल है, यह सब हक सुप्रीम कोर्ट में ही निहित हैं। जैसे लखनऊ जेल के किसी भी कैदी को फंडामेंटल राइट है कि हेबियस कार्पस एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव कर सकता है वैसे ही केशव सिंह को भी यह अधिकार है संविधान के आर्टिकिल २०, १९ और २२ के अन्तर्गत। यहां इसी पर वावेला मच गया कि लेजिस्लेचर का केस हाई कोर्ट में गया ही क्यों। आये दिन २२६ में हाई कोर्ट में केस जाते हैं। नवल किशोर जी ने हाउस आफ कामन्स का हवाला दिया। वहां हजारों केस कोर्ट में गये हैं और हाउस आफ कामन्स ने कोई वावेला नहीं किया। टोफम का केस १६वीं शताब्दी में गया। अदालत ने टोफम के खिलाफ फैसला दिया और हाउस आफ कामन्स में वावेला नहीं मचा। जब अन्तिम फैसला हो गया तो कामन्स ने अलग से प्रस्ताव लाकर न्यायाधीशों को बुलाया। लेकिन यहां तो केस ही कोर्ट में जाने पर इतना वावेला होना बहुत ही खतरनाक और कालिमा की बात है हमारे लेजिस्लेचर के लिये और हम विचार कर रहे हैं कि माननीय न्यायाधीशों ने कनटैम्प्ट किया या नहीं। बार-बार १९४ का हवाला दिया गया है, जिसमें जस्टिस मुकर्जी और जस्टिस सप्रू ने बहुत ही सफाई से फैसले के पैरा ११ में होल्ड किया है माननीय राजनारायण और ए० जी० खेर के केस में कि:—

> "All the privileges will be the same as those enjoyed by the British House of Commons and its members. It does not follow that the Speaker and the State Legislature are bound to follow the procedure in the British Parliament in every detail. After all, there is nothing about that procedure."

इसमें दोनों न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसले दिये हैं। दोनों ही होल्डिंग्स अलग-अलग हैं मगर कंक्लूजन एक ही है। जस्टिस मुकर्जी ने होल्ड किया है कि अगर आर्टिकिल २०(२) के अन्तर्गत राजनारायण जी की डबल सजा हुई होती तो यह कोर्ट कम्पीटेंट थी कि केस को देखती और फैसला करती। मिस्टर जस्टिस सप्रू ने कहा है कि प्रिविलेजेज, इम्यूनीटीज ऐन्ड पावर्स आफ दि हाउस तथा इसके स्पीकर को भी संविधान की प्राविजन्स को ओवर-राइड नहीं कर सकतीं। यही केशव सिंह का भी केस है। उन्होंने कन्टैम्प्ट आफ दि हाउस किया। उसके लिये एक सजा उन्हें मिली नहीं, तब तक वह पकड़े गये और दनादन एक के बाद दो। स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखा, वह भी गोरखपुर से। उन्होंने कमिट किया गोरखपुर में। उन्होंने जो कुछ ऐक्ट किया सदन के खिलाफ वह गोरखपुर में किया।

श्री अधिष्ठाता—

एक अपराध के लिये २ सजा मिलना या उनको जो सजा दी गई वह वाजिब थी या नहीं, इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती है। सदन ने निर्णय लेकर सजा दी। आज बहस यह है कि हाई कोर्ट ने उस रिट को ऐडमिट करके सदन का अवमान किया है या नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं यह कह रहा था कि जजों के विभाग में क्या-क्या बातें आई होंगी। फंडामेन्टल राइट्स के लिये कोई भी नागरिक उनसे कह सकता है कि हम बिलकुल गैर कानूनी ढंग से बन्द किये हुये हैं, हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। उसके बाद कोर्ट को उसकी बात सुननी पड़ेगी, वह संविधान के अन्तर्गत बाध्य है कि उसकी बात सुने। यह हमारे संविधान का कमाण्ड है और उसे संचालित करने के लिये माननीय न्यायाधीशों ने कार्यवाही की और यह हाउस उसे अवमान समझे तो मैं समझता हूं कि तमाम जनतांत्रिक मर्यादाओं के और उत्तर प्रदेश विधान सभा की मर्यादा के और इतिहास के परे परम्परा चल रही है। इसको नहीं चलना चाहिये।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

इसमेज पार्लियामेन्ट री प्रैक्टिस से नवल किशोर जी ने अपने मन की बात तो पढ़ दी मगर जो असली सवाल है उसे उन्होंने नहीं पढ़ा । मैं १७१ पेज पर ही आगे पढ़ना चाहता हूं । मगर इसके पहले १५८ पेज में जस्टिस होल्ड का कुछ पढ़ना चाहता हूं । इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट आफ पार्लियामेंट है, हाई कोर्ट आफ पार्लियामेंट है । लेकिन उसके खिलाफ जज ने कैसा डिसेंटिंग जजमेंट दिया है । जस्टिस ने पृष्ठ १५८ पर यह होल्ड किया है---

"had agreed with this opinion at a meeting specially convened. Holt, however, in a dissenting judgment, while not denying the power of the House to commit for contempt, claimed that this power was examinable in the courts ; and that if there were no breach of privilege, as he held there was not in this case, there was no contempt and the prisoners should in consequence be discharged."

हजारों ऐसे प्रिविलेजेज के सवाल आते रहे हैं हाउस आफ कामन्स के भी और हाउस आफ लार्ड्स के । एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है जब कि दो जजेज को बार आफ दि हाउस के सामने बुलाया गया और वह भी जब कि हाउस आफ कामन्स ने इसके लिये अलग से प्रस्ताव पास किया ।

श्री अधिष्ठाता---

आप जिस बात को कह रहे हैं उसको सब्सटेंशियेट करते जाइये कि ऐसे कौन-कौन से केसेज हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स के कोर्ट के सामने गये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, मैं वही बताने जा रहा था । एक ऐसा केस है Stockdale *v.* Hansard, जिसमें कहा गया है :---"The judges admitted that, when a matter is a proceeding of the House, beginning and terminating within its own wall....."

इसमें यह साफ आया है लेकिन नवल किशोर जी में तो इसको समझने की अक्ल है नहीं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप इन शब्दों को वापस लीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं वापस लेता हूं । अगर यह मामला किसी माननीय सदस्य का रहा होता, जैसा कि जज डेमन ने अपने फैसले में कोट किया था । तो वह कहते हैं---

".....beginning and terminating within its own walls, it is obviously outside the jurisdiction of the courts (i) although there may be an exception for criminal acts insofar as it is possible for crimes to be covered by the term "proceedings in Parliament'. But if a proceeding of the House issues in action affecting the rights of persons exercisable outside the House, then the person who published or the servant who executed the order will be within the jurisdiction of the courts."

इस केस में भी इस हाउस ने सार्जेन्ट ऐट आर्म्स को एक्जीक्यूट करने का आर्डर दिया था और वह बाहर गया था तथा एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लिये गया था जो हाउस का मेम्बर नहीं था । मेम्बर के साथ अगर कोई अन्याय होता है तब तो वह हाउस में उसके बारे में कह सकता है लेकिन अगर किसी बाहरी के साथ अन्याय होता है, जैसा कि केशव सिंह के केस में हुआ है, तो उसको अवश्य ही कोर्ट के सामने जाने का हक है और इसीलिये उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया । इसी प्रकार से और भी बहुत से केसेज हैं जिनमें बहुतसों में तो पार्लियामेंट के पक्ष में फैसला दिया और बहुतसों में पार्लियामेंट के खिलाफ दिया है । अन्त में मेज पार्लिया-

मेंटरी प्रेक्टिस में यह बात बहुत ही सफाई के साथ कही गयी है कि कौन-कौन से शब्द और मामले कोर्ट में जायेंगे और कौन-कौन से नहीं जायेंगे। पेज-१६८ पर दिया हुआ है—

"In searching for a general principle to distinguish cases in which the courts could properly exercise jurisdiction from those in which the jurisdiction of the Houses was exclusive, the attention of judges and counsel was attracted to the distinction between cases where parliamentary privilege was raised directly and those where it was raised incidentally. In the first type of case it was held the courts must disclaim jurisdiction ; in the second, they might—some said must decide themselves."

यह तो इंसिडेंटली केस एराइज हो गया और ग्रेट ब्रिटेन में भी बहुत से न्यायाधीशों की यह राय है कि अगर कोई केस इंसिडेंटली एराइज हो जाय तो उसे अदालत के सामने जरूर आना चाहिये। यह पार्लियामेंटरी पद्धति है। श्री केशव सिंह का भी केस इंसिडेंटली है। उनको गोरखपुर से गिरफ्तार कर इस सदन ने सजा दे दी और वे जेल में चले गये। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि और कैदियों की तरह वे भी रिट पेटीशन दाखिल कर सकते हैं और इस तरह से उन्होंने इलाहाबाद होईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने अपना रिट पेटीशन दाखिल कर दिया। इसमें कोई प्रीविलेज का सवाल तो है नहीं। लेकिन मान लें कि प्रीविलेज का सवाल हो भी, चूंकि यह केस इंसिडेंटली एराइज हुआ है, इसलिये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को इस केस को देखने का हक है और इस तरह के फैसले भी हुये हैं।

एक केस है स्टाकडेल वर्सेज हैन्सर्ड का। इसमें से मैं पढ़ देता हूं उससे बिलकुल साफ हो जायगा —

"In his judgment Lord Denman insisted on the right of the courts to decide whether a particular claim of privilege fell within the jurisdiction of the House of Commons, irrespective of whether it was the direct issue or came before the court incidentally. He denied that the law of Parliament was a separate law unknown to the judges of the common law courts. The High Court of Parliament was, no doubt, supreme, but either House, by itself was only a component part of Parliament and neither House could bring a matter within its exclusive jurisdiction by declaring it to be a matter of Privilege."

लार्ड डेनमन कहता है कि चाहे कोई केस डाइरेक्टली आये या इंसिडेंटली आये, दोनों तरह के केसों में कोर्ट को राइट है दखल देने का। श्री नवल किशोर जी ने जो यह कहा कि हम सुप्रीम हैं और यहां का केस किसी अदालत में नहीं जा सकता, यह बिलकुल गलत है। जिस तरह की भी चीज हो उसकी नकल करना गलत है। अगर आप इंगलैंड की नकल करना ही चाहते हैं तो समझ बूझ कर बुद्धिमत्ता से अच्छी चीजों की नकल करें। अगर आपके प्रीविलेज का सवाल हो तो भी कोर्ट को राइट है जैसा कि इंगलैंड की पार्लियामेन्ट के दोनों हाउसेज में इस तरह से सवाल पहले उठे हैं और तय हो चुका है कि वह चीज कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है यदि हाउस की प्रिसिंक्ट्स के बाहर इस तरह की कोई बात हुई हो, जैसा श्री केशवसिंह का केस हुआ है। श्री केशव सिंह का रिट अप्लीकेशन श्री नसीरउल्ला बेग और श्री सहगल ने ऐडमिट करके कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने अभी तो उस पर कोई अन्तिम निर्णय दिया भी नहीं है, और हो सकता है कि उनका यह निर्णय हो कि सरकार ने और लेजिस्लेचर ने श्री केशवसिंह को जो सजा दी वह बहुत ठीक किया। ऐसा भी उनका निर्णय हो सकता है। प्राइमरी केसेज के लिये तो आप यह राइट जजेज को दे चुके हैं और अगर आप उसके खिलाफ कोई काम करते हैं

[श्री काशीनाथ]

तो यह धारा २२६, २११ और १३२ का जो संविधान के अन्तर्गत है, अपहरण है और हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ९३,१०६ और २९ का अपहरण है।

"The second proposition differs from the first, in words only. In both cases, the law would be superseded by one Assembly and however dignified and respectable that body in whatever degree superior to all temptations of abusing their power, the power claimed is arbitrary and irresponsible."

यह उन्होंने कहा कि पावर कुछ भी हों और कानून में कुछ भी लिखा हो लेकिन जिस तरह से पावर का इस्तेमाल किया जाता है वह आरबिट्रेरी है और इर्रेसपांसिबिल तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के विचार इंगलैंड के न्यायाधीशों के हैं, उन्हें माननीय नवल किशोर जी एक आंख से न देखें, वह उन को दोनों आंखें खोलकर पढ़ें और उसके प्रास और कांस को देखें। इंगलैंड में हाउस आफ कामन्स के हजारों प्रिविलेज के केस न्यायाधीश के कोर्ट में गये हैं और यहां तो अभी केवल शुरुआत है। अगर कोई फैसला लेजिस्लेचर के खिलाफ हो जाता तभी प्रस्ताव आता लेकिन अभी से शोर है, वहां कभी भी इस तरह से अदालत जाने के लिये कोई शोर नहीं मचा। वहां अदालत ने मामलों को देखा है और निर्णय किया है और ऐसे अवसरों पर वह फैसले हुये हैं और इस मोटी किताब में उन्होंने छापा है। मैं चाहता हूं कि माननीय नवल किशोर जी पढ़ें तो जरा अक्ल का इस्तेमाल करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि न्यायाधीश ने जो कुछ कहा है और किया है वह देश के संविधान के अन्तर्गत किया है और उस की रक्षा की है और उन के द्वारा किसी प्रकार का ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ है। इस सदन की मान मर्यादा के लिये यह आवश्यक है कि आप इसकी रक्षा करें। इन दि आईज आफ दि हाउस की बात कह कर यह चीज इस तरह से नहीं चल सकती। माननीय शिब्बन लाल जी बैठे हैं, माननीय अम्बेदकर की अध्यक्षता में इसी विषय को लेकर कांस्टीटुएंट असेम्बली में ३ दिन तक बहस हुई थी। नाथूराम गोडसे को गांधी जी तक की हत्या करने पर वैसे ही फांसी नहीं दी गई बल्कि जो ला का प्रोसीजर है उसका हर तरह से पालन किया गया और तब जाकर उस को फांसी हो सकी। यहां कहा गया कि इन दि आईज आफ दि हाउस अवहेलना हुई है तो फांसी दे दी जाय। संविधान के भाग ३ का बड़ा महत्व है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह समझते हैं कि इस भाग ३ का महत्व क्या है और खास तौर से उस में धारा २० से २२ तक जो धारा हैं उन पर विरोधी दल जिन्दा हैं। २२६ की बहस के वक्त डा० अम्बेदकर ने कहा था कि हम इतने ज्यादा अधिकार इस के द्वारा हाईकोर्ट को दे रहे हैं कि दुनिया की किसी अदालत को इतने अधिकार नहीं हैं और यह इंगलैंड के हाईकोर्ट से भी ज्यादा हैं। धारा २२ में लिखा है कि "कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशाक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायगा और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायगा।"

लेकिन यहां केशव सिंह जी को सार्जेन्ट ऐट आर्म्स किस तरह से लाये यह सब को मालूम है। उन्होंने चाहा कि एक दो आदमी से मिलना है और जरा वकील से राय लेने दिया जाय, लेकिन उन को कोई मोहलत इस के लिये नहीं दी गई। यहां से रूलिंग हो गई इस पर बहस नहीं होगी, लेकिन यह सब बातें तो न्यायाधीश के सामने होंगी कि धारा २० से २२ (२) का अपहरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह धारा २२ में साफ तौर से लिख दिया गया है कि अगर किसी आदमी का डिटेंसन होगा तो उसको पहले पूरा मौका दिया जायेगा। यह नहीं कि उसको स्पीकर अरेस्ट कर ले या सारजेन्ट ऐट आर्म अरेस्ट करे। जो आदमी अरेस्ट होता है उसको अधिकार है लीगल कंसल्टेशन का, वह अपने वकील से राय लेगा। मैं समझता हूं कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकिल २२ के अन्तर्गत हर एक न्यायाधीश को प्रार्थना पत्र लेकर यह देखने का अधिकार है कि कहीं पर धारा २०, २२ और २६ का अपहरण तो नहीं हुआ है। मैं, श्रीमन्, इस आदरणीय

सदन से बड़े अदब से कहूंगा कि इस मामले में इन सभी धाराओं का अपहरण हुआ है और जब इसमें मौलिक अधिकारों का अपहरण हुआ है तो क्या इसके संबंध में न्यायाधीशों को यह देखने का अधिकार नहीं है कि आया मौलिक अधिकारों का कहीं पर किसी प्रकार से अपहरण तो नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान में उनको इस बात का पूरा अधिकार मिला हुआ है। जैसा कि हमारे शरण साहब ने भी इस बात के लिये कोटेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको मौका दिया जाना उचित नहीं था, तो मैं समझता हूं कि उनकी बुद्धि के अनुसार उन्होंने ठीक ही समझा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है, इसको आप वापस ले लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ठीक है, मैं उसको नहीं कहूंगा। यह सब चीजें डेमोक्रेसी में जो देखने को मिल रही हैं तो यह सब क्या है। आप लोग क्या कोई छुई मुई हैं या क्या हैं? जो मेम्बर यहां पर चुन कर के आ जाय, तो यह जनतंत्र के बिलकुल ही खिलाफ है कि वह फिर अपने आप को साधारण आदमी से अलग समझने लग जाय। यह कोई जनतांत्रिक परम्परा नहीं है यह जनतांत्रिक अधिकारों के बिलकुल खिलाफ है कि साधारण नागरिकों के अधिकार को, यदि वह प्रयोग करता है तो आप अपने लिये एक प्रिविलेज का प्रश्न बना दें कि चूंकि हम मेम्बर हैं इसलिये सड़क पर चलने वाले हर आदमी को हमको सलाम करना चाहिये और अगर कोई सलाम न करेगा तो उसको जेल दे देंगे, यह आपका अच्छा प्रिविलेज हो गया। आप इस तरह का प्रिविलेज का नियम नहीं बना सकते हैं। अगर फर्ज किया कि आप इस तरह का नियम अपने प्रिविलेज के लिये बना भी लें पहले तो आपको वह अधिकार है ही नहीं, लेकिन अगर बना भी लें थोड़ी देर के लिये तो क्या आपका वह नियम चल सकता है? क्या कोर्ट उसको नहीं देखेगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह अपने जुरिस्डिक्शन के अन्दर कर रहे हैं या नहीं? आप अपने जुरिस्डिक्शन के अन्दर काम करें, इस बात को देखने के लिये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बैठी हुई है। क्या हम ऐसे कानून बना सकते हैं कि जो हमारी जुरिस्डिक्शन के बाहर हों? मैं तो कहता हूं कि नहीं बना सकते हैं। जैसा कि अभी श्रीपाल सिंह जी कह रहे थे, वह २२५ को पढ़ रहे थे कि जो हम चाहेंगे तो कैसे चाहेंगे। इस के लिये संविधान के पार्ट १, २, ३ करके लिस्ट दी हुई हैं जिसके अनुसार आपके लिए सीमायें हैं कि आप उन्हीं के अन्दर काम करें। तो जो कुछ भी आप कानून बना सकते हैं वह अपनी मर्यादा के अन्तर्गत ही बना सकते हैं। रूल आफ ला इज दि असेन्स आफ डमोक्रेसी। जो आपको अधिकार हैं उन्हीं के अन्दर यह असेम्बली काम कर सकती है उसके खिलाफ यह नहीं चल सकती है। यह समझना कि यह सुप्रीम है, और माननीय हाई कोर्ट ने अगर रिट को स्वीकार कर लिया है तो यह समझना कि न्यायाधीश ने आपकी अवज्ञा की है, उस पर आप अपनी तौहीन समझें तो यह उचित नहीं है। यह तो एक प्रकार से हीन भावना का द्योतक है, क्योंकि जब आदमी हीन भावना से ग्रसित रहता है तो वह समझता है कि हम सबसे बड़े हैं और इस तरह से आप भी समझते हैं कि न्यायाधीशों ने जो रिट ऐडमिट की है तो आपकी अथारिटी के खिलाफ किया है और उससे आपकी तौहीन हो रही है।

अन्त में मैं कहूंगा कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य श्री केशवसिंह ने अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये कोर्ट में अपनी आवाज बुलन्द की है और माननीय न्यायाधीशों ने जो रिट ऐडमिट की है, तो केवल रिट ऐडमिट हो जाने से आप यह समझते हैं कि हाउस में उस पर विचार

[श्री काशी नाथ मिश्र]

करने से उसका निर्णय प्रभावित होगा, तो इस तरह से इस आदरणीय सदन को नहीं करना चाहिये ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर । आप भी डिबेट में एक पार्टी रहे हैं और अपना मत व्यक्त कर चुके हैं तो क्या आप इस बात के लिये कम्पीटेन्ट हैं कि अन्य सदस्यों पर रोक लगावें?

श्री अधिष्ठाता—

जो प्रश्न अभी आपने उठाया, वह यहां पर पहले उठाया जा चुका है इसलिये अब यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पक्ष और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया.....

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि नेकराम शर्मा जी कल भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं .....

श्री नेकराम शर्मा—

मैं कल नहीं बोला था ।

श्री अधिष्ठाता—

नेकराम शर्मा जी ने कल एक व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी राय दी थी । इस डिबेट में अभी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, जो बहस चल रही है उसमें विषय का एक हिस्सा तो गायब है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह आपकी राय हो सकती है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

यह मेरी राय नहीं है, जो रिकर्ड है उससे कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

दो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हैं । अब यह आपकी राय हो सकती है कि बहस में एक हिस्सा नहीं आ रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा—

जिन माननीय सदस्यों ने डिबेट में हिस्सा लिया, मैं उनको बधाई देता हूं और वह बधाई इसलिये देता हूं.....

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय शर्मा जी तो डिबेट को कन्क्लूड कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

बधाई देने से बहस कन्क्लूड नहीं हो जाती ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं माननीय नवल किशोर जी, शरण साहब और काशी नाथ जी को भी बधा. देता हूं। इसमें तीन मूल प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि संविधान का जो २२६ आर्टिकिल है उसमें क्या कोई ऐसा प्राविजन है कि जिसको सजा हो जाय उसके विरुद्ध रिट ला सकते हैं? अभीतक न इधर के बैठने वाले किसी सदस्य ने और न माननीय काशीनाथ जी ने इस प्रश्न पर रोशनी डाली कि जिसको सजा होगई हो तो उसके विरुद्ध हम कोई भी रिट आर्टिकिल २२६ के अनुसार हैबियस कार्पस, मैनडैमस, को-वारन्टों या सरशियोरारी ला सकते हैं या नहीं। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट सजा कर दे, उसकी अपील हो सकती है लेकिन सदन जिसकी सजा करदे उसकी आ० २२६ के अन्तर्गत कोई भी अर्जी वे नहीं ले सकते हैं। इसके संबंध में मैं संविधान की कुछ धारायें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अगर किसी मेम्बर ने या स्ट्रेंजर ने कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है और उसको सजा हो गई तो उसके विरुद्ध कोई रिट स्वीकार नहीं की जा सकती है। रेपयूज तो कर सकते हैं। यह बसु की कमेंटरी पेज ८१ पर है, उससे मैं एग्जाम्पिल दे रहा हूं—

"Where the prisoner has been convicted by a Court of Competent Jurisdiction, for the writ cannot be used to question the correctness of a decision."

इससे श्रीमन्, स्पष्ट है कि सजा होने के पश्चात् रिट किसी भी हालत में दायर नहीं हो सकती। फिर लेजिस्लेचर जब एक अदालत के रूप में बैठती है तो वह उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है, अतः जितनी भी प्रदेश में अदालतें हैं वे सब सदन की अदालत से इनफीरियर हैं, अतः सजा होने के पश्चात् कोई भी इनफीरियर अदालत सदन के किये हुए विशेषाधिकार के निर्णय के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत विशेष रूप से हैबियस कारपस के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठा सकते हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि हैबीयस कारपस केवल डिटेंशन के संबंध में लागू हो सकता है, किसी को यदि लीगली और गैर कानूनी डिटेन कर रखा हो।

Habeas Corpus and Subjiciendum means "to have his body." अदालत यह जानने के लिये आदेश दे सकती है यदि कोई व्यक्ति डिटेन है लेकिन जिसको सजा हो गई हो उसमें दखल दे सकती है, यह विचारणीय प्रश्न है—

"According to Basu's Commentary :

'The object of the Habeas Corpus is to ascertain whether there is any legal justification for the detention of the person in custody.'

बसु आगे लिखते हैं—

'In the case of conviction by a quasi-judicial tribunal, however, the Court would interfere by Habeas Corpus only if the act of the tribunal is clearly without jurisdiction."

अब प्रश्न उठता है कि क्या इनफीरियर कोर्ट को जूरिस्डिक्शन है सदन के निर्णय के विरुद्ध? मेरी राय में नहीं।

श्रीमन्, दूसरा प्रश्न है कि कंटेम्प्ट के मामले में क्या अदालत इंटरफियर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। माननीय अली जहीर साहब ने एक नजीर कोट कर दी जिसमें उन्होंने हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्डस् का डिस्टिंक्शन बताया है कि हाउस आफ लार्ड्स स्वयं एक कोर्ट है। हाउस आफ कामन्स नहीं। श्रीमन्, मैं एक चीज आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि हाउस आफ लार्डस् और हाउस आफ कामन्स के बारे में जो भी अली जहीर साहब ने बताया है उसमें उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन तो पढ़ दिया, लेकिन नीचे

[श्री नेकराम शर्मा]

वाली बात का हवाला नहीं दिया। उसमें प्रागशास्त्र क्या कहता है, एक केस है जिसके बारे में जो भी लिखा हुआ है अगर उसको पढ़ दिया जाय तो सब साफ हो जायगा। "मे" के पेज ९० में लिखा हुआ है :

"On the other hand, in Fones. Randall (g), Lord Mansfield said that the House of Commons was not a court of record ; yet ac ing as a court of record, the Commons formerly imposed fines and imprisoned offenders for a time certain."

उसको अधिकार है सजा और फाइन कर सकता है। श्रीमन्, आगे पेज ९३ पर लिखा हुआ है उसपर भी अली जहीर साहब ने ऊपर से पढ़ दिया लेकिन नीचे यह लिखा हुआ है कि :

"When the House of Commons adjudge anything to be a contempt or a breach of privilege, their adjudication is a conviction, and their commitment in consequence is in execution by the judgment of another court. The House of Commons, therefore, having authority to commit, and that commitment being in execution.....this Court can do nothing....."

श्रीमन्, साफ है कि हाउस आफ कामन्स को पावर्स हैं। जहांतक बेल का संबंध है श्रीमन्, संविधान की धारा में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इन्टेरिम रिलीफ नहीं ग्रान्ट कर सकती है। यह बसु की कमेन्ट्री में भी है। जमानत पर छोड़ कर हाई कोर्ट ने सदन का ही अवमान नहीं किया बल्कि संविधान की धारा २१२ का भी उल्लंघन किया है अतः दोनों जज अवमान के दोषी हैं।

श्रीमन्, पहला प्रश्न यह है कि जो २२६ है उसमें डिटेंशन के लिये है। कंविक्शन के लिये उन्होंने लिखा है व्हेयर वेम परसोनेल....

श्रीमन्, ये बड़े महत्व की बात है कि एक तरफ तो यह आर्गूमेंट नहीं आया कि सदन को पूरा अधिकार है नियम बनाये। सदन के नियम ७६ (६) से स्पष्ट है कि सदन सजा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की असेम्बलियां भी विशेषाधिकारों के मामले में सजा दे चुकी हैं। अभी मध्य प्रदेश की विधान सभा ने नारा लगा देने से ही उसको ब्रीच आफ हाउस मानकर प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया और दो, तीन दिन हुए अभी सजा की है।

श्रीमन्, जहां तक हमारा अधिकार है मैंने कल भी जिक्र किया था कि संविधान की धारा २११ के अनुसार हम जजों की आलोचना नहीं कर सकते तो श्रीमन्, संविधान की धारा २१२ के अन्तर्गत जज भी हमारे अधिकारों का अपहरण नहीं कर सकते। संविधान की धारा २११ इस प्रकार है :—

"No discussion shall take place in the legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties."

इसी तरह संविधान बनाने वालों ने लेजिस्लेचर की प्रभुसत्ता कायम करने के लिये धारा २१२ बनाई जो इस प्रकार है :—

"The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of Procedure."

इसके साथ उपधारा २ में—

"No officer or member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in the Legislature shall be subject to the Jurisdiction of any Court in respect of the exercise by him of these powers."

लेकिन संविधान के २१२ आर्टिकिल के बारे में स्पष्ट है कि न्यायाधीश सदन की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकते हैं। धारा २११ में जब उनको अधिकार दिया गया कि जज के कंडक्ट को हम डिसकस नहीं कर सकते तो २१२ में सदन की कार्यवाही में दखल कोई नहीं कर सकता। हमारे प्रिविलेज को वह भी डिसकस नहीं कर सकते। हां, श्रीमन्, वह एक प्लीज ले सकते हैं। आर्टिकिल ३६१ के अन्दर जुडीशियल आफिसरों को कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं और वह इम्यूनिटीज श्रीमन्, यह हैं कि–Judicial officers, however, enjoy a special immunity for acts done or omitted to be done by them in their judicial capacity. यह ३६१ में है लेकिन श्रीमन्, आगे इसके ऊपर जो बसु ने टीका की है पृष्ठ ५५८ पर वह इस प्रकार है:––उसमें लिखा है, श्रीमन्, कि ३६१ की इम्यूनिटी जो है वह लागू नहीं हो सकती, कब? "If the act to be done by the officer is ministerial, i.e., its mode of performance is fully and definitely laid down by a statute, leaving nothing to his discretion, the officer is liable in damages for refusal to do such act as well as negligence in performing it. In such a case a mistake as to his duty or honest intentions will not exonerate him from liability.

But an official has no immunity when he acts in excess of his statutory authority or in pursuance of an unconstitutional Statute." इससे स्पष्ट है श्रीमन् कि जस्टिस बेग व सहगल अपने अधिकारों के बाहर गये और इस सदन का अवमान किया। अगर वह आनेस्टली और बोनाफाइडी भी कर दें तो उससे भी वह उक्त प्रविधान होने के नाते एक्जनारेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान में यह निश्चित प्राविजन है कि उनके क्या अधिकार हैं और हमारे क्या अधिकार हैं। आर्टिकिल २११ में उनको और २१२ में हमको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। श्रीमन्, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में जाने के पश्चात् इस विशेषाधिकार के विषय में उनको कोई अधिकार नहीं था जब कि हमारे संविधान में बिलकुल स्पष्ट है कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकते। माननीय अली जहीर साहब ने जो वकालत की वह एक जुडीशियल आफिसर की तरह से की। जुडिशियल आफिसर को उन्होंने रिप्रेजेन्ट किया क्योंकि सचिवालय में भी जुडीशियल अफसर भरे हैं अतः जजों की तरफ झुकाव स्वाभाविक ही है। प्रश्न रखा गया कि सारे सदन ने जो निर्णय लिया उस निर्णय में स्पीकर, गवर्नमेन्ट और पूरा सदन पार्टी बनाया गया। तो उस संबंध में माननीय अली जहीर साहब ने जो दलीलें दीं तो श्री करंजिया के केस की लेकिन उन्होंने भी यह नहीं बताया कि सजा के हो जाने के बाद भी क्या रिट हो सकती है और रिलीफ मिल सकता है? जब कंविक्शन हो गया हो तो उसका कोई उदाहरण नहीं दिया? मैं माननीय मिश्रा जी और माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि जब कंविक्शन के बाद हमारे हाईकोर्ट में रिट दायर हुई तो हाईकोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर गया या नहीं क्योंकि इससे हमारी जो सुप्रीमेसी है उसको भी आघात पहुंचा है। श्रीमन्, नवल किशोर जी तथा और माननीय सदस्य बोल चुके हैं। श्रीमन्, मेरा अन्त में निवेदन यह है कि जब जजों ने धारा २१२ का उल्लंघन किया, असेम्बली को पार्टी बनाया, अपोजिट पार्टी यानी मुद्दालयों को अथारिटी सुनने को नहीं दी, इंटेरिम आदेश देते समय भी अपोजिट पार्टी को नहीं सुना और आदेश दे दिये। सी० पी० सी० दीवानी कानून तथा २२६ आर्टिकिल स्पेशल रिलीफ ऐक्ट के अनुसार रिट पर विचार होता, उन्होंने स्टेंडिंग कौंसिल तक को भी नहीं बुलाया, डिसाइड कर दिया। तो उन्होंने हाउस की डिगनिटी और उसकी इंडीपेंडेंस को भी ठेस पहुंचाई। तो श्रीमन्, दो चीजें हैं, एक तो मैंने संशोधन रखा है कि माननीय केशव सिंह को तुरन्त जेल पहुंचाया जाय और दूसरा यह कि जो जजेज ने यह कार्य किया है अपने जुरिस्डिक्शन के विरुद्ध, हमारे इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर के विरुद्ध और जबकि उनको कोई पावर नहीं दी गई है स्टेट्स में उसके विरुद्ध तो उन्हें यहां सदन में बुलाया जाय और जो कार्यवाही कानूनी हो सके वह उन पर की जाय। श्रीमन्, यह और भी जरूरी है क्यों कि डेमोक्रेसी की बहुत बात कही जाती है। यदि प्रजातंत्र को जीवित रखना है तो उसकी प्रभुसत्ता की प्रतिष्ठा को

[श्री नेकराम शर्मा]

रखना ही होगा । साथ ही जुडीशियरी की स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी लेजिस्लेचर की प्रभुता । डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर सुप्रीम और जुडीशियरी इंडिपेंडेंट हैं । हम उस इंडिपेंडेंस को मेनटेन करना चाहते हैं । लेकिन न्यायाधीश भी हमारे जुरिस्डिक्शन में और हमारे कार्य में रुकावट नहीं डाल सकते हैं । आप देखें, प्रिविलेज के मामले में यह मेरी स्पष्ट राय है । मैं आपकी सेवा में २, १ केसेज पढ़ कर सुनाऊंगा । आप देखें कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में, जो कि सदन में नहीं कोट की गई है, इस प्रकार है : (सफा १५८ पर पढ़ें)

"R. V. Paty and others, It was argued that the court had no jurisdiction, the House of Commons being the proper Judges of their own privileges". दूसरे केस में Barnardiston *vs.* Soame, 1674, तय हुआ है कि हाउस आफ कामन्स सभी अन्य अदालतों से उच्च है ।

इस प्रकार से पार्लियामेंट एक सुपीरियर कोर्ट है । दूसरा जस्टिस वावेल ने कहा है :

"In Pity's case Mr. Justice Powell was more explicit in declaring that the King of Parliament is a Superior Court to this Court". इसी प्रकार दूसरे केस में स्टाक डेल बनाम हन्सार्ड में यह बहस की गई कि—

"that the Court of Law had no jurisdiction in matters of Parliamentary privileges. The courts of Law must be subordinate to".

हर केस में उन्होंने यह कहा है । मेरा नम्र निवेदन है कि जो अली जहीर साहब ने यह पिक्चर हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स की रखी, तो इन दोनों में फर्क है । हाउस आफ लार्ड्स स्वयं कोर्ट है । लेकिन जितने भी जजमेन्ट्स हैं, वह इस बात को सिद्ध करते हैं कि हाउस आफ कामन्स सुपीरियर कोर्ट है और दूसरे जितने भी कोर्ट्स हैं, वह सब उसके नीचे हैं । स्टैट्यूट में सब का बंटा हुआ है कि वह एक दूसरे में दखल न दें । लेकिन यह प्रिविलेज के लिये है । माननीय काशीनाथ जी ने प्रिविलेज के बारे में कहा परन्तु मैं भी उनसे १,२ उदाहरण जानना चाहता हूं कि वह सदन में बता दें कि कोई भी सजा होने के पश्चात् हाउस आफ कामन्स में या यहां पर या लोकसभा में या विश्व के संसदीय इतिहास में कहीं पर भी कंविक्शन करने के बाद भी रिट दाखिल होती है । चाहे वह आप क्रिमिनल प्रोसीजर से लीजिये । मेरा तो स्पष्ट कथन यह है कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि सजा हो जाने के बाद भी रिट हम ला सकते हैं तो एक बहस की बात हो सकती है । मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो यह २२६ में है, वह केवल डिटेंशन के लिये है । उसके लिये वह रिट पेश कर सकते हैं कि उसको प्रेजेन्ट करें । मैं चाहूंगा कि पहले आप हैबियस कारपस की डेफिनीशन को देख लें । उसमें एनी बडी उसको प्रेजेन्ट करने के लिये यह लिखा हुआ है—

"Habeas Corpus is a writ in the nature of an order calling upon the person who has detained another to produce the latter before the Court.'.

श्रीमन्, केवल डिटेंशन के लिये रिट पेश करते हैं । किसी व्यक्ति को पकड़ करके बंद कर दिया और अब बिना मुकद्दमा चलाये हुए सरकार उसको रखे है । उसको पेश करने के लिए रिट दायर हो सकती है इस लिये ही यह कहा गया है । आगे कहा गया है, आप देखें :

"The writ of the Habeas Corpus cannot be issued in the following:

(i) To realease a person committed for contempt by the House of Commons whether he is a member of the House or a Stranger.

(i) To interfere with a proceeding for contempt by a Court of record".

अन्त में श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि न्यायाधीशों ने संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) तथा २१२ का उल्लंघन करके सदन का अवमान किया है अतः उनको सदन

के समक्ष अवश्य ही लाया जावे और केशवसिंह जी को तुरन्त जेल भेजा जाय। बसू कमेंटरी के पेज ७४ पर....

श्री अधिष्ठाता—

हैबियस कारपस की डेफीनीशन से क्या फायदा है ? आप इस बात के लिये तर्क उपस्थित कर रहे हैं कि वह जा ही नहीं सकते हाई कोर्ट में। तो हैबियस कारपस की डेफीनीशन से कोई लाभ नहीं होगा। आप संक्षिप्त में अपनी बात कहें क्योंकि अन्य माननीय सदस्य इसपर और बोलना चाहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा मतलब यह है कि जो हमारा निर्णय हुआ है प्रिविलेज के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि एकदम रिजेक्ट कर देना चाहिये जैसे ही एप्लीकेशन मूव हुई। मैंने बताया कहां पर रिफ्यूज होना चाहिये और उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया और क्यों ऐसा किया गया यह माननीय सदन में माननीय अध्यक्ष ने पढ़ कर सुना दिया। मैंने जो संशोधन पेश किया है कि आज ही श्री केशव सिंह को जेल भेजना चाहिये और जजेज को बुलाकर भर्त्सना करनी चाहिये क्योंकि उन्होंने सदन का अवमान किया है, इसको सदन स्वीकार करे।

श्री शिवराजसिंह—

श्रीमन्, जो प्रश्न सदन के समक्ष है वह बहुत गम्भीर और बारीक कांस्टीट्यूशनल सवाल है। इस प्रश्न का न्यूकलियस यह है कि भारत के किसी लेजिस्लेचर के विशेषाधिकार की अवहेलना पर उसका निर्णय और कोर्ट्स का क्या सम्बन्ध होना चाहिये। जहां तक भारतीय संविधान का ताल्लुक है हम सब जानते हैं, हमने बहुत कुछ उसमें ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन से बारो किया है और यह भी जानते हैं कि जहां तक ला आफ प्रिविलेज का सवाल है वह पूर्णतः, मैं पूर्णतः पर अधिक जोर दे रहा हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) और १०५ (३) में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ले लिया है। हमारी डेमोक्रेसी नई है, Nascent अवस्था में है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत पुरानी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है और जो सवाल हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न मुख्तलिफ शक्लों में ब्रिटिश पार्लियामेंटरी हिस्ट्री में गाहे बगाहे हाउस आफ कामन्स के सामने आये हैं और वहां पर जो निर्णय हुए हैं उनसे कुछ ऐसे कनवेंशंस इस्टैब्लिश हो गये हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ला आफ प्रिविलेज का हिस्सा बन गये हैं और जिस तरह से हमने ब्रिटिश ला आफ प्रिवलेजेज को अपने कान्स्टीट्यूशन में अडाप्ट किया है, वह तमाम प्रोपोजीशन्स हमारे भी ला आफ प्रिविलेजेज के हिस्से बन जाते हैं। मैं बसु की कमेन्ट्री से वह प्रोपोजीशन्स आपके सामने रखता हूं कि यह निश्चित हो चुका है वहां पर कि जहां तक किसी विशेषाधिकार की अवहेलना पर किसी सदन के फैसले का प्रश्न है वह फाइनल है। इस प्रश्न पर कि अवहेलना हुई या नहीं हुई कोई दूसरा कोर्ट फैसला नहीं दे सकता, कोई कोर्ट में इस प्रश्न पर नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक यह प्रश्न है कि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न है कि नहीं जहां तक जूरिस्डिक्शन का ताल्लुक है, जहां तक विशेषाधिकार की पैराफेरी निश्चय करने का प्रश्न है वह अधिकार माननीय कोर्ट्स को वहां भी उपलब्ध है और यहां भी है। इसलिये मैंने स्पीकर के कक्ष में जाकर देखा कि जो वारन्ट आफ कमिटल श्री अध्यक्ष ने श्री केशव सिंह के सम्बन्ध में जारी किया उसके शब्द क्या थे। क्या उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने नेचर आफ प्रिविलेज, जिसका ब्रीच हुआ, उसका उल्लेख किया कि नहीं। अगर, श्रीमन्, वह नेचर आफ प्रिविलेज, जिसका ब्रीच हुआ है, लिख देते तब तो गुंजाइश इस बात की थी कि श्री केशव सिंह कोर्ट में जाते और कहते कि फलां प्रिविलेज है जिसकी अवहेलना में मुझे जेल में भेजा गया है, वह इस सदन का नहीं है। वह यह प्रार्थना करते कि जिस प्रिविलेज की अवहेलना की बात कही जा रही है वह प्रिविलेज इस सदन का है ही नहीं। कोई भी

[श्री शिवराज सिंह]

ओर्गेटिक रिपोर्ट कोर्ट के सामने कि किस प्रिविलेज का ब्रीच हुआ, प्रस्तुत नहीं हुई । इस-लिए कोर्ट को इस प्रश्न के ऊपर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने जो कार्य-वाही की है वह अपनी जुरिडिक्शन के बाहर की है ।

जिस तरह से जजेज को देश के अन्य कानून की जानकारी होनी चाहिए उसी प्रकार से उनको ला अफ प्रिविलेज की जानकारी भी होनी चाहिए । जहां हमारे बहुत से विशेषाधिकार हैं वहां हमारा एक विशेषाधिकार यह भी है कि जब विशेषाधिकार की अवहेलना हो उस अवस्था में यह आदरणीय सदन दोषी को दंड भी दे । उसका इस्तेमाल करते हुए श्री केशव सिंह जी को जिन्होंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की थी उसके बारे में हमने उनको दंड दिया और उसके दंड में हाई कोर्ट के जजेज बाधक हुए । उन्होंने श्री केशव सिंह को रिहा किया, बेल लिया । इस तरह से उन्होंने हमारे विशेषाधिकार की, इस रूप में, अवहेलना की । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं बसु की कमेंट्रीज के कुछ हिस्से पढ़े देता हूं । इसके पेज ६१३ (पार्ट २) पर लिखा है कि :—

"Since the privileges of each House of our Parliament [Article 105(3)] and of a State Legislature [Article 194(3)] are the same as those of the English House of Commons, it follows that :

(*a*) Each House is sole judge of the question whether any of its privileges has been infringed and the Courts have no jurisdiction to interfere with the decision of the House on this point.

(*b*) Each House has the power to punish for breach of its privileges or for contempt.

(*c*) Courts of Law have no jurisdiction to interfere with a process issued on by the House or by its Presiding Officer."

श्रीमन्, श्री केशव सिंह ने हमारे प्रोसीजर की भी निन्दा की है । श्रीमन्, श्री केशवसिंह ने अपनी प्लेट के अन्दर भी हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना की है । मेरा विचार है कि श्री केशव सिंह, जज साहब, तथा सरकारी वकील, सबों ने सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है और मैं माननीय नेकराम जी के प्रस्ताव से सहमत हूं कि श्री केशवसिंह को तुरन्त अपनी सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जाय और इन जजेज को इस आदरणीय सदन में रिप्रिमांड किया जाय और श्रीमन्, जो सरकारी वकील हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय ।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

मान्यवर, उपस्थित प्रश्न एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह भारत के इतिहास में प्रथम बार आया है और इस प्रश्न का सम्बन्ध एक ऐसे निर्णय से है जो इतिहास बनायेगा । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अत्यन्त उत्तरदायित्व के साथ इस पर विचार करें ।

श्रीमन्, प्रश्न हमारे सामने यह है कि सदन के विशेषाधिकार सम्बन्धी निर्णय को क्या किसी कोर्ट आफ ला में चैलेंज किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो क्या वह हाई कोर्ट है ? इसके लिये देखना होगा कि हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन क्या है ? हाई कोर्ट अपने राइट्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आदि से ड्राइव करता है और ऐसे मामलों में हैबियस कारपस ग्रांट किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को विदआउट ट्रायल डिटेन किया हो। दूसरे अगर कंविक्शन लोअर कोर्ट में हुआ है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। जहां तक किसी लोअर कोर्ट के द्वारा कंविक्शन का प्रश्न है तो प्रस्तुत केस उसके अन्तर्गत नहीं आता है क्यों कि कनविक्शन हाउस द्वारा किया गया है और हाउस इन कोर्ट्स में नहीं आता है जिनके कंविक्शन की अपील हाई कोर्ट में की जासकती है। दूसरा प्रश्न है डिटेंशन विदआउट ट्रायल, लेकिन यहां यह प्रश्न भी नहीं उठता क्योंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हाउस द्वारा उसका ट्रायल हो चुका है। इसलिये हैबियस कारपस ग्रांट नहीं किया जा सकता। दूसरे हाई कोर्ट को आज की एमर्जेंसी की परिस्थिति में हैबियस कारपस ग्रान्ट करने का भी तो अधिकार नहीं है।

श्रीमन्, आर्टिकिल २११ की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि हम इस विषय पर वाद विवाद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बिलकुल स्पष्ट है कि वादविवाद तब नहीं कर सकते हैं जब कि जजेज का कंडक्ट इन डिस्चार्ज आफ ड्यूटी हो। लेकिन जब जजेज अधिकार क्षेत्र से बाहर जायं तो हम विचार कर सकते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं था जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं। यह स्पष्ट हो जायगा कि उन्होंने ड्यूटी से बाहर काम किया है। और ड्यूटी तथा अधिकार एक दूसरे के काउन्टरपार्ट हैं अतः उन्होंने अपने क्षेत्र धिकार से बाहर काम किया है श्रीमन्, यह प्रश्न भी उठता है कि हाउस के निर्णय हाई कोर्ट में चैलेंज किये जाते हैं। हम यह देखें कि कौन से निर्णय चैलेंज किये जाते हैं। अगर कांस्टीट्यूशन के खिलाफ लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है और अल्ट्रावायरस होता है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दूसरे लेजिस्लेचर द्वारा बनाये हुए कानून के अनुसार अगर लोअर कोर्ट जजमेंट करता है तो उसके विरुद्ध अपील की जाती है, लेकिन जहां तक विशेषाधिकार का सम्बन्ध है वह उसके अन्तर्गत नहीं आता। हाउस आफ कामन्स के बारे में कि वहां प्रिविलेजेज क्या हैं, इस पर काफी चर्चा हुई है। हमारे मंत्री जी ने बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया और उन्होंने ऐसे इर्रेलेवेंट उदाहरण दिये जिनकी यहां आवश्यकता नहीं थी। मैं नहीं समझता कि ऐसे असंबद्ध उदाहरण प्रस्तुत क्यों किये गये? यह वह अच्छी तरह से जान सकते हैं। बहरहाल, उसमें साफ है जो उन्होंने भी पढ़ा था और उसके बाद कोई भी गुंजाइश रह नहीं जाती कि हम अपने विचारों में स्पष्ट न हो पायें। मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के ९३ पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है :—

> ".....the general rule is that the parties who stand committed for contempt cannot be admitted to bail, or the causes of commitment be inquired into, by the courts of law. This opinion, expressed by resolutions of the House of Commons, has been confirmed by numerous subsequent decisions of the courts of law, given on applications for the release or for the discharge on bail, of persons committed by the House of Lords and Commons."

यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि बेल वगैरह देने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के नीचे फिर दिया है :—

> "When the House of Commons adjudge anything to be a contempt or a breach of privilege, their adjudication is a conviction, and their commitment in consequence is its execution, and no court can discharge or bail a person that is in execution by the judgement of another court."

तो इसमें कोई उलझन रह नहीं जाती है। फिर आर्टिकिल २१२ के अनुसार हमारी किसी भी प्रोसीजरल मिस्टेक को भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता और राइट आफ कंविक्शन हमारे रूल्स के मुताबिक है। तो प्रोसीजरल मिस्टेक को नहीं चैलेंज किया जा सकता और कंविक्शन के रूल्स के मुताबिक अधिकार है तो फिर हाई कोर्ट का अधिकार क्या रह गया?

एक बात और दूसरी मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रिविलेजेज और इम्यूनिटीज दो शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं तो उनका यह अर्थ होता है कि किसी का राइट कर्टेल किया जा रहा है। जब हम विधान सभा में वाक स्वातंत्र्य रखते हैं तो कोई भी हमारे विरुद्ध किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। वहां उस व्यक्ति का कोर्ट में जाने का और कोर्ट का उसकी बात सुनने का दोनों का राइट कर्टेल हो जाता है और अगर किसी का राइट कर्टेल नहीं होता तो विशेषाधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए प्रिविलेज और इम्यूनिटीज शब्द का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी का राइट कर्टेल हो रहा है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि हाईकोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का कार्य किया है। वास्तव में यह कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ

[श्री बसन्त सिंह]

मामला है और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी निर्णय को लेने के पूर्व एडवोकेट जनरल को भी सुनें और इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । लेकिन साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह हमारे सम्मान का प्रश्न है और हमें किसी अर्थ में भी झुकना नहीं है । अधिष्ठाता महोदय, आप इस सदन की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, उसको सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है, इसलिये आवश्यकता है कि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें और सोच समझकर निर्णय लें और किसी भी प्रकार से हम न झुकें ।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय बी० बी० शरण जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जो उस प्रस्ताव के पक्ष में बातें कही गई हैं, मुख्य रूप से उनमें दो दलीलें हैं । एक तो यह कि यह विधान सभा सुप्रीम बाडी है और सुप्रीम बाडी होने की हैसियत से इसके निर्णय का कहीं भी पुनरीक्षण नहीं हो सकता । दूसरी बात जो कही गयी है वह यह है कि ब्रिटिश पार्लामेंट में इस प्रकार के कंन्वेंशन्स हैं । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह दोनों तर्क अपने स्थान पर ठीक नहीं हैं । एक तो हमारा जो सेटअप है इस देश में उसमें यह कहीं नहीं है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है अथवा जुडीशियरी सुप्रीम है अथवा प्रेसीडेंट या गवर्नर की पावर सुप्रीम है । हर एक की पावर्स अलग-अलग डिफाइंड हैं । अपने-अपने क्षेत्र में सभी की पावर्स सुप्रीम कही जा सकती हैं । यह कहना कि लेजिस्लेचर की पावर ऐबसोल्यूट है तब तो लेजिस्लेचर जो चाहे मनमाने ढंग से करे और वह इस देश का जो सेटअप है उसके अनुकूल नहीं होगा । हम देखते हैं कि इस सदन के पास किये गये सारे कानून को रद्द किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, तो ऐबसोलूट पावर तो नहीं हुई और उस क्षेत्र में कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐबसोल्ट है ।

ब्रिटिश पार्लामेंट की बहुत सारी प्रोसीडिंग्स यहां पर उपस्थित की गयी हैं । परन्तु वह परिस्थिति, मेरा निवेदन है कि हमारे देश में लागू नहीं है । ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो कुछ भी अधिकार प्राप्त हैं बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुये हैं जुडीशियरी और पार्लामेंट का संघर्ष चलता रहा । उनके पास आज तक कोई रिटिन कांस्टीट्यूशन नहीं है जिसको कि वह रिफर कर सकें । परन्तु हमारे देश में एक लिखा हुआ सर्वमान्य कांस्टीट्यूशन है । हम यह नहीं कह सकते कि यह लेजिस्लेचर सुप्रीम है या जुडीशियरी सुप्रीम है या गवर्नर या प्रेसीडेंट के पावर्स सुप्रीम हैं । इस देश में अगर कोई चीज सुप्रीम है तो वह इस देश का संविधान है । अब प्रश्न उठता है कि वह कांस्टीट्यूशन जो सुप्रीम कहा जाता है जिसको सभी मानेंगे, उसके रहते हुये इस सुप्रीम बाडी के कानूनों को कौन इंटरप्रेट करेगा ? यह सदन क्या उस कांस्टीट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है या कि जुडीशियरी स्वयं उसको इंटरप्रेट कर सकती है ? जब हमारे और जुडीशियरी के बीच में एक क्लैश पैदा हो गया है, माननीय सदस्यों ने बार-बार कहा कि हम तो एक पार्टी बन गये हैं । फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप फरीक हैं तो क्या आप फैसला भी दे सकते हैं ? कांस्टीट्यूशन के इंटरप्रेटेशन का जब भी प्रश्न उठेगा तो उस पर अंतिम निर्णय देने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को है । यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं था कि हमारे फैसले में वह हस्तक्षेप करती । मैं थोड़ी देर के लिये मान सकता हूं कि यह जो राय है वह ठीक हो सकती है लेकिन फिर मैं पूछता हूं कि जब हम उनके अधिकार के बारे में पूछते हैं कि उनको कहां अधिकार प्राप्त है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से कि इस सदन को कहां अधिकार प्राप्त है कि हाई कोर्ट के फैसले पर, चाहे उसने गलत किया है या सही, उसमें हाई कोर्ट के जजेज को तलब करे और सजा दे ? कौन-सा अधिकार इस सदन को प्राप्त है कि वह हाई कोर्ट के जजेज को समन कर सके ? मैं उनकी सफाई नहीं देता हूं, मैं यह भी नहीं कहता कि उन्होंने सही किया लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि जो तरीका इस प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के द्वारा अपनाये जाने का विचार है वह बिलकुल गलत है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका उपाय एक ही है कि ला को अपना कोर्स लेने दिया जाय। जब वह गलती कर चुकेंगे तब देखा जायगा। अभी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने किया है वह केवल २ बातें हैं। एक तो उन्होंने रिट पेटीशन को ऐडमिट कर लिया और दूसरे बेल पर छोड़ दिया। अभी उन्होंने इस बात पर निर्णय नहीं दिया है कि इस विधान सभा ने सही फैसला दिया था या गलत फैसला दिया था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि कोई भी कम्प्लेनेंट अगर किसी इजलास के सामने जाय तो क्या उस इजलास को तत्काल उसको खारिज कर देने का अधिकार है? क्या वह यह नहीं देख सकता कि हाउस ने जो कुछ किया है कि वह कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत है या उसने अपने अधिकारों से बाहर जाकर किया है? उसका निर्णय हो जाने पर अगर विधान सभा समझती है कि हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया तो उसके सामने एक मात्र रास्ता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने जाय।

अभी कुछ माननीय सदस्यों से सदन के बाहर बातचीत हुई। मान लीजिये कि उन्होंने गलती की तो उसका क्या यही तरीका है कि यहां पर सदस्य इस प्रकार से कहें कि उनको यहां पर पकड़ कर लाया जाय? मैं कहता हूं कि उनकी गलती होते हुये भी जो तरीका अपनाये जाने का प्रस्ताव रखा है वह उचित नहीं है। आज यदि आप इस तरह का प्रस्ताव पास कर देते हैं कि उनको बुलाया जाय तो कल के दिन सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है। उस दशा में मैं समझता हूं कि इस सदन की मान-मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। हम अपनी मान-मर्यादा को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जो भी तरीका अच्छा हो वह अपनाया जाय। हो सकता है उन्होंने गलती की हो लेकिन उस गलती का फैसला एक फरीक खुद नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि कानून बनाने के विषय में हाई कोर्ट को अधिकार है लेकिन जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? क्या यह सदन कर सकता है? कहा गया कि जो प्रिविलेज किसी को दिया जाता है तो वह छिन भी जाता है। संविधान के अन्दर देश के नागरिक को अधिकार प्राप्त है। किसी को कोई विशेष प्रिविलेज प्राप्त है। अगर हमको कोई विशेष प्रिविलेज प्राप्त है, जो हमको अधिकार मिले हुये हैं, अगर हमारे राइट का इन्फ्रींजमेंट होता है तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह हस्तक्षेप करे। जब आप इस बात को मान लेते हैं कि आपके कुछ प्रिविलेज हैं तो वे उन फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकते जो कांस्टीट्यूशन में गारंटीड हैं। तब इस बात पर सोचने और विचारने का न्यायालय को अधिकार मिल जाता है। मैं एक स्थिति यहां पर सदन के सामने रखना चाहता हूं। यदि आज हम और आप यहां बैठ कर कोई एक प्रस्ताव पास कर लेते हैं तो यह न्यायानुकूल नहीं होगा। मान लीजिये कि कोई नागरिक बाहर, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, वह इस प्रकार की आलोचना करता है कि जो कानून हमने बनाया वह अन्यायपूर्ण है और उसको हम ब्रीच आफ प्रिविलेज में रख दें और इस प्रकार का कार्य करना शुरू कर दें तो यह तानाशाही को कायम करेगा। हम किसी भी स्थिति में यह नहीं चाहते हैं कि जो इस देश के नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिले हुये हैं वह किसी प्रकार कम हों। अन्त में इतना ही कहूंगा कि हमको उतावलेपन से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह निर्णय नहीं देता हूं कि उन्होंने गलती की है या नहीं लकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि हम उतावलेपन से कोई काम करें।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से प्रस्तुत विषय पर विवाद सुनता रहा हूं। अभी माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने जो व्याख्यान दिया है उसको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। अधिष्ठाता महोदय, हर प्रश्न के दो पहलू होते हैं। एक तो उसका लीगल पहलू होता है और दूसरा

[श्री बृजबिहारी]

'फैक्ट' अथवा वस्तुस्थिति का पहलू होता है। पहले हमको कानूनी दृष्टिकोण से प्रस्तुत विषय पर विचार करना चाहिये। ऐसे प्रश्न क्या हैं और हमें क्या करना चाहिये इस पर मैं आपकी आज्ञा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय भानुप्रतापसिंह जी का जो तर्क था कि इस मामले में हमारे लिये हाई कोर्ट के जजेज के विरुद्ध प्रिविलेज का प्रश्न उठाना उचित न होगा और यह भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द कर दे, समझ में नहीं आया। हमको देखना चाहिये कि इसका लीगल ऐस्पेक्ट क्या है। मैं आपकी आज्ञा से संविधान के आर्टिकिल १०५ और १९४ की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। १०५ में जो पावर्स, प्रिविलेजेज और ऐमिनिटीज पार्लियामेंट और उसके मेम्बर्स की हैं उनकी व्याख्या की गयी है और इसी तरह से १९४ में जो पावर्स, प्रिविलेजेज और ऐमीनिटीज हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स की और उसके सदस्यों की, उसकी व्याख्या की गयी है। इसके साथ २१२ में उसकी व्याख्या पूर्ण रूप से की गयी है जहां लिखा गया है कि अदालतों को लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स में....

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस पर श्रीमन्, तीन घंटे से बहस हो रही है और माननीय मिश्र जी को यह नहीं मालूम हो पाया कि हाउस की प्रोसीडिंग्स चैलेंज नहीं की गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। वह अपनी राय दे रहे हैं। आपने ४० मिनट में अपनी राय दी, अब आप उन्हें सुनें।

श्री बृजबिहारी—

मेरी बात सुनने से संभव है कि आपकी समझ में आ जाय। मैं निवेदन कर रहा था कि २१२ में साफ है कि किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वह हमारी प्रोसीजर पर या हमने जो कार्यवाही इस सदन में की है उसमें वह हस्तक्षेप कर सके।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

यहां गलत बयानी नहीं होनी चाहिये। प्रोसीजर माने कार्यविधि।

श्री अधिष्ठाता—

वह बैठ नहीं रहे हैं। आप बैठिये और उनकी बात सुनिये।

श्री बृजबिहारी—

और इसमें हमारे और न्यायालय के अधिकार भी डिफाइन कर दिये गये हैं। हमने जो कार्यवाही की है उसमें यदि कोई त्रुटि भी हो तो उस पर कोई निर्णय हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि रोज ही इस सदन में काशीनाथ जी विशेषकर उस जुर्म के भागी होते हैं कि अगर वे वही जुर्म न्यायालय में करें तो वे बराबर दंडित होते रहेंगे...

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रकार का आक्षेप आप नहीं कर सकते। आप अपनी बात कहें।

श्री बृजबिहारी—

तो कानूनी पहलू यह है जिसे मैंने निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त बहुत से माननीय सदस्यों ने भी मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस आदि से कोटेशन दिये हैं और अपनी बात कही है। उनको दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। उच्च न्यायालय के आर्डर की प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है उसमें "वरसस स्पीकर, लेजिस्लेटिव

असेम्बली" यानी स्पीकर की हैसियत से इस सदन के अध्यक्ष के रूप में पार्टी बनाये गये हैं और दूसरी पार्टी लेजिस्लेटिव असेम्बली, उत्तर प्रदेश यानी सारी असेम्बली है और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को सदस्य की हैसियत से पार्टी बनाया गया है और श्रीमती सुचेता कृपालानी जी को भी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पार्टी बनाया गया है। मुझे निवेदन यह भी करना है कि न्यायालय के सामने यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि यह 'रिट' इस सदन के निर्णय के विरुद्ध किया गया है। उनके सामने, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि यह सब धारायें संविधान की प्रस्तुत की गयी होंगी, जो माननीय अध्यक्ष ने हाई कोर्ट का नोट पढ़ कर सुनाया है कि पहली 'ऐप्लीकेशन' जो दी गयी थी वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन ४९१ के अन्तर्गत थी, लेकिन हाई कोर्ट के जजेज ने स्वयं कह दिया कि उसमें, संविधान के आर्टिकिल २२६ का भी उल्लेख कर दिया जावे। दूसरी बात, इसमें जो निर्णय दिया गया है उसे देख कर मैं आश्चर्य-चकित हो गया कितनी लाइटली इस प्रश्न को ट्रीट किया गया है क्योंकि १-१ हजार की इसमें केवल दो-जमानतें लेकर उनको छोड़ दिया गया है। हमारी हाई कोर्ट अंडर ला कांस्टीट्यूटेड बाडी है, जो कानून की दृष्टि से सबसे महान संस्था है उसके निर्णय को इतनी लाइटली नहीं होना चाहिये। मेरा ३२-३४ वर्ष के प्रैक्टिस का अनुभव है, १-१ हजार की जमानतें उन केसेज में मांगी जाती हैं जो बहुत ही ट्रिविलग होते हैं, इसीलिये महज १:१ हजार की दो जमानतें और १ हजार का मुचलका ही उन्होंने लिया। स्पष्ट है कि इसकी महत्ता और विशेषता को ध्यान में नहीं रखा।

इन शब्दों के साथ माननीय नेकराम जी के संशोधन के साथ माननीय शरण जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, इस संशोधन को माननीय शरण जी ने भी मान लिया है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

हमारे लखीसिंह देहात के एम० एल० ए० हैं उनको भी और हमको भी सुनिये, कांस्टीट्यूशन की मोटी-मोटी किताबें तो आप बहुत सुन चुके।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं निवदन करना चाहता हूं कि इस समय यहां पर पूरी बहस नहीं हो रही है, बहस का एक खास पार्ट मैं रखना चाहता हूं उसके बिना यह बहस अधूरी रह जायगी। न्याय के हित में आपका कर्त्तव्य है कि आप उन चीजों को सदन के समक्ष लाने की मुझे अनुज्ञा देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप सब सब्र करें, सब को मौका दिया जायगा। शर्मा जी, अगर ऐसी आवश्यक बात है तो सदन भी उसमें दिलचस्पी लेगा और सुनेगा जब वह सामने आयेगी। आपको भी मौका मिलेगा। आप स्थान ग्रहण करें। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि वे जो नयी बात कहना चाहते हों इस संबंध में उनको कहें, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये जो बातें कही जा चुकी हैं, जो रेफ़रेंसेज दिये जा चुके हैं, उनको रिपीट न किया जाय।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय लखपतराम जी ने जो छूपी हुई बात कही है, उसको पहले सुन ही लिया जाय।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस आदरणीय सदन के समक्ष यह बड़ा गम्भीर मसला प्रस्तुत हो गया है कि इस विधान सभा का क्या क्षेत्राधिकार है और जुडिशियरी का क्या क्षेत्राधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

है । दोनों के कहां-कहां तक अधिकार हैं उनका जिक्र संविधान में किया गया है । इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि यह सदन इस गम्भीर प्रश्न पर जुडिशश माइंड से विचार करे ।

मान्यवर, हमारे क्या प्रीविलेज होंगे, पब्लिक के क्या अधिकार होंगे, इन सब पर प्रकाश डालते हुये डाक्टर अम्बेडकर ने, जो इस संविधान के निर्माताओं में से हैं, ३ जून, १९४९ को कहा था—

".....The privileges of Parliament extend, for instance, to the rights of Parliament as against the public, Secondly, they also extend the rights as against the individual members. For instance, under the House of Commons' powers and privileges it is open to Parliament to convict any citizen for contempt of Parliament and when such privilege is exercised the jurisdiction of court is ousted. That is an important privilege....."

यही नहीं श्रीमन्, हमारे क्या प्रीविलेज होंगे उनको संविधान की धारा १९४(३) में डिफाइन कर दिया गया है । अब श्रीमन्, सवाल केवल यह रह जाता है कि हमारे स्पीकर महोदय ने या इस विधान सभा ने जो ऐक्शन लिया वह लिया जा सकता था ? स्पीकर महोदय को संविधान के अन्दर यह अधिकार प्राप्त था या नहीं कि वह किसी को सजा दे सकें ? और क्या यदि कोई सजा इस प्रकार की दी गयी हो तो हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं ?

श्रीमन्, आप अपने नियम ७८ को देखें, उसमें दिया हुआ है—

"Execution of orders of the House—The Speaker or any other person authorized by him in his behalf shall have the power to execute all the orders passed and sentences inflicted by the House."

इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्पीकर सदन की आज्ञा को एक्जीक्यूट कर सकता है । इसके अतिरिक्त रूल ७६ के नियमों के अनुसार ही उसको पनिशमेंट दी गयी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह रूल्स आफ प्रोसीजर अगर संविधान के खिलाफ बनाये गये हों तो कोर्ट को उनको समाप्त करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, अगर आप पेज ८९ को देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें लिखा हुआ है :—

"The penal jurisdiction of the Houses is not confined to their own Members nor to offences committed in their immediate presence, but extends to all contempts of the House, whether committed by Members or by persons who are not Members, irrespective of whether the offence is committed within the House or beyond its walls."

श्रीमन्, काशीनाथ जी ने कहा कि सदन के अन्दर या सदन के परिसर के अन्दर ही स्पीकर साहब ऐक्शन ले सकते हैं । लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर गोरखपुर में पकड़ा जाता है, इसलिये क्योंकि वह सदन के बाहर हुआ वे ऐक्शन नहीं ले सकते ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमने तो यह कहा कि स्ट्रेंजर अदालत में जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आपको कोई स्पष्टीकरण देना है तो नोट करते जाइये, बाद में दे दीजियेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

उससे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि हमारे प्रिविलेजेज क्या हैं और पब्लिक के क्या हैं। चाहे तो कोई सदन के परिसर में हो अथवा बाहर किसी भी स्ट्रेंजर पर सदन ऐक्शन ले सकता है। इन्हीं तमाम चीजों पर गौर करके स्पीकर साहब ने बड़े जुडीशल माइंड से काम किया है। उसके बाद मेरा कहना यह है कि The High Court of Parliament is Supreme. जब यह सदन हाई कोर्ट आफ पार्लियामेंट के रूप में काम करता है और जो कुछ भी कंविक्शन करता है तो उस कंविक्शन के खिलाफ हिन्दुस्तान के किसी भी कोर्ट में उसकी अपील नहीं की जा सकती। संविधान के आर्टिकिल १६० और १६१ को देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट आफ पार्लियामेंट सुप्रीम है, वह दूसरे कोर्ट्स के ऊपर है। मेरा कहना यह है कि यहां पर जो कुछ भी ऐक्शन लिया जाता है वह ऐक्शन साफ तरीके से इस बात की तरफ आकर्षित करता है कि माननीय न्यायाधीशों ने जो कुछ भी किया है वह हमारे पावर व प्रीविलेजेज को समझते हुए किया है और अगर उन्होंने हमारे पावर और प्रीविलेजेज को समझते हुए किया है तो हमारे अधिकार क्षेत्र को और हमारे राइट्स व प्रीविलेजेज को यूजर्प किया है। इस तरह से उन्होंने कंटेम्प्ट आफ दि हाउस किया है और सदन को चाहिये कि इस पर विचार करे और अगर पाया जाय कि उन्होंने प्रीविलेजेज आफ दि हाउस का कंटेम्प्ट किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करे। इंगलैंड में भी ऐसे केसेज हुए हैं जहां कि जज इतना ही नहीं कि कोई कंविक्शन का मामला रहा हो, वहां कोई कंविक्शन का मामला नहीं था, लेकिन अभी एक प्रोसीज्योर एडाप्ट हुआ है, अगर हाउस समझे कि उन्होंने कंटेम्प्ट किया है, तो उनको हाउस के सामने लाया गया। यहां प्रश्न यह है कि किसी कोर्ट को भी सदन के फैसले के खिलाफ कोई अपील सुनने का राइट नहीं है, चाहे कोई छोटा केस हो, चाहे बड़ा से बड़ा केस हो। अगर कोई सबआर्डिनेट कोर्ट या कोई कोर्ट भी ऐसा करता है तो वह अपने उस ऐक्शन द्वारा कंटेम्प्ट का भागी हो जाती है।

तीसरी बात यह है कि श्री काशीनाथ मिश्र जी ने रिटिन कांस्टीट्यूशन और अनरिटिन कांस्टीट्यूशन की बात कही . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, श्री नरसिंह नारायण पांडेय जी हमारी बात को समझे नहीं हैं और मुझे गलत कोट करते हैं, इसलिये इनके बोलने के बाद मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी से मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय काशीनाथ जी ने जितने भी प्रश्न यहां उठाये हैं उन सब का जवाब देने का प्रयास आप न करें। अगर कोई प्रिंसिपल आफ जुरिसप्रूडेंस का सवाल उठाया गया हो तो उसका जवाब देने की कोशिश करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ९३ से कुछ रेलिवेंट पोर्शन में पढ़े देता हूं जो इस तरह से है—

> "When the House of Commons adjudge anything to be a contempt or a breach of privilege, their adjudication is a conviction, and their commitment in consequence is in execution ; and no court can discharge or bail a person that is in execution by the judgement of another court. The House of Commons, therefore, having authority to commit, and that commitment being in execution. . . .this court can do nothing. . . .in such case this court is not a court of appeal."

मेरा कहना यह है कि हमको और इस सदन को यह अधिकार है कि जिस किसी ने भी चाहे वह छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, चाहे किसी हायर एक्जाल्टेड पोस्ट पर हो, अगर यह साबित

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

हो जाता है कि उसने हाउस का कंटेम्ट किया है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है । यहां भी यह साफ तरीके से साबित हो गया है कि हाउस का अवमान किया गया है तो उसे सदन की विशेषाधिकार के अवमान का प्रश्न मानना चाहिये और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले में जिन लोगों ने इस तरह की गलती की है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, सदन के सामने कई तरह की बातें रखी गयी हैं, लेकिन मैं आपके सामने केवल छिपी हुई बातें ही लाना चाहता हूं । श्रीमन्, जो गम्भीर कांड हुआ है वह देश, समाज और न्याय से संबंध रखता है । उसका सदन और जुडीशियरी से भी पूरा पूरा संबंध है । इसका आरम्भ उस दिन से हुआ जब कि श्री केशव सिंह सदन में लाये गये तो उस दिन की कार्यवाही से साबित है कि उस वक्त माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि उन के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही न की जाती यदि उन्होंने अध्यक्ष और सदन के अवमान का इस तरह का पत्र गोरखपुर से न लिखा होता । जो पत्र लिखा गया था उस पत्र को ही केशव सिंह को, अवमान-जनक मानते हुये उन को ७ दिन का कारावास का दंड दिया गया था । मैं बताना चाहता हूं कि अदालत में वादी की ओर से जो प्रार्थना पत्र वकील ने दिया यह सही है कि माननीय अध्यक्ष ने उस को यहां पढ़ा, लेकिन उसके अन्दर पूरे वाकयात नहीं लिखे गये कि जिन की बिना पर ७ दिन का दंड उन को दिया गया था । मेरा विश्वास है कि यदि माननीय हाईकोर्ट के जजों के समक्ष जब भी कोई याचिका प्रस्तुत होती है या तो जज उस को उसी समय खारिज कर देते हैं या उस पर कोई अन्तरिम आदेश दे दिया जाता है । उन के उस प्रार्थना पत्र में यदि उस अध्यक्ष महोदय को लिखे गये पत्र का जिक्र होता और यह भी होता कि उस पर इस सदन ने यह निर्णय दिया.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय लखपतराम जी बार बार माननीय अध्यक्ष के पत्र का हवाला देते हैं । मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि केशव सिंह ने गोरखपुर से चिट्ठी लिखी माननीय अध्यक्ष को और उस चिट्ठी से ही अवमान हुआ । लेकिन जब अध्यक्ष ने उस पत्र को यहां पढ़ा तो स्वयं उन्हीं ने सदन का अवमान किया, वह केशव सिंह ने नहीं किया । अगर उसमें अवमान की बात थी तो उन को वह पत्र यहां पढ़ना ही नहीं चाहिये था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं । आप ऐसा आक्षेप माननीय अध्यक्ष पर कर रहे हैं यह बड़ी अनुचित बात है । दूसरे श्री केशव सिंह ने जो पत्र माननीय अध्यक्ष को लिखा, ऐसे पत्र को सदन में सुना देना माननीय अध्यक्ष का कर्त्तव्य था और इसीलिये उन्होंने उसे पढ़कर सुना दिया ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस तरह से उन्होंने स्वयं सदन की बेइज्जती की, इस की जिम्मेदारी किस की है ?

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया क्योंकि उस पत्र के द्वारा सदन का अवमान किया गया था । आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह कह रहा था कि न्याय के हित में यह जरूरी था कि जजों के समक्ष उन के प्रार्थना-पत्र में श्री केशवसिंह के पत्र का भी हवाला दिया जाता कि उन को उस पत्र पर ७ दिन

को कारावास का दंड दिया गया था और अगर वह सारा पत्र उन के सामने जाता तो मेरा विश्वास है कि शायद वह कार्यवाही न होती और शायद फैसला ही दूसरा होता। लेकिन वादी ने उस तथ्य को अपने प्रार्थनापत्र में छिपाया क्योंकि जो चीज यहां सुनाई गई उसमें यानी याचिका में उसका कोई जिक्र नहीं है। माननीय सदस्य ने उधर से कहा कि यदि गोरखपुर से कोई पत्र लिखा जाय तो उस का लखनऊ में अपराध कैसे बन सकता है। ताजीरात हिन्द की दफा ५०० है और नेशनल हैरल्ड लखनऊ में छपता है लेकिन अगर कोई गलत बात छपकर झांसी में वह बांटा जाता है तो दोनों जगह केस दफा ५०० का बनता है। अगर गोरखपुर से चिट्ठी लिखी गई तो अपराध गोरखपुर में बना और उसी तरह का अपराध उस के सदन में पेश होते ही चिट्ठी के बन गया यही कानून की मंशा है।

जहां तक माननीय न्यायाधीशों के निर्णय का प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की दोहाई दी जाती है, उस की नकल की जाती है और कहा जाता है कि हमें उसी पर चलना है। हमें एक चीज अपने सामने रखना चाहिये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कितने मामले अदालतों में चैलेंज होते हैं और वहां से वह कानूनी और गैरकानूनी घोषित होते हैं। उस का पूरा एक अलाहिदा इतिहास है और यह भी तुलना कर ली जाय वहां के हाईकोर्ट से अल्ट्रावायरस भी डिक्लेयर कितने मामले होते हैं। अभी श्रीमन्, जिला परिषद् वाले मामले को हाईकोर्ट में रखा गया...

श्री अधिष्ठाता—

यह सब रिफरेन्स आप न दीजिये। आप अपने भाषण को इस बात तक ही सीमित रखिये, जो विषय है उसके भीतर ही आपकी बात हो।

श्री लखपतराम शर्मा—

जिला परिषद् वाले मामले में श्रीमन्, जिस तरह से पूरे के पूरे चुनाव को गैर-कानूनी करार दिया गया, उसी तरह से जब नजरबन्दी का कानून सदन बनाता है या कोई भी कानून बनाता है तो हाईकोर्ट उसको जिस तरह से गैरकानूनी करार देती है और चैलेन्ज करती है, तो हो सकता है श्रीमन्, कि उसी तरह से माननीय न्यायाधीशों के दिमाग में, गिरफ्तारी के मामले में यह बात आयी हो कि सदन ने जो यह निर्णय किया है वह अनियमित है। इसी तरह से श्रीमन्, जो आदमी जेल के अन्दर डाल दिया गया यह समझ करके कि अपराधी है उसको कानूनों की सुप्रीम अदालत में पहुंचने का कानूनी हक है। अगर हम यह मान कर चलें कि यह हाउस भी जनता की चुनी हुई अदालत है, सही है, श्रीमन्, कि इसको जनता ने चुना लेकिन जितनी सुप्रीम यह है उसके दूसरी तरफ कानूनी अदालत भी सुप्रीम है और आज हमारा यह भी कर्तव्य हो जाता है कि न्याय को जिन्दा रखने के लिये इस प्रश्न के ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। मेरा सुझाव है कि आज इस बात की आवश्यकता है कि जिस तरह से यह मामला नाजुक है, गंभीर है, इससे एक इतिहास बनने जा रहा है और ऐसा इतिहास बनने जा रहा है कि या तो सदन की सुरक्षा का जो मूल प्रश्न यहां है वह हमेशा के लिये अमर हो जायेगा या फिर इस सदन के माथे पर एक कलंक का टीका लग जायेगा, जब कि इस सदन के द्वारा किये गये निर्णय को इतनी जल्दी में लिया गया कि अदालत के फैसले से उसको मंसूख किया गया। यह इतिहास बनने जा रहा है इसलिये इसके ऊपर हमें बहुत सोच समझ कर विचार करना चाहिये। मान लिया जाय कि सदन इस बात का फैसला ले कि न्यायाधीशों को बुलाकर सदन में खड़ाकर दिया जाय और जब न्यायाधीशों को सदन में बुलाया जाये और अगर उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाय तथा सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर दे, तो फिर सदन की मान प्रतिष्ठा क्या रह जाती है? इसलिये मेरा तो सुझाव है कि ऐडवोकेट जनरल को इस बात के लिये पूरी तरह से तैयार किया जाय, उन्हें इस सदन की तरफ से बहस करके इस मामले पर विचार करने के लिये पूरा पूरा सुअवसर दिया जाय और अगर अदालत अपनी गलती स्वीकार करती है, या फैसले को बदल देती है क्योंकि अदालत के सामने इस पत्र की सत्यता नहीं है

[श्री लल्लपतराम शर्मा[

जिसके ऊपर बहुत कुछ अदालत का फैसला निर्भर करता है या इसके बाद भी अदालत का फैसला बहाल रहे और मामला सुप्रीमकोर्ट में जाता है और सुप्रीमकोर्ट में इस बात का निर्णय हो जाता है कि माननीय न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया है वह गलत किया और इस तरह से सदन का अवमान हुआ है, तो इसमें ही इस हाउस की इज्जत और प्रतिष्ठा रहेगी और जुडीशियरी की भी इज्जत रहेगी कि इन न्यायाधीशों को नौकरी से उस समय निकाल दिया जाय, लेकिन डर इस बात का भी है कि कहीं इस हाउस के ऊपर स्ट्रिक्चर पास न हो जाय। यदि सचमुच में यह निर्णय होता है कि सदन का इस प्रकार से अवमान हुआ है तो उनको निकाल दिया जाय और इसी में इस सदन की प्रतिष्ठा है, जुडीशियरी भी इस तरह से जिन्दा रहेगी और सदन के अधिकार भी।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विषय के ऊपर इतनी विवेचना हो चुकी है, इसकी गंभीरता के महत्व को इतनी बार कहा जा चुका है कि उसको दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता। मेरा विश्वास यह है कि इसकी जो गंभीरता है उससे अधिक जो उन न्यायाधीशों का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है वह अधिक दुख देने वाला है। असल में यह एक बहुत बड़ा पद होता है और जो न्याय धीश के पदपर होता है, वह अगर बिना समस्या को समझे इस तरह से निर्णय देता है तो उसके बड़प्पन को देखते हुये ऐसा लगता है कि हमारे समाज के हर अंग में जिस तरह से कर्तव्यहीनता व्याप्त होती जा रही है उससे हमारी न्यायपालिका भी अछूती नहीं है। मैं आपके द्वारा इस सदन से कहना चाहता हूं और माननीय सदस्यों के सामने आपके द्वारा इस बात को रखना चाहता हूं कि हमारे यहां तीन मूल विभाग हैं एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडीशियरी। इन तीनों विभागों में आप देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर में विशेषता है वह अन्य दोनों में नहीं है। न्यायपालिका या एग्जीक्यूटिव, यह दोनों जनता से चुनी हुई या उससे संबंधित नहीं है। केवल लेजिस्लेचर ऐसा है जो कि जनता से अपनी शक्ति ग्रहण करता है। मैं आपसे कहूं कि कोई भी निर्णय कहीं का हो, चाहे वह पक्ष में हो या विपरीत हो, हमको मूलतः इस बात पर विचार करना है कि जहां प्रजातन्त्र की प्रणाली को माना गया है वहां एक बात निश्चित रूप से यह मानी गई है कि एक संस्था या एक व्यक्ति वह चाहे कितना ही योग्य हो या कितना ही शक्ति सम्पन्न हो, उसके विपरीत बहुमत का विचार ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी आधार पर प्रजातन्त्र प्रणाली में लेजिस्लेचर बनता है। मैं यह कहूंगा कि हम किसी कानूनी प्रश्न को इन्टरप्रेट करें तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें जनता के विचार की ही प्रमुखता हो। आज इस सदन में जिस तरह से एक निर्णय लिया गया और जिस तरह से हमारे स्पीकर महोदय ने आपके सामने उसको रखा और जब न्यायाधीश ने उस पर विचार किया तो न्यायाधीश का उसी तरह का विचार है जैसे इस एप्लीकेशन या दरख्वास्त पर किसी न्यायाधीश ने विचार न करके किसी पत्रकार को या राह चलने वाले को फैसला करने के लिये कह दिया जाय, मैं कहता हूं यह इसी तरह का निर्णय है। यह इसी तरह से न्यायाधीश का फैसला है जैसे किसी भी आदमी के सामने फैसला करने के लिये रख दे और वह फैसला दे दे बिना इस बात पर विचार किये हुये कि हमारे अधिकार में भी है या नहीं। उसी तरह से यह भी निर्णय हुआ।

स्वतन्त्र पार्टी के नेता महोदय ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रश्न या दरख्वास्त न्यायाधीश के सामने जाती है और उस पर उसको कोई निर्णय लेना है तो क्या वह कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अवश्य ले सकता है, लेकिन जब उसको निर्णय लेने की क्षमता हो। लेकिन क्या अगर किसी न्यायाधीश के सामने अमरीका के संबंध में कोई बात रख दी जाय तो उस पर निर्णय ले सकता है? या किसी दूसरे स्थान के संबंध में निर्णय ले सकता है? ठीक उसी तरह से यह भी उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर की बात है। जैसा कि शर्मा जी ने कहा, सजा होने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद अपील का कोई दूसरा तरीका था ही नहीं सिवाय इसके कि वह फिर सदन में आता, चाहे जिस रूप में आता। न्यायाधीश का यह फैसला इस सदन के फैसले के बावजूद हुआ है, जिस तरह से उन्होंने छोड़ा है। जैसा कि कहा जाता है कि २३ तारीख को उसकी सुनवाई होगी, तो उस तारीख को न्यायाधीश किस बात की सुनवाई करेंगे? कौन-सा विषय है, जिसकी सुनवाई करेंगे? आखिर सदन ने सजा दी है और सात दिनों के लिये सजा दी है। सुनवाई के लिये इस केस को रखा गया है, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर सुनवाई किस बात की होगी। उसमें कौन-सा ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जायगा? क्या इन प्रश्नों की विवेचना होगी कि विशेषाधिकार हुआ था कि नहीं, या जो प्रस्ताव पेश हुआ वह ठीक है कि नहीं है या स्वीकर कोई प्रस्ताव पास करा सकते हैं या नहीं? आखिर किस बात को हाई कोर्ट के जज देखेंगे जिसको कि उन्होंने देखने के लिये तारीख मुकर्रर की है? जिस जज महोदय ने फैसला देकर बेल पर छोड़ दिया है तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि वे स्वयं नहीं जान सकते हैं कि वे, किसप्रश्न पर उस दिन जिस दिन बहस होगी, विचार करेंगे। जमानत का मतलब होता है कि उस प्रश्न पर कुछ कार्यवाही होने के लिये उसको रिहा रखा जा सकता है, लेकिन यह तो ऐसा मामला है कि इस पर कोई कार्यवाही ही नहीं होनी है। इस प्रकार से रिहा करना क्या चीज हो सकती है? तो मैं कहूंगा कि इस वक्त हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती।

मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं कि जो सरन साहब ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और शर्मा जी ने जो संशोधन रखा है कि केशव सिंह को फिर से गिरफ्तार किया जाय, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। मैं सदन से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले पर सख्त से सख्त कार्यवाही करे वरना इस प्रकार से आगे के लिये एक बुरी परम्परा बन जायगी।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न इस समय हाउस के सामने पेश है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान का जो कान्स्टीट्यूशन है, वह सबसे बड़ी चीज है और हम लोग भी उसी की शपथ लेकर आये हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ी चीज है। संविधान के अन्दर तीन तरह की पावर्स हैं जिनको कि हम देखते भी हैं। पहला लेजिस्लेचर है, दूसरा एक्जीक्यूटिव है, तीसरा जुडीशियरी है। जहां तक लेजिस्लेचर का सवाल है उसका काम कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव का काम उसको एग्जीक्यूट करना होता है और जहां तक जुडीशियरी का सवाल है उसका काम होता है कानूनों की व्याख्या करना। अब सवाल यह होता है कि विधान सभा की पावर्स बड़ी हैं या जुडीयशरी की। मेरा जहां तक खयाल और जहां तक इस संविधान की धारा का सवाल है उससे भी निश्चित मालूम होता है कि तीनों अपनी जगह पर इन्डिपेन्डेन्ट हैं और इसके बारे में माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि जितने भी सेक्शन्स कोट किये गये हैं अगर उनको देखा जाय तो शुरू की जो लाइनें हैं उसी में दिया हुआ है? मैं एक सेक्शन १९४ है उसको पढ़े देता हूं—

"Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State."

तो इस तरह हम यह देख रहे हैं कि सेक्शन की जो शुरुआत है उसमें यह साफ दिया हुआ है कि जो पावर्स असेम्बली के लिये दी गई हैं या जो प्रिविलेजेज असेम्बली के मेम्बर्स को दिये गये हैं वह सब तो प्रोवीजन्स आफ दी कांस्टीट्यूशन हैं और रूल्स, स्टेंडिंग आर्डर्स रिलेटिंग टु दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

प्रोसीजर आफ दी लेजिस्लेचर है। इसके मुताबिक वह पावर्स दी गई हैं। अब मैं आर्टिकिल २२६ को पढ़ कर बतला देता हूं। २२६ में दिया हुआ है—

"Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for, any other purpose."

इससे यह मालूम होता है कि जुडीशियरी का जहां तक सवाल है, जुडीशियरी को सब पावर्स दी गई हैं रिट के तरीके पर जो रिट आफ राइट है। यह हर आदमी का राइट हो सकता है जिसका दूसरा नाम रिट आफ राइट कहा जायगा। तो रिट आफ पावर के बारे में आपका कानून ऐसा नहीं बना कि किसी के फन्डामेन्टल राइट पर एन्क्रोच न करो। तो आपकी पावर्स अनलिमिटेड हैं। विधान सभा के बारे में दो बातें बताई गई हैं। एक तो रेज्योलूशन या मोशन हम रखते हैं जो विधान सभा से हम पास करते हैं। दूसरे इनेक्टमेन्ट से हमारा सम्बन्ध है, यानी जो कानून हम बनाते हैं जो इस सदन में बिल के द्वारा आता है और जब उसे हम पास कर देते हैं तो वह अपर हाउस में जाता है। उसके बाद उसकी सैंक्शन मिलती है। फिर राष्ट्रपति, गवर्नर या राजप्रमुख जब अपनी सैंक्शन उस पर दे देता है तो उसको संकटिटी मिल जाती है तब उसे हम ला कहते हैं और उसका इन्टरप्रिटेशन कोर्ट में जुडीशियरी के द्वारा होता है। तो जहां तक लाज का सवाल है, जुडीशियरी को पूरा अधिकार है कि जो हम ला बनाते हैं या बिल बनाते हैं उसका इन्टरप्रिटेशन करे और वह उसको अल्ट्रा वाइरस भी कर सकती है। लेकिन साथ-साथ कानून में दिया हुआ है कि जो कानून हम पास करते हैं अगर उसमें कोई प्रोसीजर की गड़बड़ी है या शुरू में गवर्नर से सैंक्शन नहीं ली गयी, जैसे मनी बिल वगैरह में यह जरूरी होता है कि उसके लिये गवर्नर से सैंक्शन ले लें। कभी कभी गवर्नर की सैंक्शन, एसेन्ट नहीं आती है और वह बाद में ले ली जाती है। तो सवाल यह है कि जब सैंक्शन बाद में मिले तो जजेज को यह पावर है या नहीं कि वह इस बात की तह में जायें कि वह शुरू में नहीं ली गई और बाद में आई है। तो उसके लिये संविधान का निश्चित मत है कि कोई भी जुडीशियरी इस बात को डील नहीं कर सकती है और न स्क्रूटनी ही कर सकती है कि इसके प्रोसीजर में इर्रिगुलैरिटी रही है, लेकिन जहां तक ला का सम्बन्ध है, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वह अपना इन्टरप्रिटेशन दे सकती है और किसी भी ला को अल्ट्रा वाइरस करार दे सकती है।

अब जहां तक रेज्योलूशन का संबंध है, एक दिक्कत हमारे सामने है और कोर्ट के सामने भी बहुत सी दिक्कतें आईं, राजनारायण के केस में भी मैंने पढ़ा है कि बहुत सी दिक्कतें आईं। इस रेज्योलूशन के जरिये जो हम सजा दे सकते हैं उसका इन्टरप्रिटेशन जुडीशियरी कर सकती है या नहीं, या जो हम यहां पर रिजोल्यूशन या मोशन पेश करते हैं, किसी को सजा वगैरह देने के सिलसिले में, वह ला कोर्ट की हैसियत से देते हैं या किस तरीके से देते हैं, यह एक महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है। जहां तक इस बात का सवाल है, मेरा खयाल यह है कि माननीय रामायणराय जी और जैसा कि माननीय काशीनाथ जी ने इस सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत किया और उन्होंने डबुल पनिशमेन्ट के पहलू को लिया था, जो कि एक ही आफेन्स के लिये उचित नहीं था। उस संबंध में जहां तक सुप्रीमकोर्ट का सवाल है या जुडीशियरी का सवाल है, यह निश्चित मत है कि डबुल पनिशमेन्ट के संबंध में दो बातें होती हैं।...

श्री अधिष्ठाता—

आप जो सदन के सामने इस समय इश्यूज उपस्थित हैं, उस पर मत व्यक्त कीजिये। दूसरी और बातों के डिटेल में आप न जायें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं तो उसी पहलू पर आ रहा हूं और ....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी राय संक्षेप में दें। जो सदन के सामने ईश्यूज हैं और जो प्रिन्सिपिल्स की बातें हैं, वह तो लोग जानते ही हैं इसलिये आप कृपा करके अपनी राय इश्यूज के ऊपर ही दें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जो प्रश्न इस समय सदन के सामने है, श्री काशीनाथ जी ने उनके खिलाफ माना था। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने एक कम्प्लेन्ट दाखिल की कि परचे वगैरह उन्होंने बांटे। उस परचे के संबंध में यह चीज प्रिविलेज कमेटी में भेजी गई।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय सदन के सामने, वह परचे बांटे गये और प्रिविलेज कमेटी के सामने चीज आई, यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है। वह तो निर्णय हो चुका है। आज तो सदन के सामने यह प्रश्न है कि क्या हाईकोर्ट ने सदन का अवमान किया है या हमारे विशेषाधिकार के प्रश्नों को हाईकोर्ट को विचार करने का अधिकार है या नहीं है। आज इन्हीं प्रश्नों के ऊपर यहां पर विचार हो रहा है और आप इन्हीं के ऊपर अपना मत व्यक्त करें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जब कमेटी ने पास किया कि उनको रिप्रिमान्ड किया जाय, तो वह बुलाये गये और सम्मन भेजा गया और आप देखें कि हमारे अध्यक्ष जी की चिट्ठी लेकर यहां का मार्शल उनको गिरफ्तार करने के लिये १४ तारीख को गया। इस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई। उनको गिरफ्तार करके कांस्टीटयूशन की धारा २२(२) का ब्रीच हुआ या नहीं यह देखना है। यह फन्डामेन्टल राइट कि २२(२) के अनुसार कोई आदमी डिटेन किया जाय या अरेस्ट किया जाय, उस समय यह जरूरी होता है कि वह व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाय। तो यह एक फन्डामेन्टल राइट की बात है। उस विषय में श्री केशवसिंह जी की अरेस्ट का सवाल है। यह तो सर्वविदित ही है कि उनकी गिरफ्तारी इस सदन के मार्शल द्वारा की गई और इस सदन के अध्यक्ष के आदेश पर ही की गई। उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और न मैजिस्ट्रेट ही उसको रोक सकता था। जहां तक क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड की ३४४ का सवाल है, और रिप्रिमान्ड का सवाल है, वह नहीं उठता है। आप देखें कि २२(१) के क्लाज में यह दिया हुआ है कि जब कोई आदमी अरेस्ट होता है, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसको इसलिये पेश किया जाता है कि वह आदमी यह बतलाता है कि वह किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। जहां तक श्री केशव सिंह की गिरफ्तारी का सवाल है, उनको रिप्रिमान्ड करने के लिये बुलाया गया है और नोटिस भी दी गई है। वह पकड़ कर लाये गये थे और विधान सभा के अध्यक्ष के आदेश पर लाये गये थे। इसलिये वह प्रश्न फन्डामेन्टल राइट का और ब्रीच का नहीं उठता है। २२(१) या २२(२) का सवाल उठता है। उन दोनों में किसी का ब्रीच नहीं हुआ है। इस वक्त क्या चीज होनी चाहिये और क्या नहीं होनी चाहिये, यह बात हमको विचार करनी है। जहां तक रिप्रिमान्ड का सवाल है, वह सही तरीके पर हुआ है, लेकिन जहां तक सजा का सवाल है, वह यह कहा गया है कि यहां से चिट्ठी लिख कर दी गई थी। और चिट्ठी लिखी थी गोरखपुर से अध्यक्ष को और यह सदन के बाहर हुआ था। तो जब सदन के बाहर काम किया गया तो सवाल उठता है कि अगर कंटेम्प्ट हाउस के समक्ष हुआ है तो सदन उसका नोटिस लेगा, लेकिन अगर सदन के बाहर हुआ तो उस पर

[श्री कमलासिंह यादव]

कंटेम्प्ट केस किस तरीके से लिया जायगा ? उसके लिये हमारा प्रोसीजर दिया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रोसीजर का सवाल है.....

श्री अधिष्ठाता—

उस पर अपनी राय नहीं दे सकते, क्योंकि वह प्रश्न आज सदन के सामने ओपिन नहीं है। वह प्रश्न समाप्त हो चुका है, सदन का निर्णय हो चुका है।

श्री कमलासिंह यादव—

तो जहां तक सवाल है किस तरीके पर कार्यवाही हो रूल्स आफ प्रोसीजर में दिया हुआ है। कौन तरीका रहे इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है कि ऐसे केसेज में जहां पर प्रोसीजर की कोई गड़बड़ी हो, या नेग्लीजेंस हो तो क्या होना चाहिये। यह १९६० का सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज ११८६ पर दिया हुआ है। अगर ऐसा हुआ हो तो उस पर रिट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, और यह भी डेफिनिट है कि ऐसे केसेज में जहां प्रोसीजर का डिफेक्ट हो तो वह हाउस ही देख सकता है। कोई जुडिशियल अथारिटी या हाईकोर्ट का जज नहीं देख सकता। लेकिन हां, एक बात अवश्य है कि जुडिशियरी को इसकी पावर है कि आपका ब्रीच आफ प्रिविलेज क्या है और क्या नहीं है इस बात को इनवेस्टीगेट वह कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता—

वह प्वाइन्ट आ चुका है, उसको दोहरायें न।

श्री कमलासिंह यादव—

जितनी कार्यवाही श्री केशवसिंह के बारे में हुई है सदन के अन्दर हुई है सदन के अन्दर कोई प्रोसीजर का डिफेक्ट है तो सदन ही देख सकता है जुडीशियरी को अधिकार नहीं है और जो तरीका अध्यक्ष ने पढ़ कर सुनाया उससे साफ जाहिर है कि इंटेशनली वह चीज की गई है। और जैसा बताया गया जितने फंक्शन्स अध्यक्ष के, मुख्य मंत्री या जेलर के रहे हैं यह इन दी एग्जीक्यूशन आफ दी पावर्स हुए हैं। इसलिये जो जजेज ने काम किया है वह उनके लिये उचित नहीं था। नियम २९९ (३) में है कि श्री अध्यक्ष सदन के निर्णय को एग्जीक्यूट करायें और चूंकि अपनी जेल नहीं है इसलिये सरकारी जेल में भेजा गया मुख्य मंत्री के जरिये। तो जब एग्जीक्यूशन स्पीकर सीक कर रहा है उस समय जजेज ने रिलीज आर्डर दिया यह स्पीकर की एग्जीक्यूशन पावर्स में इंटरफियरेंस है और स्पीकर के राइट को एक्सरसाइज करने में अड़चन डाली है। इसलिये इसके खिलाफ कोई आदेश देना कानून के खिलाफ है और मैं समझता हूं यह सदन का क्लीयर अवमान है और श्री केशवसिंह को गिरफ्तार करना चाहिये।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, सवाल हमारे सामने छोटा सा है और वह यह है कि जैसा कि ऐप्लीकेशन मूव की गयी है हाईकोर्ट के अन्दर, उसके २ पोर्शन हैं। पहला पोर्शन तो यह है कि मार्शल द्वारा उन्हें यहां बुलवाया गया और बुलवा कर रिप्रिमांड किया है। उस रिप्रिमांड के दौरान में एक चिट्ठी जो लिखी गयी ११ तारीख को, पहले महीने की, उसके आचरण को देखते हुए जो उसने यहां सदन के सम्मुख उपस्थित किया, हाउस ने यह महसूस किया कि इस व्यवहार से सदन का अवमान हुआ है। अतः माननीय मुख्य मंत्री को बुलवाया और उन्होंने उस वक्त प्रस्ताव किया कि उनको (श्री केशवसिंह) ७ दिन के लिये कारागार में भेज दिया जाय और यह प्रश्न सदन में उपस्थित किया जिसको सदन ने मन्जूर किया। दूसरा प्रश्न ७ दिन के दंड का है। इसलिये दो सवाल हैं। अलग अलग जुर्म हैं, अलग अलग दंड हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दंड के निर्णय के खिलाफ क्या हाईकोर्ट का अधिकार है कि दखल दे सकता है या नहीं दे सकता ? उसके लिये एक छोटी सी चीज हमारे सामने निकली है कि २०० साल से इंगलैण्ड की पार्लियामेंट और वहां की जुडीशियरी के बीच में झगड़ा चला और बाद में यह ही तय हुआ कि एक दूसरे के काम में कोई दखलन्दाजी नहीं की जायेगी। वही परम्परा हमारे यहां पर लागू होती है जबकि २११ के अन्दर यह साफ दिया हुआ है कि इस सदन के अन्दर जो निर्णय होगा उसमें जुडीशियरी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। इसी तरह से २१२ में भी साफ दिया हुआ है। इसलिये दोनों चीजें अलग अलग हैं।

२२६ में हमें यह देखना है कि हैबियस कार्पस के बारे में यह मेला फाइडी है या बोना-फाइडी। जो हम को बताया गया है अगर वह सही है तो मैं यह महसूस करता हूं कि जिस तरह से जानबूझ कर, मेलाफाइडी तरीके से इस सदन का अवमान करने की कोशिश की गयी है और अपनी ताकत को इस सदन की ताकत से बढ़ाने की कोशिश की है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे जानबूझ कर इस सदन का अवमान किया गया है। हैबियस कार्पस के किन मामलात में हाईकोर्ट एन्टरटेन नहीं कर सकती है। इसमें एक जगह यह दिया है कि कोई अदालत सजा दे चुकी हो तो उसकी अपील हो सकती है। अपील हो सकती है, परन्तु हैबियस कार्पस ऐप्लीकेशन नहीं हो सकती है। इस तरह की ऐप्लीकेशन एन्टरटेन करना भी सदन की मान-हानि है और यह प्रश्न इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसे सदन के सामने रखिये और निर्णय लीजिए।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, कामनमैन से ऊपर और कामनसैंस के आर्गूमेंट से ऊपर उठ-कर मैं वकील की हैसियत से आपके समक्ष और आदरणीय सदन के समक्ष इस पर बहस करना चाहता हूं। जो तर्क और दलीलें इस सदन में दी गई हैं और जहां तक मैंने उनको समझने की कोशिश की वह यह है कि हमारे माननीय सदस्यों के दिमाग में राइट सेंस में फंडामेंटल राइट्स और प्रिविलेज के संबंध में क्लिअर कंसेप्शन नहीं है। उनके दिमाग में नहीं है right includes fundamental rights and it excluded privileges. जिस दिन हम इस चीज को समझ जायेंगे तो जो कानून की हमारी मुश्किलात हैं वह सब हल हो जायेंगी।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरा मिसकंसेप्शन और रांग कंसेप्शन माननीय सदस्यों के दिमाग में हैं कि जुडीशियरी सुप्रीम बाडी है। लेकिन मैं इसका क्लियर कंसेप्शन सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारी पार्लियामेंट जनता से पावर डेराइव करती है और उस ताकत को लेकर फिर उसका बंटवारा करती है जो तीन बाडीज हैं —जुडीशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। बहुत से भाई कहते थे कि कांस्टीट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिये कि कांस्टीट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, किया गया है और किया जायगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम बाडी है और जनता से पावर लेती है। मान लीजिये उसने जनता से एक रुपया ताकत लिया। अब जो ताकत जुडीशियरी को दी गई है तो वह उस कुल रुपये का फ्रैगमेंटेशन ही तो है। इसलिये जुडीशियरी की पावर फ्रैगमेंटेशन आफ दि रूपी है। अब जहां तक सवाल प्रिविलेज का है तो जो प्रिविलेज पार्लियामेंट के हैं वही स्टेट असेम्बलीज के हैं। Privilege excludes fundamental rights. और Law of the Land is the common right. इसलिये वह सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस समय प्रिविलेज का प्रश्न उठता है तो कामन राइट मर जाता है प्रिविलेज के मुकाबले में। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जुडीशियरी की जो पावर्स हैं वह पार्लियामेंट की पावर का फ्रैगमेंटेशन है। इसलिये जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

पार्लियामेंट है वह सुप्रीम बाडी है। जो इसके प्रिविलेज हैं वही स्टेट असेम्बलीज के हैं The State Assembly is equally supreme just like Indian Parliament. कोई भी ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ, कोई कार्यवाही की जाती है वह पार्लियामेंट से या स्टेट असेम्बली से वह कर सकती है और State Assembly and Parliament is the sole judge of its cause of breach of privilege. ब्रीच आफ प्रिविलेज के काज का सोल यह हाउस है। इसके माने यह हैं कि All other authority, all other competent bodies whether judicial or anything, they are not competent to touch the question whether this action to punish the breach of privilege was correctly taken or it was wrongly taken.

यहां पर एक और कान्सेप्शन है। वह कहते हैं कि यह हाईकोर्ट कर सकता है, उसका अधिकार हो सकता है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज को सही पनिश किया गया या नहीं, या ब्रीच आफ प्रिविलेज वह होता था या नहीं। जब कांस्टीट्यूशन में यह क्लिअरली ले डाउन है कि जो प्रिविलेजेज होंगे उसके ब्रीच को पनिश करने के लिये House solé judge of the cause होगा, तो कोई भी हाईकोर्ट हो, कोई भी सुप्रीमकोर्ट हो, उसको इसे टच करने का कोई अधिकार नहीं है कि सही है, गलत है या क्या है। वह केवल यह सदन जो कि एक सुप्रीम बाडी है, वही उसका फैसला कर सकता है। इसके खिलाफ कोई अपील नहीं, कोई ऐक्शन नहीं। कोई अथारिटी इसके लिये काम्पीटेंट नहीं है कि जो इसके ऐक्शन को क्वेश्चन कर सके।

एक माननीय सदस्य जो बाहर चले गये उन्होंने यह कहा कि क्या होगा अगर हाईकोर्ट के जज को बुलाया जायगा यहां? That question is not to be considered when deciding the case of privilege. ब्रीच आफ प्रिविलेज के ऊपर जिस समय हम विचार करते हैं उस समय हम और किसी भी चीज को कंसिडर करने के लिये तैयार नहीं हैं और कोई भी कानूनदां उसको परमिट नहीं करेगा कि उस चीज पर विचार हो जो कि भविष्य में होने वाली है। हमको अधिकार केवल उसी बात पर विचार करने का है जो कि ब्रीच आफ प्रिविलेज से रिलेट करता है और जो ब्रीच आफ प्रिविलेज कमिट हो चुका है। जो होने वाला है, उस पर विचार करने का अधिकार नहीं है। इसलिये जितने भी तर्क यहां इसके खिलाफ दिये गये वह टिक नहीं सकते, क्योंकि यह सदन आल पावरफुल और काम्पीटेंट बाडी है, जूडिशियल कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इसने एक फैसला किया है। उसको चेलेंज करने वाली कोई अथारिटी नहीं है। जो राइट्स की बात करते हैं, २२६ आर्टिकिल की बात करते हैं उन फंडामेंटल राइट्स या कामन राइट्स को प्रिविलेजेज एक्सक्लूड करते हैं। मैं इसे चेलेंज करता हूं कोई इसे गलत साबित कर दे। Privilege exclude Common rights. इसलिये मैं समझता हूं कि सदन की विचारधारा जिस दिशा में चल रही है वह ठीक तरफ ही चल रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अधिष्ठाता महोदय, वास्तविक बात यह है कि हमारी इस विधान सभा में समाजवादी पार्टी बड़ी जागरूक पार्टी है और हमें धन्यवाद करना चाहिये कि वे अक्सर हमें हमारे अधिकारों की याद दिलाते रहते हैं। मेरा खयाल है कि मार्शल को अपने अधिकारों का ज्ञान किसने कराया है? जब लोग कंधों पर लाद कर बाहर ले जाये जाते हैं तो मार्शल को उस समय क्या करना चाहिये क्या उनके अधिकार हैं उनको कौन बतलाता है। हमारा भी ध्यान उन अधिकारों की ओर गया कि वे अधिकार क्या हैं। उनसे हमको बड़ा लाभ हुआ है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सरकारी पार्टी की दलाली करने वाले आप भी हो गये।

श्री अधिष्ठाता—

आप इन शब्दों को काशीनाथ जी वापस लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों को कहा है। पहले आप जो उन्होंने कहा उसको वापस कराइये। जब तक वह वापस नहीं लेंगे तब तक मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

जो आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहे हैं उनको आप बाद में बतावेंगे तो उस पर मैं विचार करूंगा। किन्तु आपने जो शब्द प्रयोग किये हैं उनको मैंने असंसदीय घोषित कर दिया है और पहले आप उसे वापस लें। आप माननीय काशीनाथ जी कृपा करके उन शब्दों को पहले वापस लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, उन्होंने वे शब्द आदरणीय सदन के समक्ष इस्तेमाल किये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने जो शब्द आपने प्रयोग किये हैं उनको असंसदीय घोषित किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मुझे उनके उन शब्दों पर आपत्ति है। पहले वह वापस लें।

श्री अधिष्ठाता—

कंडीशनल कोई बात नहीं हो सकती। आपको पहले इस शब्द को वापस लेना चाहिये। मैंने उसे असंसदीय घोषित किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर मुझे समय दें तो मैं आपको दिखला सकता हूं कि यह शब्द इस्तेमाल किया गया है और असंसदीय उसे घोषित नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने उसे असंसदीय घोषित कर दिया है। आप पहले उसको वापस लीजिये। इसमें आपकी शोभा ही बढ़ती है अगर भावावेश में आकर आपने कोई शब्द इस्तेमाल किया है जिसे मैं असंसदीय घोषित करता हूं तो उसे आपको वापस लेना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अच्छा, तो इस समय मैं वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपको बहुत धन्यवाद।

(इस समय ४ बजकर ४८ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह दूसरा समय है जब सोशलिस्ट पार्टी ने हमें अपने अधिकारों की याद दिलाई है। इसमें उनकी बदनीयती रही ऐसी बात नहीं है। वह वास्तव में अगर चाहते तो श्री हुबलाल दूबे आदि की जो शास्ति हुई उस समय उसको न होने देते।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

वह उस समय भी झगड़ा खड़ा कर सकते थे, लेकिन मेरा खयाल है कि उन्होंने जानबूझ कर विचार-पूर्वक इस मसले को केशवसिंह जी के साथ संबंधित किया। उसके लिये योजना बनाई और सही तरीके से उसको टैकिल किया जिससे इस हाउस को अपनी मान-मर्यादा का ज्ञान हो सके अन्यथा आप समझ सकते हैं कि जिन केशवसिंह जी के पास इस सदन तक आने के लिये पैसा नहीं था आज हाईकोर्ट में रिट लाते हैं और जिस तारीख को हाईकोर्ट बुलायेगा उसको आने के लिये तैयार हैं। रिट का पैसा कहां से दाखिल हुआ होगा इसे आप समझ सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपको सूचना देता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने चन्दा करके जमा किया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यही मैं कह रहा हूं कि वास्तव में समाजवादी पार्टी धन्यवाद की हकदार है कि उन्होंने हमको हमारे अधिकारों की याद दिलाई। जिन बातों को हम जानते नहीं थे, जिनको हम भूल गये थे, उन सब की याद दिलाई और इस तरीके से उन्होंने वास्तव में बड़ा उपकार किया।

श्रीमन्, मुझे इस बात का दुख है कि संविधान में इस बात का उल्लेख होते हुये भी कि जब तक कि विधि द्वारा अपने विशेषाधिकारों का हम निर्माण न कर लें तब तक हाउस आफ कामंस के प्रिविलेजेज हमारे यहां लागू रहेंगे। यह बहुत बड़े दुख की बात है कि १५ वर्षों के शासन के अन्दर आज तक हम अपने को सुप्रीम कहते हैं, चिल्लाते हैं अपनी सुप्रिमेसी के लिये, इन १५ वर्षों के अन्दर हमने विशेषाधिकार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम दूसरे कामों में लगे रहे और राजनीति के दूसरे झगड़ों में लगे रहे। ऐसे कानून तो बनाते रहे जिनसे कुछ और काम तो हो जाता, लेकिन विशेषाधिकारों की तरफ ध्यान नहीं गया। उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये और मेरी मांग है कि यह जो कुछ हो रहा है इसके लिये हमारे उन साथियों को धन्यवाद है जिन्होंने हमें उन अधिकारों की याद दिलाई। हमारी विधान सभा और पार्लियामेंट के विशेषाधिकारों का विनियमन शीघ्र होना चाहिये जिससे भविष्य में इस प्रकार के छींटे न हुआ करें। यदि हम विशेषाधिकारों का विनियमन कर लें तो फिर इनको चेलेंज नहीं किया जा सकेगा। चूंकि कांस्टीट्यूशन में ऐसा प्राविजन नहीं है कि अगर चेलेन्ज हो जाय तो उनके विरुद्ध अदालत में कोई मुकदमा चलाया जा सके, इसलिये मेरी मांग है कि हमारी सरकार बहुत जल्द इस सदन के लिये विशेषाधिकारों के नियम बनाने की तैयारी करे।

एक बात का हमको और ध्यान रखना चाहिये। हमारा बिलकुल इरादा नहीं है कि किसी नागरिक को या उच्च श्रेणी के नागरिक को, जो अपनी राय जाहिर करने का हक रखता है, उसको किसी प्रकार से अपमानित किया जाय या उसको सजा दें अथवा उसको जेलखाने भेजने की बात को मुनासिब समझते हों। हम लोग बहुत उदार हृदय वाले हैं, लेकिन एक बात जरूर सामने रखूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, जो इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है, वह आकर हमारी इस विधान सभा का अपमान करता है तो उसके लिये हमको कौन-सा पग उठाना पड़ेगा जिससे इस विधान सभा का अपमान न हो, यह सोचने की बात है। लोगों ने चार्ज लगाया कि आपने भी सजा दिलाने की बात का समर्थन किया। मैं सजा कराने के पक्ष में नहीं था। मैंने उनसे कहा कि अगर वह गलती का प्रकाशन कर दें तो कुछ भी न हो। क्या यह उन महोदय का कर्तव्य था कि हमारे अध्यक्ष उनसे कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है और वह बोलते भी नहीं और पागल की तरह से उधर देखते भी नहीं हैं। क्या यह अपमान नहीं है? जो अध्यक्ष हमारी विधान सभा की भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन अध्यक्ष की बातों को वह सुनता नहीं और उधर देखता नहीं तो क्या सदन का अपमान है या नहीं? अगर है, तो कोई कानून निश्चित करना पड़ेगा। क्या आप कानून के लिए हाईकोर्ट में जायेंगे यह भी आपको फैसला लेना होगा

कि जो इस प्रकार के काम किये जा रहे हैं जैसा कि उनको सजा दी गई और वे कन्धे पर लद कर यहां से गये, वह अगर अपमान है तो उसके लिये क्या किया जाय। ऐसा आदमी बाहर जाकर अगर पिटीशन दाखिल करे तो क्या हो। यदि कोई व्यक्ति इस विधान सभा का अपमान करता है तो क्या वह वास्तव में इस बात का अधिकारी है कि यहां से अदालत में चला जाय और फिर बाद में जाकर हाईकोर्ट में इसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करे। हम सब लोग यहां पर बैठे हुये हैं। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जो आर्डर यहां से दिया गया मेरा खयाल है कि उसका मानना बिलकुल नियमानुकूल है। और यदि कोई नहीं मानता तो हाईकोर्ट के जजेज को हम तनख्वाह देते हैं, वे हमारे अधिकार में आते हैं। उनके यहां इस प्रकार का विशेषाधिकार का प्रश्न पिटीशन के रूप में दायर नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के लोग केवल भावुकता में आ कर चाहे मेरे लिये कोई भी संज्ञा चुन लें, लेकिन इस प्रकार की बातों से काम नहीं चलने का। जो सत्य है उसे मान कर चलने में ही शोभा है। हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं और आप से अधिक विरोध सरकार का करने की क्षमता रखते हैं और लगान बढ़ाने व भवन, भूमि कर के प्रश्नों पर सफल विरोध दिखाया भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस सदन में बाहर का कोई व्यक्ति आये और उससे हम अपमान सह लें। यह हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक तो हम लोग कानून बनाते हैं और उन पर कोर्ट्स को अपनी राय देने का पूरा अधिकार है। मैं मानता हूं कि हमारे कोर्ट्स ने उनको अच्छी तरह इंटरप्रेट किया है और तदनुरूप हमने अपने में सुधार भी किया है। अगर हमने इंग्लैंड से कुछ लिया है तो अमरीका से भी सप्रेशन आफ पावर्स ली है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम है यह ठीक है।

श्री बृजभूषण शरण—

मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि इस विषय पर कोई निर्णय न हो जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

हमारे कानूनों में और हमारे प्रिविलेजेज में जमीन आसमान का फर्क है और वे दोनों अलग-अलग चीजें हैं। प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार। अधिकार के साथ हमने विशेष शब्द जोड़ा है। वह हमें कानून से कहीं ऊपर प्राप्त होते हैं। उनसे संरक्षण मिलता है। किसी की गिरफ्तारी का वारंट हो और वह इस सदन में बैठा हो तो उसे बिना आपकी आज्ञा के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह हमारा विशेषाधिकार है और इन विशेषाधिकारों का हनन हम किसी प्रकार बरदाश्त नहीं करेंगे। एक बात यह कहकर मैं समाप्त करूंगा। माननीय जहीर साहब का भाषण मुझे कभी पसन्द नहीं आया और आज भी नहीं आया। श्रीमन् मेरा स्पष्ट चार्ज है कि.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात को ओवर रूल कर रहा हूं। यह आउट आफ आर्डर है। रेकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आप निकाल दें, लेकिन मैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। सत्य सदा कड़वा होता है। एक षड़यंत्र चल रहा है सुचेता जी को नीचा दिखाने के लिये और दूसरे पक्ष को उठाने के लिये। यह सब अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं और यह हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस समाप्त की जाय ।

(व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस वक्त तक बढ़ा दिया जाय जब तक कि आज यह अनुदान पास न हो ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

पहले सदन का समय तो बढ़ा दिया जाय । प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय जबतक कि आज का कार्य समाप्त न हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री भगवानसहाय—

मैं समझता हूं कि इस मसले पर सभी पक्षों के सदस्यों को बोलने का मौका काफी मिलना चाहिए । अगर क्लोजर मूव आधा घंटा बाद आ जाय तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा । साथ ही मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

आज सबेरे ११ बजे से बहस हो रही है और १८ आदमी बोल चुके हैं, यह तो सदन की इच्छा पर है कि कितना समय रखता है ।

श्री नवलकिशोर—

अगर लोगों को बोलने की इच्छा है तो आप चाहे टाइम बढ़ा दें एक घंटे तक, लेकिन आज यह प्रश्न समाप्त होना चाहिए तब आपका जो अनुदान है वह लिया जाय ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने क्लोजर मूव कर दिया । आपने भी कह दिया कि सफिश्येंट स्पीचेज हो चुकी हैं, इसलिए अब उस पर राय ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी जल्दी न कीजिये । ज्यादा अच्छा यह है कि हम सबको साथ लेकर चलें । मैं आपका प्रस्ताव रोक थोड़े ही सकता हूं, सदन को सब कुछ अख्तियार है । अगर माननीय नवलकिशोर जी कहते हैं कि एक घंटा और बढ़ा दिया जाय. . . .

श्री नवलकिशोर—

इस प्रश्न को तय होने के बाद तब दूसरा ऐजंडा लिया जाय, चाहे आप एक घंटा बढ़ा दीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय (व्यवधान). . . .

श्री वीरसेन—

माननीय सदस्य ने क्लोजर मूव किया है, पहले माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं वे बोल लें, तब उसे लिया जाय। (व्यवधान)

श्री सैयद अली जहीर—

माननीय सदस्य ने अभी जो मेरे बारे में बात कही वह बिलकुल निराधार है। मुझे तो इस केस के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं कि कोर्ट में कोई रिट दायर हुई है। वह तो जब आपकी तरफ से नोटिस गया तब मुझे मालूम हुआ....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको ओवर रूल कर दिया है, उस पर अब कुछ न कहें।

श्री सैयद अली जहीर—

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह रिजोलूशन है उस पर तो आपको यह विचार करना है कि इसको आप प्रीविलेज कमेटी को भेजें यह बात आपके तय करने की है, हाउस की नहीं। (व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

मान्यवर, केवल पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के, इस समय यह और कोई बात नहीं कह सकते हैं।

श्री बृजभूषणशरण—

अगर यह दोबारा बोलेंगे तो हम भी दोबारा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपके वकील तो भाग खड़े हुए छोड़कर, गये ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो सदन का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जब आप किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिये कहते हैं और जब वह बोलता है, तब भी माननीय मंत्री जी खड़े ही रहते हैं ..... (हंसी)

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

जब माननीय मंत्री जी बोल चुके फिर क्यों बोलने दिया जा रहा है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं जान तो लूं कि वे क्या बात कह रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—

मुझे कोई बहस नहीं करना है। यह बड़ा अहम मसला है। ऐसा कोई प्रेसीडेन्स हमारे सामने पहले का है नहीं। इसलिये एडवोकेट जनरल की राय भी जान लेना चाहिये था।

[श्री सैयद अली जहीर]

एडवोकेट जनरल दुशम्बा (व्यवधान) को आ सकते हैं। (व्यवधान) उनको सुनकर आपको अख्तियार है, जो फैसला आप करना चाहें कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

एडवोकेट जनरल की राय सुने बगैर आप कोई फैसला न करें। (व्यवधान)।

कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप कानून के मामले में एडवोकेट जनरल को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? उन्हें सदन में आने का हक भी है। कानून का प्वाइंट वोट से तय नहीं होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यदि आपने काशीनाथ मिश्र जी को बोलने की आज्ञा नहीं दी थी तो जो उन्होंने कहा है वह कार्यवाही से निकाल दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस विषय पर जब सवेरे बहस शुरू हुई थी तो यह तय हुआ था कि विशेषाधिकार समिति में इस प्रश्न को भेजने की आवश्यकता नहीं है और सदन इसे तय करें। तो माननीय अली जहीर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है क्या वह नियमानुकूल है?

श्री नवलकिशोर—

मैं आपके द्वारा माननीय न्याय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्यूज की कुछ इम्पार्टेंस हुआ करती है। उनको पोस्पोन करने की बात नहीं हुआ करती है। हाउस को अधिकार है कि वह स्वयं इस पर फैसला ले ले। इसमें टाइम फैक्टर भी बहुत बड़ा है। हाउस आज इस मामले से सीज्ड है एडवोकेट जनरल हमारे बड़े योग्य व्यक्ति हैं मगर वह यहां हैं नहीं। यह हाउस सुप्रीम है और प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो हाउस के इस अधिकार को छीनने की चेष्टा न की जाय। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि इस ईश्यू को हाउस अभी तय करे।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय और सदन आज ही और अभी इसे तय करें।

श्री भगवानसहाय—

आपने मुझसे कहा था कि मुझे बोलने का मौका देंगे। जो विरोध में बोलना चाहते हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। एक बात तो मैं तय कर लूं।

मैं समझता यह जरूर हूं कि इस आदरणीय सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी विषय को जो सामने आवे, अपनी बुद्धि और जिसे कहते हैं विजडम या विवेक, उसे अपनी बुद्धि से तय करे। प्रश्न यह है कि यह अवमान का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को न भेजा जाय और सदन स्वयं तय करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा प्रस्ताव यह है कि न विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय और न सदन तय करें।

श्री अध्यक्ष—

तब कैसे तय होगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

सुप्रीमकोर्ट तय करेगा। आपको या सदन को कोई हक नहीं है तय करने का।

श्री अध्यक्ष—

अब दूसरा प्रस्ताव माननीय नवलकिशोर जी का है कि सदन का समय इसके लिये एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

अनेक सदस्य—

नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष—

तो प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरे प्रस्ताव का कि न सदन तय करे और न कमेटी को जाय, क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

सदन ने तय किया है कि इस प्रश्न को सदन ही तय करे, विशेषाधिकार समिति को न जाय।

श्री भगवानसहाय—

आपने कहा था कि मुझे बोलने का मौका देंगे। मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह हाउस फैसला न करे या प्रिविलेज कमेटी को दिया जाय। अगर हाउस चाहता है कि इसका फैसला आज ही और जल्द कर लिया जाय तो मुझे इससे विरोध नहीं है, लेकिन किसी को इसके विरोध में न बोलने दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष—

जो अभी सदन ने निश्चय किया है आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपने मुझसे कहा था कि मौका दूंगा और आप नहीं दे रहे हैं।

श्री भगवानसहाय—

हां।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि मैं आपको मौका दूंगा और आपको ही नहीं बल्कि औरों को भी दूंगा। मैंने यह सबके सामने कहा कि और लोगों को बोलने दीजिये। लेकिन यह हुआ कि प्रश्न उपस्थित किया जाय। मैं मजबूर आ कि सदन का आदेश ो गया। मैं अपने मन से किसी को मौका नहीं दे सकता हूं। हाउस तय करता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

नियम २८४ में लिखा है कि नकारात्मक संशोधन अनियमित होता है। आपका तो नैगेटिव प्रपोजल है। हाउस ने तय कर दिया है कि वह स्वयं ही इसको तय करेगा।

श्री बृजभूषणशरण—

मान्यवर, मैंने जो आपके सामने कम्प्लेन्ट रखी थी उस पर तमाम आदरणीय सदन ने विचार किया। इसके लिये मैं सबका बहुत आभारी हूं। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

इस सदन का यह निश्चित मत है कि श्री जी० डी० सहगल, श्री एन० यू० बेग, श्री केशवसिंह तथा श्री बी० सोलोमन ने इस सदन का अवमान किया है। अतः आदेश दिया जाता है कि श्री केशवसिंह को तुरन्त अभिरक्षा में लकर दंड की शेष अवधि के लिये जिला जेल, लखनऊ में बन्दी रखा जाय और सर्वश्री एन० यू० बेग, जी० डी० सहगल, तथा बी० सोलोमन को अभिरक्षाधीन लाकर सदन में उपस्थित किया जाय। जब श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि पूरी हो जाय तो उन्हें १९ मार्च, १९६४ को सदन का पुनः अवमान करने के अपराध में सदन में उपस्थित किया जाये।

*श्री जेड० ए० अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हमारे नयी डेमोक्रेटिक जिन्दगी में और मुझे खुशी है। इसलिये कि एक बुनियादी अधिकारों का सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। इसी की वजह से आज हमारी सारी पार्टी की दीवारें टूट गयी हैं और सब एक साथ मिल कर उन अधिकारों की रक्षा के लिये चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारी डेमोक्रेसी अभी बच्चा है, उसको बचाने के लिए हमें लेजिस्लेचर के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल सेट अप में कोई अन्तर तो होता ही है। जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव सेट अप में भी अन्तर होता है। डेमोक्रेटिक सेट अप में इलेक्टेड बाडी लेजिस्लेचर होती है लेकिन डिक्टेटोरियल सेट अप में ऐसा नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत ही सीमित। सोशलिस्ट पार्टी जो दिन-रात डेमोक्रेसी को बचाने की दुहाई देती है लेकिन आज अपने एक साथी को छुड़ाने के सीमित स्वार्थ के लिये उसी डेमोक्रेसी को खतरे में डालने के लिये तैयार है। वे फिर इस बात को सोचें। खुशी की बात है कि जनसंघ के साथियों ने अपने रवैये को बदला। कल श्रीपाल जी बोल रहे थे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बड़े बड़े शानदार लोग, बड़ी-बड़ी मूंछों वाले यह क्या कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने मोड़ लिया। मुझे खुशी हुई।

कुंवर श्रीपालसिंह—

डाक्टर साहब यही बात सिद्ध करती है कि हम सत्य के समर्थक हैं। जब कल हमारे सामने पूरे तथ्य नहीं थे तो हम उस बात के समर्थक थे और आज हमारे सामने अध्यक्ष महोदय ने वे तथ्य रख दिये तो हमारी वह राय हो गयी जो आज है।

श्री जेड० ए० अहमद—

आज हमारे सामने ब्रिटिश पार्लियामेंट का नमूना है। अंग्रेजों ने हमें बहुत सी चीजें दी हैं, मेरी ट्रेनिंग भी वहां हुई है उन्होंने अपने यहां इसकी बहुत दिन तक लड़ाई लड़ी। जो चीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने दी है उनमें से एक यह भी है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप हाउस के बेसिक प्रिविलेजेज को कोडीफाई करें। आखिर आप कब तक मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के कोटेशन्स पर मुनहसिर करेंगे। इंगलैन्ड में ३-४ सौ साल तक लेजिस्लेचर जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के दरमियान संघर्ष रहा तीनों ही अंग अपने आपको एसर्ट करते रहे, एसर्ट करते करते इस लेबिल पर पहुंचे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो और जुडीशियरी इन्डिपेंडेंट हो और एक्जीक्यूटिव के विशेष अधिकार हों। इस तरह से एक समन्वय तीनों में पैदा हुआ है। वही चीज आज हमें करना है। आज लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी का सवाल है।

इसी तरह से सवाल उठा था मिलिटरी अथारिटीज पर सिविल अथारिटीज की सुप्रीमेसी का। जनरल थिमैया के रेजिगनेशन को लेकर बड़ा विवाद उठा और कुछ लोगों ने जवाहरलाल जी के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन उस वक्त पंडित जवाहर लाल ने कहा था कि मिलिटरी के बड़े से बड़े आदमी का खतरा हम उठा सकते हैं लेकिन यह खतरा नहीं उठा सकते कि मिलिटरी अथारिटी के ऊपर सिविल अथारिटी न रहे। चुनी हुई सिविल अथारिटी को मिलिटरी अथारिटी के ऊपर रहना ही होगा। इसी तरह से कितने ही काबिल जज क्यों न हों लेकिन अगर वे लेजिस्लेचर को चैलेंज करते हैं तो उनको यहां बुलाकर तम्बीह देनी ही होगी, उनसे पूछना होगा और उनका रवैया दुरुस्त करना ही होगा। उनको बुला कर पूछना चाहिये और उनके रवैये को दुरुस्त करना चाहिये। यह इंडिपेंडन्स आफ सावरेनटी का सवाल है, इनफैलिबिलिटी का सवाल नहीं है। अगर विधान के दायरे में वे कोई गलत कार्य करते हैं जिससे कि विधान का बीच होता है, विधान की अवहेलना होती है तो हमें जरूर उनको सजा देनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा और उनको ठीक करके डेमोक्रेसी को बचाना पड़ेगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि वे जजेज बुलाये जायं, उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जाय और एक्सप्लेनेशन लेने के बाद हाउस तय करे कि उनको क्या सजा दी जाय और उनको कैसे दुरुस्त किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, माननीय शरण जी ने जो प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया है उसका मैं जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और इस बुनियाद पर विरोध करता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी अपने सीमित स्वार्थों के लिये इसके विरोध में नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के संविधान की धारा २२६ की रक्षा करने के लिये विरोध करती है जिसके अनुसार जज लोग किसी भी तरह के रिट पेटीशन को ऐडमिट कर सकते हैं और स्पीकर व लेजिस्लेचर को डाइरेक्शन दे सकते हैं। ये संविधान से ऊपर नहीं हैं बल्कि संविधान के अन्तर्गत ही आते हैं। मैं निहायत अदब के साथ श्री जेड० ए० अहमद से कहना चाहता हूं कि जब भी उनकी पार्टी के लोग डी० आई० आर (D. I. R.) में बन्द होते हैं तो सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट की शरण में ही जाते हैं और आज इस तरह से लेजिस्लेचर के द्वारा उनके अधिकारों के अपहरण की बात की जा रही है। यह इस उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये एक कालिमा की घड़ी है, यह एक कालिमा का इतिहास है और सब के सामने यह बात आयेगी कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने संविधान के विरुद्ध इस तरह का गलत काम किया। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं और चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा अपने ऊपर यह कालिमा न लगने दे। हिन्दुस्तान में संविधान सुप्रीम है और लेजिस्लेचर उसकी मातहत है। इसलिये सदन इस मोशन को कतई न पास होने दे।

श्री भगवानसहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो डाक्टर जेड०ए० अहमद साहब ने फरमाया कुछ हद तक मैं उनसे सहमत हूं। जहां तक लेजिस्लचर के हकूक को महफूज रखने का सवाल है, उसमें किसी से मैं पीछे नहीं हूं। इस सदन के बहुत से सदस्य क्या, सभी सदस्य इस लेजिस्लेचर

[श्री भगवानसहाय]

के हुकूक को कायम रखने के हक में हैं और यदि कोई उनके हुकूक को कम करता है तो उनकी डट कर हम रक्षा करने को सभी तरह से तैयार हैं, मगर हमें देखना है कि हमारे हुकूक हैं क्या। एक बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ और वह यह कि इतने अहम और बड़े मसले पर यह सदन अपने से इखतिलाफ रखने वालों की राय को भी सुनने के लिये तैयार नहीं है। मुझे अफसोस है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सदन की समझदारी रुखसत हो गयी है। आदरणीय सदस्य दूसरे पक्ष की कोई भी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। हो सकता है कि हमारी बात सुनकर आप अपना फैसला बदल दें।

श्री अध्यक्ष—

यह गलत है।

श्री भगवानसहाय—

यह अनपार्लियामटरी नहीं है और मैं इसे विवाद करने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं इन शब्दों को फिर दोहराता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपको मौका दिया गया है कि आप इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार रखें। आलोचना करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के लिये कहें कि इनकी अक्ल विदा हो गयी और फिर वे आपके लिये कहें कि उनकी अक्ल विदा हो गयी।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि इस सदन से समझदारी रुखसत हो गयी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब डाक्टर अहमद साहब ने यह कहा कि यह हाउस सुप्रीम है, सावरेन है। मैं डा० साहब से कह देना चाहता हूं कि न हाउस सुप्रीम है न सावरेन, यह अपनी ताकत हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन से लेता है। सोशलिस्ट पार्टी की बात को मैं नहीं जानता कि उनका क्या कारण है और वे किस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी से या केशवसिंह से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और केशवसिंह के ईश्यू को लेकर मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। यह तो एक बुनियादी उसूल का सवाल है जिसकी बिना पर मैं इसका विरोध करने को मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप उसूल बतायें।

श्री भगवानसहाय—

उसको मैं बता रहा हूं, मेरी थोड़ी सी बात आप सुन लें. . .

श्री अध्यक्ष—

आप अभी तक भूमिका ही बांध रहे हैं आप सब्जेक्ट पर आयें।

श्री भगवानसहाय—

सवाल सीधा सा यह था कि लेजिस्लेचर के जहां तक प्रिविलेजेज हैं वे हैं या नहीं यानी जुडीशियरी को तय करने का अधिकार है या नहीं। मेरे साथ में जरा नजाकत थी इस मामले में बोलने की और इस बात का मुझे अहसास भी नहीं था। माननीय मिश्रा जी ने कहा कि हमारे भाई हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने मुझे अहसास दिला दिया इस बात का यह मेरे लिये जरा सी नजाकत की बात हो गई। मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत अहम है और इतना गम्भीर है कि अगर मैं इस पर कुछ न कहूं तो मैं अपने फर्ज से वंचित हो

जाऊंगा मुझे इस बात से इन्कार नहीं कि मेरे भाई हाईकोर्ट के जज हैं और मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता हूं कि मैं इस सदन का सदस्य हूं यह बात मेरे लिये ज्यादा अहमियत रखती है बनिस्बत और किसी चीज के या मेरे भाई के . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो सब आप कह चुके ।

श्री भगवानसहाय—

मैंने यह इसलिये कहा कि उस बात का जिक्र किया गया और किया जा रहा है इसलिये मेरे लिये सफाई देना जरूरी हो गया । मैं इस का विरोध करता हूं और क्यों इसके लिये मैं चन्द दलीलें दूंगा । मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि हमारे अधिकार वही हैं कि जो हमें संविधान ने दिये हैं और संविधान का आर्टिकिल १९४ जिस में कहा है कि हमारे विशेषाधिकार वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं इसको मैं मानता हूं लेकिन अगर कहीं यह सवाल होता है कि हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज क्या हैं, उनके privileges कहीं codified नहीं हैं वे customs, traditions, precedents, conventions और usages पर based हैं और वहां बहुत से प्रिविलेजेज obsolete या defunct हो गये, अगर कोई privilege १०० साल तक इस्तेमाल नहीं होता तो वह विशेषाधिकार defunct हो जाता है अगर उस पर हाउस ने अपना अधिकार नहीं बरता । हमारे प्रिविलेजेज हैं इस से मैं इंकार नहीं करता लेकिन अगर हमारे इंटरप्रिटेशन को चुनौती दी जाती है, और कोई कहता है कि यह हाउस आफ कामन्स का प्रिविलेज नहीं है या हमारा नहीं है या कोई कहता है कि हाउस आफ कामन्स ने प्रिविलेज में सजा को एक्सीड किया है तो उसको करने का अधिकार कैसे है? अगर यह हाउस फांसी की सजा देता तो कौन तय करेगा, हाउस? यह चीज जुडीशियरी के सामने जायगी और उसका जाना सही है । हाउस आफ कामन्स ने तो मौत की भी सजा दी है । इंगलैण्ड में भी ऐसी नजीरें हैं और मैंने उन्हें पेश भी किया था ऐसी नजीरें हैं कि जुडिशियरी के सामने प्रिविलेज का हर मसला आ सकता है और उनको privilege का existence and extent जानने का हक है। मैं एक बार फिर इस अहम कदम को उठाने से पहले इस सदन से दस्तबस्ता प्रार्थना करूंगा क्योंकि सदन की इज्जत और मर्यादा रखने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि सदन ऐसा कदम न उठाये कि उससे सारी दुनिया में उसका मजाक उड़े और बहुत सोचकर सदन इस अहम निर्णय को ले। मैं इस विचार का भी हूं कि सदन जो कुछ भी निर्णय ले, सोच समझ कर ले । इंगलैण्ड में भी इसका सवाल नहीं है, इंगलैण्ड में भी प्रिविलेज कोर्ट की जूरिस्डिकशन के अन्दर है और वहां की अदालतें इस बात का फैसला कर सकती हैं कि वे हैं या नहीं । वही बात यहां पर भी है। इसलिये मैं फिर बहुत अदब के साथ आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करूंगा कि हम जो भी कदम उठायें, बहुत सोच समझ कर उस पर अपना निर्णय लें । मैं तो इस बात को मान कर चलता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य समझदार हैं और वे इसके ऊपर बहुत गम्भीरता से फैसला करने जा रहे हैं, इसलिये कि इसमें सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है और इस सदन के सदस्यों का यह कर्तव्य हो जाता है वे जो भी महत्वपूर्ण कदम उठायें, बहुत सोच समझ कर उठायें ।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने उपस्थित था उस पर सदन ने गम्भीरता और संजीदगी से विचार किया है । इसमें कोई सवाल दलों या पार्टी का नहीं है । यहां पर तो केवल हाउस के प्रिविलेज का सवाल है और सदन के अवमान में किसी भी पार्टी का सवाल नहीं होता है । मान्यवर, मुझे खुशी है कि बड़े संयम के साथ और बड़ी संजीदगी

[श्री नवलकिशोर]

के साथ सदन में इस प्रश्न पर विचार करने के उपरान्त सदन इस निर्णय पर पहुंचा है कि प्राइमा फेसी केस बनता है और यह प्रस्ताव जो प्रस्तुत है, वह इस बात को प्रकट करता है कि यह प्राइमा फेसी केस बन जाता है । इस प्रस्ताव के द्वारा सदन ने दो तीन मांगें की हैं कि केशवसिंह की जो सजा बाकी रह गई है उसके लिये उनको जेल वापस भेजा जाय और चूंकि पेटीशन में चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध और हाउस के विरुद्ध मैलाफाइडी बात कही गई थी जिसके लिये ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ था, उसके बाद भी जज महोदयों ने इन बातों को जानकर या अनजान में रिट पिटीशन को इन्टरटेन किया और बेल स्वीकार की । और अन्त में उसके लिये हमारे हाउस के आफिसर्स के ऊपर नोटिस सर्व किया । चूंकि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह एक मत से स्वीकार किया जाय ।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा प्रस्ताव पास नहीं कर सकते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं । अगर प्रस्ताव पास हुआ तो हमारी पोजीशन बड़ी रेडिक्युलस हो जायेगी और उसका अनजाम हमें भुगतना पड़ेगा । आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भिजवा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं । अगर आप इसके विरुद्ध हैं तो विरोध में वोट दे सकते हैं ।

अब प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि श्री जी०डी० सहगल, श्री एन०यू० बेग, श्री केशवसिंह तथा श्री बी० सालोमन ने इस सदन का अवमान किया है । अतः आदेश दिया जाता है कि श्री केशवसिंह को तुरन्त अभिरक्षा में लेकर दंड की शेष अवधि के लिये जिला जेल, लखनऊ में बन्दी रखा जाय और सर्वश्री एन० यू० बेग, जी० डी० सहगल तथा बी० सोलोमन को अभिरक्षाधीन लाकर सदन में उपस्थित किया जाय । जब श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि पूरी हो जाय तो उन्हें १९ मार्च, १९६४ को सदन का पुनः अवमान करने के अपराध में सदन में उपस्थित किया जाये ।

श्री उग्रसेन—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उस पर लाबी में वोट करें । इसमें जजों के आचरण पर आक्षेप किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—

आप लाबी में इसका मतदान करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—

आप फिर इसके ऊपर विचार कर लें और प्रस्ताव को खारिज कर दें । मैं प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की ओर से यह निवेदन कर रहा हूं । आप इस प्रस्ताव को अमान्य घोषित करें । इससे जनतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान की हत्या हो रही है । यह मेरा आप से अंतिम निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप न बोलें। यह समाप्त हो चुका है। आपने लाबी के लिये प्रार्थना की है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लाबी में ही मतदान होगा।

प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और सदन के विभाजित होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

(प्रश्न सदन के निम्नरूप से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ।)

पक्ष में—१२६

अक्षयवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्याणराय, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जसराम सिंह, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री

मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महेशसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअधार कनौजिया, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
राम समझावन, श्री
रियासत हुसैन, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुरजनराम विशारद, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

विपक्ष में—१९

उग्रसेन, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
कैलाश, श्री
चन्द्रपाल, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
नत्थाराम रावत, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान सहाय, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
श्यामलाल, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

श्री उग्रसेन—

श्रीमन् यह जो आपने फैसला पढ़कर सुनाया है, इससे हम सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य असहमति प्रकट करते हैं और सदन का १० मिनट के लिये परित्याग करते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, रिपब्लिकन दल भी सोशलिस्टों के साथ है और हम भी सदन का परित्याग करते हैं।

(श्री श्यामलाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

श्रीमन्, यहां पर पार्टी का कोई सवाल नहीं है और आप देखें कि रिपब्लिकन दल का कोई प्रश्न नहीं है।

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय समाज कल्याण मंत्री के प्रस्ताव पर कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत ३,५०,३७,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय, उस पर विवाद होगा।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय समाज कल्याण मंत्री से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय खेमचन्द जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सिलसिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से जो रिपोर्ट छपी है, उसको देखने का मौका मिला। उस में कोई बात बहुत चढ़ा कर नहीं लिखी गई है। बल्कि पिछले वर्षों में जो सही काम हुआ है, उस संबंध में रिपोर्ट छपी है और वह ठीक है। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग और हिरजन कल्याण विभाग के संबंध में मुझे कुछ सुझाव देना है और उनको मैं पेश करना चाहता हूं। आप देखें कि शिक्षा विभाग से बहुत से काम लेकर हरिजन कल्याण अधिकारी को दिये गये। लेकिन आपने कोई अधिकार ऐसा नहीं दिया कि खजाने से रुपया निकाल कर हरिजन सहायक अधिकारी खर्च कर सके, इसका कारण हम नहीं समझते। लेकिन उससे फर्क यह पड़ा है कि आज भी लाखों रुपया प्लानिंग आफिसर के पर्सनल लेजर में पड़ा हुआ है और इस कारण से ५० फीसदी अनुदान खर्च नहीं हुए। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे पुनः अपना बयान दें, तो हमें आश्वत करें कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई। दूसरा सुझाव यह है कि विभाग से लाखों रुपया खर्च करके कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वर्षों से चल रहे हैं जैसे नैनीताल, गोरखपुर और बख्शी का तालाब, यह सब सरकार द्वारा संचालित हैं लेकिन यहां की परिक्षाओं को श्रम विभाग द्वारा अभी तक मान्यता नहीं दी गई है जिसका नतीजा यह है कि यहां के पढ़े विद्यार्थी मारे मारे फिरते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर मंत्री जी देंगे।

[श्री मंगलदेव]

तृतीय योजना में २,३ पोलीटेक्निक खोलने की योजना स्वीकृत है, लाखों रुपया पड़ा रहा पर विभाग ने उस काम को शुरू नहीं किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। पोलीटेक्निक स्कूल खुले नहीं लेकिन आचार्य रख लिये गये और मुझे पता लगा है कि दो महीने से वह आदमी हटाया गया है, रिटायर्ड इंजीनियर रखा गया था और उसे १००० रु० माहवार दिया गया। इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो हरिजनों के नाम पर हो रहा है इसको रोका जाय, अगर आप नाम चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा।

आये दिन स्कालरशिप की शिकायतें आती रहती हैं और विभाग के अधिकारियों को अधिकार नहीं है कि जो अनुदान, लड़कों का स्कालरशिप खा जाते हैं उनकी वह सीधे जांच कर सकें। आपको मजबूर होकर शिक्षा विभाग को लिखना पड़ता है उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैं चाहूंगा कि विभाग के अधिकारियों को उस सम्बन्ध में जांच करने का अधिकार मिलना चाहिये।

आशुलेखन और टंकन की स्कीम सरकार ने रखी है। लेकिन कुछ बड़े-बड़े शहरों में यह स्कीम पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि जिन जिलों में शार्ट हैंड और टाइप सिखाने की सुविधायें न हों वहां भी इसको चलाया जाय।

शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में पिछले साल भी निवेदन किया था और इस साल भी कर रहा हूं कि नवीं और दसवीं क्लास में विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से स्कालराशिप देने की सरकार कृपा करे। मेरा एक निवेदन और है। माननीय मन्त्री जी ने एक बयान में स्वीकार कर लिया था कि विकास खंडों में जो रक़म दी जा रही है उसके बारे में बड़ी शिकायतें आई हैं और इस सदन के ८४ माननीय सदस्यों ने भी इसके बारे में शिकायत की है। अतः इस पर पुनर्विचार किया जाय। इस मामले को या तो जिला कमेटी में रखने के लिए आदेश दिये जायं या सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्कीम बनावें जिससे यह भ्रष्टाचार रुक सके।

दूसरा निवेदन यह है कि सहायक हरिजन अधिकारी को जो अधिकार दिये हुए हैं वे बहुत कम हैं। उसको कोई साधन ऐसे नहीं देते जिनसे वह दौरा कर सके। कहा जाता कि रुपया नहीं है। उन्हें टेलीफोन नहीं दिया जाता। उन्हें जीपें नहीं दी जातीं पर हर ब्लाकों में, जीपें दी हुई हैं जो ५०–५० व ६०–६० गांवों में जीपों पर घूमते हैं। माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डायरेक्टर के कार्यालय के बड़े से बड़े अफसर की भी दूसरे अधिकारी कोई इज्जत नहीं करते हैं। उनको हेठी निगाह से देखा जाता है। अतः माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि हरिजन अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रैंक का बना दिया जाय ताकि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वे न हों और वे अधिकारी न्याय और प्रशासन दोनों को देख सकें, यह हमारी आपसे सिफारिश है।

श्रीमन्, यहां पर लाखों रुपया शिक्षा विभाग खर्च करता है, लेकिन विमुक्त जातियों के अधिकारी अलग हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए, एकरूपता लाने के लिये, एक ढंग से काम हो। जो विमुक्त जातियों का अनुदान है उसको भी उन्हीं के ऊपर लगाना चाहिए।

जहां तक सुपरवाइजरी का सवाल है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि जितने सुपरवाइजर रखे गये हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनकी योग्यता एक होते हुये भी, उनका अनुभव एक होते हुये भी उन्हें दो श्रेणियों में रखा है—एक ३०–६० की और दूसरे ५०–१०० की। इसके सम्बन्ध में जो सरकार का जवाब है वह गलत है कि रुपये की कमी है। यहां पर किसी माननीय सदस्य के दैनिक भत्तों में कमी नहीं की जाती है और वे कोई कम सुविधा नहीं उठाते। किसी मंत्री की भी सुविधा कम नहीं है, अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन ग़रीब सुपरवाइजरों में जो ग़रीबों में काम करते हैं, एक रूपता लायी जाय और बजट में कहीं से भी कटौती करके पूरी करने की कोशिश की जाय।

सीटों के रिजर्वेशन के बारे में निवेदन है कि १० प्रतिशत सीटें इनके लिये रिजर्व थीं तब तो ३.४ आपने नौकरी दी और जब १८ परसेंट कर दी तो २.१ प्रतिशत हो गयी हैं। यह हालात नियम बनाने से सुधर सकती है परसेंटेज फिक्स करने से नहीं। आपके करने से ही कुछ होगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज का दिन हरिजनों के लिए एक सौभाग्य का दिन है। आदरणीय पंत जी, डा० सम्पूर्णानद, श्री गुप्ता मुख्य मंत्री के पद पर रहे और आज यहां पर श्रीमती सुचेता कृपालानी विराजमान हैं लेकिन आज तक यह विभाग हरिजनों के पास नहीं था। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यह विभाग आज हरिजनों के नेता के पास है। इसलिये मुझे विश्वास है कि उनकी दशा में अवश्य सुधार होगा। भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशन के बाद हरिजनों में यह आशा और विश्वास जाग्रत हो गया था कि हमारे नेता के पास, हमारे मंत्री के पास और हमारे लड़के के पास यह विभाग है, इसलिये हमारा उद्धार होगा। लेकिन हमारे सामने इस विभाग का बजट डेढ़ करोड़ हरिजनों के उद्धार के लिये केवल ३ करोड़ ३७ लाख रुपये का है। यह दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती है कि इतने रुपयों में किस तरह से हमारा उद्धार होगा, जो सदियों से गुलाम, शोषित और पीड़ित हैं। आज जो इन लोगों की दुर्दशा है उसके बारे में हम मंत्री जी से क्या कहें वे तो स्वयं भुक्तभोगी हैं। उनसे इतना ही कहना है कि उनके सुधार के लिये नई चेतना, नया जीवन और नयी भावना उनमें पैदा करने का प्रयत्न करें। डायरेक्टर के दफ्तर का हाल यह है कि लाल फीता बंधा रहता है और वहां से कागज नहीं निकल पाते हैं। इसलिये इस लाल फीते को खोलने की कोशिश करें। इसलिये इस कार्यालय को ओवरहाल करें। इस कार्यालय में निकम्मे आफिसर्स भरे पड़े हैं और हरिजनों के साथ अत्याचार करते हैं।

पिछली बार मंत्री जी से बातचीत हुई थी कि हर तीसरे महीने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से सर्विसेज के बारे में रिपोर्ट आयगी कि कितने हरिजन रखे गये। लेकिन आज तक उस विभाग के द्वारा रिपोर्ट हम लोगों के पास या मंत्री जी के पास नहीं आई है। यह हम लोगों की हालत है। हम आपके द्वारा कहना चाहते हैं कि हमारा सुधार किया जाय और हमारा १८ प्रतिशत रिजर्वेशन पूरा किया जाय। पहली और दूसरी योजनायें समाप्त होकर तीसरी योजना चल रही है और इनमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। लेकिन हरिजनों की कोई प्रगति नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक जांच समिति बिठायें जो जांच करे कि किन कारणों से हरिजनों की समस्या हमारे प्रदेश में हल नहीं हो पा रही है।

अभी हमारे यहां पंजाब और बंगाल से रिफ्यूजी आये। उनकी समस्या हल हो गई। लेकिन यहां के रहने वालों की समस्या हल नहीं हो रही है। हरिजनों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरविस नहीं मिल रही है और वे मन्दिर और मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। अपराधशील जातियों को बहिष्कृत समझा जाता है और उनके बच्चों के पढ़ने लिखने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है। उनके लिये हमारे यहां सैटिलमेंट कार्यालय चल रहे हैं, गोरखपुर, कवलपुलिर और देवरिया वगैरह में जिन पर २,८८,४०० रुपया खर्च हो रहा है।

(इस समय ६ बज कर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुये।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके बैठें।

श्री उग्रसेन—

बैठ तो मैं जाऊंगा लेकिन आप इस पर व्यवस्था दें कि व्यवस्था के प्रश्न पर मैं खड़ा हो हो सकता हूं या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिस पर व्यवस्था का प्रश्न उठता हो, आप कृपा कर के बैठें।

श्री उग्रसेन—

अभी तो आपने मुझे सुना ही नहीं (व्यवधान) तो मैं यह समझूं कि व्यवस्था के प्रश्न पर भी मैं आप के राज में खड़ा नहीं हो पाऊंगा? मैं जानना चाहता था कि अध्यक्ष महोदय क्यों चले गये, उनको रहना चाहिये था १२ बजे रात तक।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री गंगाप्रसाद—

जितना समय उग्रसेन जी ने लिया है उतना मुझे और दे दिया जाय। मुझे यह कहना है कि विमुक्त जातियों के जो चार स्कूल चल रहे हैं जिनके लिए २ लाख ८८ हजार ४ सौ रुपया दिया जाता है और जिस रुपये को सारे दफ्तर के बाबू लोग खा रहे हैं, उसको खत्म करके यह रुपया उनमें बांट दिया जाय। एक दफा कुछ रुपया उनको दे दिया जाय तो वह बेचारे अपने पैरों पर तो खड़े हो सकें। अंग्रेजी साम्राज्यशाही में एक रिक्लेमेशन विभाग उनके लिए खुला हुआ था जो विमुक्त जातियों के सुधार के लिये कार्य करता था। यह विभाग बन्द है और बिलकुल काम नहीं करता। मेरा सुझाव है कि उसकी जगह एक बोर्ड बना दिया जाय जो इस कार्य को करे और जो इस मामले में त्रुटि वगैरह हो उसको ठीक कर के उनकी उन्नति करे। दूसरी बात यहां पर आश्रम टाइप स्कूल कुछ चल रहे हैं। उनके मेनेजमेंट में कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसमें सरकार के भी आदमी कुछ रखे जायं जिससे कि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि की समुचित व्यवस्था की जा सके। हमारे बहुत से जिलों में और हमारे जिले में भी सैकड़ों,हजारों बच्चे चोरी के काम में लगे हुए हैं। उन बच्चों को आश्रम टाइप स्कूल खोल कर उनका सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, आश्रम टाइप स्कूल खोल-कर उनको पढ़ा-लिखा कर अच्छा नागरिक बनाइए।

दूसरी बात यह है कि ब्लाकों को जो रुपया अनुदान के रूप में देते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह रुपया तो पिछले तरीके से वितरण कराइए या ब्लाकों में एक हरिजन सोशल ए० डी० ओ० रखिए जो इसकी देखभाल करे। यह रुपया बी० डी० सी० में चला जाता है और वहां पड़ा रहता है। हजारों की तादाद में वह रुपया पड़ा हुआ है। उसे खर्च कराने की कृपा करें।

एक सदस्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री उग्रसेन—

मैं इसका विरोध करता हूं। १२ बजे रात तक असेम्बली जरूर चलेगी। इस पर बहस बन्दी का प्रस्ताव हरिजनों के साथ विश्वासघात होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा कर के बैठें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में यह विवादान्त प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री गंगाप्रसाद—

श्रीमान् जी, लाखों रुपया केन्द्रीय सरकार से आया हुआ है विमुक्त जातियों को जमीन खरीदकर देने के लिए लेकिन वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। उसमें कायदा है कि ५ एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास होगी उनको वह रुपया दिया जायगा तो हरिजनों और विमुक्त जातियों के पास तो वह हो ही नहीं सकती, वह कहां से उस को खरीद सकेंगे? इसलिये उसमें संशोधन करिये कि जो खेत कहीं भी मिले वह लेकर उनको दिया जाय जिससे कि वह खेती का कार्य कर सकें। एक बात यह और है कि जो लाखों रुपया उद्योगों के नाम पर आप देते हैं वह दो ढाई या तीन सौ से ज्यादा नहीं पड़ता। सोसाइटी बना ले तो उसको एक हजार मिलता है। इतने रुपये से उद्योग नहीं चल सकता, कोई लघु उद्योग भी वह नहीं चला सकते जिससे उनका सुधार हो जाय। तो इस रुपये को वजीफे के रूप में दीजिए और अगर देना ही है तो ज्यादा दीजिए जिससे वह कोई रोजगार तो कर सकें और अपने बाल-बच्चों का पालन कर सकें।

एक बात मुझे और कहना है कि विमोचित जाति के बच्चों को नौकरी के लिये बहुत मुसीबत है। अभी तक उनको कहीं जगह नहीं दी गई है। कुछ पढ़े लिखे बच्चे इधर उधर भटकते फिरते हैं। उनको नौकरी दिलाने की कोशिश करें ताकि वे किसी काम में लगें। कल्याणपुर बस्ती की बात थी, वहां पर सिलाई का काम होता था। आपके विभाग के द्वारा उनके प्रति बड़ा अत्याचार हो रहा है। कहीं कुछ आदमियों को बैठा देते हैं उससे उनका काम नहीं चलता है, उसको आप देखें कि जिन आदमियों ने बदमाशी की है, जो आदमी उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको वहां से निकाला जाय।

जो बात मैंने खेतीबारी के सम्बन्ध में आपके सामने प्रस्तुत की है वह इस आशा से प्रस्तुत की है कि आप एक ठोस कदम उठाने की कोशिश करेंगे जिससे हरिजन जनता यह समझ सके कि आज हमारे जो मंत्री हैं वे हमारा दुख दूर करेंगे। आप अवश्य कदम उठायें और बड़े निश्चय और दृढ़ मतहो कर आगे बढ़िये जिससे इस समाज के लिये हमारे भारत पर सदियों से लगा कलंक समाप्त किया जा सके और इस तरह की योजना अपनाई जाय जिससे इन लोगों की गरीबी दूर हो सके और ये भी देश के अच्छे नागरिक बन सकें।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय खेमचन्द के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज का यह कटौती का प्रस्ताव अनुसूचित और पिछड़ी जाति से सम्बन्ध रखता है। इस पर कुछ कहने के पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जिन जातियों के लिये आज का अनुदान है उनकी क्या दशा है और किस हालत में हैं और कितनी उनकी संख्या हमारे प्रदेश में है। हमारे प्रदेश में पिछड़ी जाति की संख्या दो-तिहाई है यानी ७ करोड़ में करीब ५ करोड़ और ६ करोड़ के बीच उनकी संख्या है जो हमारे प्रदेश में रहती हैं। उनकी क्या दशा है उस पर गौर किया जाय। हम खुद तसलीम करते हैं कि ये पिछड़ी जातियां हैं। आज १६ साल की आजादी के बाद आप गौर से देखें तो हमारे प्रदेश में पिछड़ी जातियों का स्थान ईंट और पत्थर से ज्यादा गिरा हुआ है। इसको मानना पड़ेगा कि आज पिछड़ी जातियों की माताएं जो खेती में काम करती हैं, खेतों में ही बच्चों को जन्म देती हैं। आज यह उनकी दशा है। आज भी हम देखते हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को कितना काम हमारी सरकार ने दिया है। आज पिछड़ी जाति की आर्थिक और सामाजिक हालत पर विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो ग्रान्ट उनके लिये आज हमारे सामने पेश की गई है वह ३।। करोड़ रुपये की है। इसमें साफ लिखा है कि वे जातियां जिनको हम पिछड़ी मानते हैं उनके लिये हमारी सरकार ने ३।। करोड़ रुपये की मांग की है। इसमें साफ लिखा है कि दो-तिहाई तालीम के लिये, एक-तिहाई उनकी आर्थिक हालत को सुधारने के लिये, यानी १।। करोड़ रुपया, ६ करोड़ पिछड़ी जाति के लोगों की हालत सुधारने के लिये हमारे मंत्री जी ने मांगा है। अगर इसका हिसाब लगायें और ६ करोड़ लोगों में १।। करोड़ को

[श्री विजयपाल सिंह]

तकसीम किया जाय तो २४.९ नये पैसे फी हेड आता है। इससे उनकी आर्थिक दशा को सुधारा जायगा। अगर आप प्रजातंत्र के रखने वाले लोग उन पिछड़ी जाति के लोगों की हालत को सुधारना चाहते हैं; उनको अपने साथ रखना चाहते हैं और उनकी हालत को सुधारना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि २४ नये पैसे में एक खद्दर की टोपी उनके लिये बनवा दें ताकि आपका पद बना रहे और डेमोक्रेसी की रक्षा हो सके, नहीं तो इन रुपयों से उनकी आर्थिक हालत ठीक होने वाली नहीं है। और वह पिछड़े हुए लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुये हैं वह आपको छोड़ कर जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं और इस तरह से खिसक जायंगे। आप यह खयाल कीजिये कि अछूतपन आज कम हुआ है या बढ़ा है भले ही आप को रेलगाड़ी, मोटर में और होटलों में मालूम पड़ता है कि हरिजन और सवर्ण जाति के लोग पास-पास बैठ सकते हैं, लेकिन अवाम के अन्दर पहले से ज्यादा घृणा अछूतों से बढ़ी है। इसके लिए आपने कौन सा कदम उठाया ? नाटकों, सिनेमाओं के जरिये से कौन से साधन अपनाये ? सरकारी कर्मचारियों ने कौनसा कदम उठाया ? मिनिस्टर साहबान, सोशल वर्कर्स ने क्या किया ? कुछ नहीं किया। इसलिए प्रचार कीजिये।

छुआछूत के बाद रिजर्वेशन की बात आती है। आपने १८ परसेंट उनका नौकरियों में रखा है लेकिन १६ साल के बाद ४–५ परसेंट से ज्यादा संख्या हरिजनों की नौकरियों में नहीं हुई। क्यों नहीं है ? आप कहते हैं कि पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं, लेकिन मेरी कांस्टीट्युएंसी में हाई स्कूल और इन्टर पास लड़के हजारों की तादाद में ६० और ८० रुपये की नौकरी के लिए मारे-मारे फिरते हैं आपके सरकारी कर्मचारी दिमागी तौर पर पिछड़ी जातियों और हरिजनों से नफरत करते हैं, उनका दिमागी तवाजुन आप ठीक कीजिये। बड़ी नौकरियों की बाद में बात करना, पहले उनको ५० फीसदी छोटी नौकरियों में जगह दीजिये। प्रायमरी स्कूलों के मास्टर, लेखपाल, पटवारी, आपरेटर, पुलिस का सिपाही, ये ऐसी छोटी-छोटी नौकरियां हैं कि इनमें थोड़ी तालीम के बाद भी अछूतों को जगह मिल सकती है। इससे एक तो सबको रोजगार मिलेगा और साथ ही छुआछूत का मसला भी हल होगा। ट्यूबवेल का आपरेटर ऐसा आदमी है जिसको गांव वाले बहुत खयाल करते हैं, कलक्टर को भी उसके मुकाबले में कोई नहीं पूछता, इसलिए इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय।

दूसरा सवाल तालीम का है। आप बड़ी से बड़ी पुस्तक एक मनुष्य के सामने रख दीजिये और वह चश्मा लगाता हो तो अगर उसका चश्मा गायब कर दीजिये, वह क्या पढ़ेगा ? जब उनके पेट में रोटी नहीं है, जब उनमें खड़े होने तक की हिम्मत नहीं है, तो वे क्या कर पायेंगे ? कैसे पढ़ पायेंगे ? पहले तो उनको अपने पेट भरने की फिक्र करनी पड़ती है। पेट के लिये उनको मजबूर होकर कुछ काम करना पड़ता है और पढ़ाई की तरफ से हटना पड़ता है।

श्रीमन्, टेक्निकल तालीम के बारे में एक पुस्तिका यहां बटी है। टेक्निकल एजूकेशन के बारे में मेरा यह सुझाव है कि इन लोगों को उनके पेशे के अनुसार ही टेक्निकल एजूकेशन दी जाय। जिस प्रकार का इनका पेशा है, उसी के अनुसार उनको अगर टेक्निकल एजूकेशन दी जायगी तो उससे उनको बहुत फायदा होगा।

इसके अवाला एक मेरा और सुझाव है। जो छोटे छोटे प्रकार के काम होते हैं, जैसे चमड़े का काम, कुक्कुट पालन इत्यादि का काम, यह सब छोटे छोटे आदमियों को ही देने चाहिये। इस तरह के सब काम इन हरिजन और पिछड़े हुये लोगों को ही देने चाहिये। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिये तो और बहुत से काम हो सकते हैं। मैं आप को उदाहरण के लिये बताता हूं। एक ठाकुर साहब, बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने कुक्कुट पालन का काम शुरू किया। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को यह काम न दिया जाय।

समय कम है मैं एक दो बातें और कहूंगा। श्रीमन्, जब चकबन्दी हुई तो यह आशा थी कि उससे इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मगर उसके कारण जो उनके पास रहने की जगह

थी वह भी छिन गयी। इसी तरह से हदबन्दी जब हुई तो यह आशा थी कि उससे १६ लाख एकड़ जमीन निकलेगी और वह हरिजनों को दी जा सकेगी। मैं पूछता हूं, वह जमीन कहां चली गयी? वह जमीन अब भी है। सरकार को उसका पता लगाना चाहिये और उन लोगों को वह जमीन देकर सहकारिता के आधार पर उनसे उस पर खेती कराना चाहिये।

मान्यवर, देहातों में शक्तिशाली लोग इन लोगों पर बड़ा जुल्म करते हैं। अगर वे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस लिखती नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों का यदि चोट का कोई सिम्पिल केस भी हो, तो वह पुलिस दखलन्दाजी केस होना चाहिये। सरकार को उनके लिये वकील की व्यवस्था करनी चाहिये।

हमने अपने क्षेत्र में पंचायतों के अन्दर देखा है कि जो हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के प्रधान होते हैं वे अक्सर तहसीलदार तथा हाकिम परगना के यहां खड़े रहते हैं। शक्तिशाली लोग उनको किसी न किसी केस में फंसा देते हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। उनका यह गुनाह है कि गांव के शक्तिशाली लोग झूठी दरख्वास्त से तहसीलदार पर दबाव डालते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आर्डर दें कि अगर ऐसा अन्याय सरकारी कर्मचारी करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। दूर की बात तो दूर रही। आप यहीं की ले लीजिये। आपके दो विभाग हैं— समाज-कल्याण और हरिजन विभाग। समाज-कल्याण का ५२ लाख रुपये का बजट है और यह यहां भी हरिजन पर चढ़ कर बैठ गया। इन दोनों विभागों को आप अलग कीजिये। अगर एक जगह रखते हैं तो जिन लोगों के तरक्की के हकूक हैं उन्हें आप दीजिये।

हमारे सदन के सभी सदस्य कहते हैं और मैं तस्लीम करता हूं कि उत्तर प्रदेश में सब से उपजाऊ जगह गंगा-जमुना का दोआबा है। मैं उसी क्षेत्र से आया हूं, मुजफ्फरनगर से। इस क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में, अगर लखनऊ के रहने वाले को मोटे रस्से से बांध कर नीम के पेड़ से बांध दिया जाय तो तुड़ा कर भाग जायगा। छोटे-छोटे दड़बे हैं, सास वहीं, बहू भी वहीं। कोई नया मकान पूरे क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। पंचायत सेक्रेटरी और सरकारी कर्मचारियों ने पंचायतों की जमीनों पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। आप इसका पूरे प्रदेश में सर्वे करा के पंचायती जमीनों को, हरिजनों को और पिछड़े हुए लोगों को दीजिये।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय,....

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने जसरामसिंह जी का नाम ले लिया है। उसके बाद यह प्रश्न लिया जायगा।

*श्री जसरामसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने कटौती के प्रस्ताव पर वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना लेकिन उसमें कोई सुझाव नहीं मिले....

श्री अधिष्ठाता—

काफी सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये आप केवल ५ मिनट बोलें और यही समय औरों के लिये है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस अनुदान पर ७ बजे तक बहस चले और हर माननीय सदस्य को, जैसा आपने रखा है, ५ मिनट मिलें।

श्री उग्रसेन—

मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री असरामसिंह—

तो मैं केवल मोटी बातें ही कहूंगा। यह पुस्तिका इस विभाग की ओर से बटी है, जिसमें अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रचार शिविर तथा सहभोज की आयोजना के लिये इस विभाग से अनुदान दिया जाता है। सन् १९६२-६३ में इस कार्य के लिये ३१,५५८ और ६३-६४ में ५०,००० रुपये दिये गये हैं। यह ५३ संस्थाओं को दिया गया है। सहभोज की रकम को मंत्री जी नरसरी स्कूलों पर खर्च कर दें, जैसा कि गंगा प्रसाद जी ने कहा था, हमारे कुछ जरायमपेशा लोग हैं उनके बच्चे नरसरी स्कूलों में पढ़ सकें और उनकी फीस पर यह रुपया खर्च किया जाय। आगे इसमें है मातापिता विहीन तथा इधर उधर के पाये हुए नवजात शिशुओं के लिये आगरे में एक शिशु केन्द्र खोला गया है। उस पर करीब ४०,००० रुपया खर्च किया और १८ बच्चे प्रतिमास का औसत है, यानी एक बच्चे पर प्रतिमास खर्च हुआ २६८.९ रुपये। आनन्द भवन, इलाहाबाद में, एक स्कूल है जहां इन बच्चों को रखा जा सकता है और इस रकम को नरसरी स्कूलों पर खर्च किया जाय।

श्रीमन्, इस पुस्तिका में एक और बात यह है कि यह जो अनुदान ब्लाकों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कुछ आवश्यक कार्यवाही यह विभाग करने वाले हैं, मेरा निवेदन है कि इस कार्य में अधिक देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक दो महीने में ही हरिजनों के अनुदान की अव्यवस्था को बन्द हो जाना चाहिये।

हरिजन छात्रावासों का जिक्र हुआ। दनकौर में १० हजार रुपया ४ साल पहले छात्रावास के लिये दिया गया। वह बन गया है लेकिन बेकार पड़ा हुआ है, वहां क्लासेज लगती हैं। खाने का कोई प्रबन्ध अब तक नहीं है। २ छात्रावास और भी बने है गांवों में, जो क्लासेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मंत्री जी इसकी जांच करायें कि सेंटर के करोड़ों रुपये का इस प्रकार से स्कूलों के कमरों में इस्तेमाल किया गया है। उनके बजाय जहां पर डिग्री कालेज हैं, वहां शहरों में अगर बनवा दिये जायं तो हरिजन बच्चों को लाभ भी हो सकता है।

११ लाख रुपये के करीब मंत्री जी ने हरिजनों के घर बनवाने के लिये रखा है। इस प्रकार से हर हरिजन को १००—२०० रुपया देने से कोई भला होने वाला नहीं है, न उनके घरों की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। इस फिजूल खर्ची को रोक कर कुछ और रुपया लगाकर, एक एक या दो दो लाख रुपया लगाकर, हर जिले में इन्डस्ट्री खोल दी जायं जिनमें हरिजन बच्चों को काम सिखाया जाय और काम दिया जाय। उससे हरिजनों के बहुत से परिवारों का भला हो सकता है।

इससे पहले समाज के हृदय परिवर्तन के लिये कुछ रुपया रखा जाता था। जिससे प्रचार किया जाता था अस्पृश्यता निवारण का। वह धनराशि अब समाप्त कर दी गयी है। प्रचार कार्य नहीं हो रहा है। हृदय परिवर्तन की आज भी बहुत आवश्यकता है। उसके लिये अवश्य कुछ धन रखा जाय और जो धन रखा जाय जिला स्तर पर हरिजन कल्याण अधिकारी को उसके खर्च करने का अधिकार दिया जाय।

हमारे प्रान्त में बांदा जिला है। वहां अब भी दास प्रथा विद्यमान है। इस प्रदेश की जनता के लिये यह बड़ी लज्जा की बात है। वहां हरिजन आज भी खरीदे और बेचे जाते

हैं। बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में यह प्रथा अब भी लागू है। दास प्रथा और बेगारी प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार को शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिये। और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डाक्टर साहब के समक्ष हरिजन विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग से मिली हुई सुविधाओं के संबंध में हो रही धांधलियों को रखना चाहता हूं। उनके साथ क्या धांधली होती है और उनको क्या परेशानी होती है इस संबंध में मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हरिजनों के लिये आपके विभाग की की ओर से जो अनुदान मिलता है उसका करीब २५ वां हिस्सा तो राज्य व जिला स्तर के अधिकारी, जिला संगठन अधिकारी, विमोचन् जातियों की बस्तियों के सुधार संबंधी अधिकारी, हरिजन पाठशालाओं के निरीक्षण सम्बन्धी अधिकारी व अध्यापकगण की तनख्वाह आदि में ही चला जाता है और शेष धन ही हरिजनों के ऊपर खर्च होता है। मंत्री जी को स्वयं विदित होगा कि इस वर्ष भी हरिजन व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को जो वजीफे मिले हैं वे अभी तक सब के सब तय नहीं हो पाये हैं। साल भर उनका समय गरीबी, परेशानी, चिन्ता और विभाग के अधिकारियों से लिखापढ़ी, व अपने क्षेत्र के विधायकों के यहां दौड़धूप करने में भी बीत जाता है और जब परीक्षा का समय आता है तब उनको सूचना मिलती है कि उनको वजीफा मिला है या नहीं मिला है। अब सोचने की बात है कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वे साल भर तक किसी तरह से पुस्तक विहीन रहते हुये भी पढ़ते हैं, भूखे रह कर पढ़ाई जारी रखते हैं और साल भर के बाद जब कि परीक्षा का समय हो तब उन्हें सूचना मिले कि उनका वजीफा मंजूर नहीं हुआ तो उनके मन पर उनकी परीक्षा पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। आप कृपा करके इसकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान दें और आपसे मेरा आग्रह है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि अधिक से अधिक सितम्बर तक, चाहे जिस कीमत पर भी हो, चाहे आपके अधिकारियों को रात भर निर्णय करने में बैठना पड़े, छात्रवृत्तियों को निर्णय करा कर दिया करें और उनको जल्द से जल्द इस रुपये को हासिल करा देने की कोशिश करें।

दूसरी बात यह है कि अगर आप अब भी छानबीन करें और अगर आपके विभाग के अधिकारी ईमानदारी से कबूल करें तो यह तथ्य भी आपके सामने आयेगा कि जो सचमुच बहुत अच्छे लड़के हैं और जिन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास किया है, उनकी दरख्वास्त पर आपके विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती यदि किसी एम० एल० ए० ने उसके लिये सिफारिश न की हो। मेरी जानकारी में वाराणसी के ऐसे लड़के हैं जिनको फर्स्ट क्लास पास होने पर भी वजीफा नहीं मिला और जिनकी कुछ सिफारिश पहुंची उनको मिल गया। इसलिये माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें कि अगर वे सचमुच हरिजन व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों का कल्याण करना चाहते हैं तो अच्छे विद्यार्थियों को वजीफा दिलवाने का अवश्य प्रबन्ध करें। जहां तक विज्ञान की शिक्षा का सम्बन्ध है, चिकित्सा व कृषि की शिक्षा का सम्बन्ध है, प्राविधिक प्रशिक्षण की शिक्षा का सम्बन्ध है, नार्मल व बी० टी० वगैरह की शिक्षा का सम्बन्ध है, उसके लिये माननीय मंत्री जी मंत्रिमंडल से अधिक से अधिक पैसे लेने की कोशिश करें ताकि ऐसे विषयों के सभी लड़कों को वजीफे दिये जा सके। वैज्ञानिक शिक्षा संबंधी संस्थाओं में तो अच्छे लड़के ही भर्ती होंगे, इसलिये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आपने हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिये प्रधानाचार्य से एक लिस्ट मंगाने की व्यवस्था की है उसी प्रकार इसी प्रकार की एक लिस्ट इन संस्थाओं के प्रिंसिपल आदि से भी मंगाने की व्यवस्था करें ताकि हरिजन, परिगणित व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की मदद कर सकें। पिछड़ी जातियों में खास करके हमारे नाई, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, गड़ेरी, मल्लाह, भर आदि जो बहुत पिछड़े हुए हैं, शायद हिन्दुस्तान में भी कहीं इनकी जाति के कोई प्रतिनिधि एम० एल० ए०, एम० पी० नहीं मिलेंगे। उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, उन अल्प संख्यक

[श्री रघुनाथसिंह]

कहाने वाली जातियां, परिजन जातियों को हरिजनों के स्तर पर लाकर उनके कल्याण पर ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि वह अधिक अनुदान मांग कर उनके लिये अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें ताकि उपेक्षा के कारण, छात्रवृत्ति विहीन होने के कारण, ऐसे छात्रों का भविष्य बरबाद होने से बचाया जा सके।

इसके अलावा जो आदि हिन्दू पाठशालायें हैं, उनमें हरिजन विद्यार्थियों के साथ, उनके टीचर्स के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है और मंत्री जी को स्वयं जानकारी है कि एक हरिजन अध्यापक को इस विभाग का मंत्री होने के पहले उनके कोशिश करने पर भी डेढ़ साल का बन्द अनुदान नहीं मिला, जिसके ३ बच्चे पढ़ने वाले हैं और जिस के पास एक बिस्वा खेती भी नहीं है, मंत्री होने के बाद जब आपने कड़ी कार्यवाही की तो भी अभी पिछली जनवरी में उसे अनुदान मिला है। ऐसा हताश और क्षुब्ध अध्यापक बच्चों को क्या पढ़ा सकता है? इस तरह से खिलवाड़ होता है। मैं चाहता हूं कि इन पाठशालाओं को अनुदान वक्त से न देने के लिये जो जिम्मेदार हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। आप यह आदेश और वक्तव्य निकाल दें कि पिछड़ी जातियों के अध्यापकों और विद्यार्थियों की शिकायत सीधे आपके पास आ सकती है और आप उनको देखने के लिये अपने यहां अलग से एक क्लर्क रख दें जो तत्परता से केवल इसी काम पर ध्यान दें। जब तक नहीं होगा, हरिजनों की सहायता का काम कागज पर ही रह जायगा और कोई ठोस कदम नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हरिजन उत्थान की समस्या एक भयावह स्थिति में है और वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। यदि हम आज भी यह संकल्प करें कि देश में हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां कोई जाति भेद, वर्ण भेद और रंग और लिंगभेद न रहेगा तो वह एक शुभ दिन होगा। आज एक बहुत बड़े समाज के अंग पर ज्यादती और दुर्व्यवहार हो रहा है और उसकी बहुत ही बुरी दशा है। यह बहुत ही अशोभनीय और शर्मनाक बात है। गवर्नमेंट भी अपने तरीके से काम करती है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अब वह स्थिति आ गई है जब कि वह एक इवेल्यूशन कमेटी कायम करें, जो यह देखे कि पिछले १६ साल में हमने हरिजनों के लिये क्या किया है। आखिर यह समस्या जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और जिसके कारण महात्मा गांधी का बलिदान हुआ लेकिन फिर भी आज वह वैसी ही उलझी हुई है और जिसका सुलझना भी अब मुश्किल दिखाई देता है। क्योंकि हरिजनों की गिरी हुई दशा की बात आज भी लोगों के गले से नहीं उतरती और जब हम जिक्र करते हैं तो वह कहते हैं कि मजे तो आजकल हरिजनों के ही हैं और साथ में वह कुछ एक अपशब्द भी कह देते हैं कि आजकल तो उनका ही राज है। तो एक कमेटी मूल्यांकन के लिये आप बना दें जो १६ साल की रिपोर्ट पेश करे कि हरिजनों के उद्धार में क्या काम हुआ है और समस्या कहां तक हल हुई है, मन्त्री जी ऐसी समिति जरूर बनायें ताकि स्थिति उनके मुताल्लिक ठीक से सामने आ जाय। हमारे लिये यहां संरक्षण है जिसकी वजह से चुन कर हम आ जाते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है जब तक कि जनतंत्र की जो बुनियाद है, गांव पंचायतें उनमें संरक्षण नहीं मिलता। हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है? वह गांव से प्रारम्भ होती है और गांव पंचायतों में जो प्रधान हरिजन बने हैं उनकी बड़ी नाजुक हालत है, एक तो वह कम चुने जाते हैं और जो चुने भी गये हैं वह वर्ण भेद की दूषित भावना से फंसाये जाते हैं। क्षेत्र समितियां बनीं, ब्लाक्स के चुनाव हुए। लेकिन शायद ही कोई हरिजन ब्लाक प्रमुख चुना गया हो। जिला परिषद्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के चुनाव हुए शायद एक आध जगह ही हरिजन चुना गया हो। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि जिस दल से हम सम्बन्ध रखते हैं या और जितने दल हैं उनके दिल दिमाग में हरिजनों के लिये जगह नहीं है। अन्यथा जहां संरक्षण नहीं है जैसे राज्य सभा, विधान परिषद् वहां देख लें हमारी क्या स्थिति है। मुझे अफसोस है हम लोगों ने लिख कर दिया लेकिन कोई गौर नहीं किया गया इससे यही नतीजा निकलता है कि लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भी यही दशा है इसलिये सरकार कमेटी बनाये जो मूल्यांकन करे हमारे कामों का। सरकार को ऐसा साहित्य लिखवाना चाहिये जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन हो। १००, २०० रु० की किताबें खरीद लेने से काम नहीं चलने वाला है। जो भी हरिजनों के बारे में अच्छा साहित्य लिख सकें, उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। दस्तकारी के लिये जो छोटे काम हैं उन्हीं में मदद दी जाती है। मैं चाहूंगा कि अच्छी रकम अच्छी इन्डस्ट्री के लिये दी जाय, वही पुरानी दस्तकारी के काम चमड़ा, बढ़ई, लोहार आदि के लिये सहायता दी जाती है जिनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता सरकार को विचार करना होगा कि लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे हो और समाज में अच्छा उनको स्थान मिले तब तो रुपया देना उचित है अन्यथा बेकार होगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मुझे दुख है कि हरिजन कल्याण विभाग के अनुदान पर एक मेम्बर को केवल ५ मिनट का ही समय दिया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना सुझाव बहुत थोड़े समय में देना चाहता हूं। हरिजनों के नाम पर यह कहा जाता है कि सरकार तो बड़ी सहायता दे रही है। हम मानते हैं कि मदद कर रही है लेकिन इसके लिये जो ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, जैसे विकास अधिकारी को विकास क्षेत्र में, यह दी जाती है, यह नहीं सोचा जाता है कि यह ग्रान्ट किसको मिलती है। हर जगह प्रधान और प्रमुख जो हैं वे इस ग्रान्ट को अपने हलवाहों या चरवाहों को ही देते हैं और उनको देकर आधा पैसा ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी जब इसकी जांच करायेंगे तो यही पायेंगे कि यह ग्रान्ट देनी ही बिलकुल बेकार है। ग्रान्ट उनको दी जाती है जिन के पास कोई जगह नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनको मकान बनाने के लिये दी जाती है। हमारे यहां यह भी है कि प्रमुख प्रधानों से बनते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको पहले मिटावें कि जो प्रमुख बनना चाहता है वह प्रधानों की वोट पर नहीं बल्कि जनता की वोटों पर प्रमुख बने। जब तक यह नहीं होगा तब तक हरिजनों का सुधार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखने से पता चलेगा कि इस प्रदेश में शायद ही कोई हरिजन प्रमुख हो। मैं स्वयं प्रधान के पद पर खड़ा हुआ था लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से हराया गया हूं। गांव के अन्दर वह शक्ति है कि एक हरिजन जीत नहीं पायेगा। जब हरिजन प्रधान नहीं होगा तो हरिजन प्रमुख कैसे हो सकता है। इसलिए माननीय मंत्री मेरा सुझाव नोट कर लें कि प्रधानों की वोटों से प्रमुख न बनाये जांय। कहा जाता है कि हरिजनों के लिये सरकार से बहुत सहायता दी जाती है। फैजाबाद जिले में मझनपुरा परगना खंडासा में एक हरिजनों का स्कूल था जिसमें राजाराम नाम के एक मास्टर थे। उन्होंने २–३ साल तक पढ़ाया और उसकी तनख्वाह जो केवल १७रु० थी, जबकि चरवाहे को ३० मिलते हैं। १४ महीने का वेतन नहीं मिला, मजबूरन उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया।

दुसरी बात यह है कि जो वजीफा दिया जाता है और उसके साथ-साथ किताबें आदि बांटी जाती हैं। जब तक इसकी जांच न करायी जाय तब तक पता नहीं लग सकता कि इसमें किस को मिलता है। हमारे प्राइमरी स्कूल में न तो वजीफा मिलता है न कोई किताबें मिलती हैं हो सकता है कि १०–५ जगहों पर छात्रवृत्ति मिली हो, वह भी उनको जिनकी सिफारिश हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धूमप्रसाद]

एक श्री चिरकुट राम हैं जो कि मेरे खिलाफ लड़े हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ सिफारिश करके छात्रवृत्ति दिलवा दी हो। विभिन्न विभागों में हरिजनों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे यहां जो तहसीलदार हैं वे हमारे यहां के हरिजनों के, जिनकी मौरूसियां हैं, नाम कटवाकर मुकदमे दायर करवा दिये हैं। उन गरीबों के पास पैसा नहीं और वे इस प्रकार से अपने खेतों से हाथ धो बैठे हैं यह कुठाराघात हो रहा है बीकापुर तहसील में। जब तक भ्रष्टाचार हमारे यहां से नहीं मिटेगा तब तक हरिजनों का उद्धार नहीं होगा।

अधिष्ठाता महोदय, हरिजन कल्याण विभाग और समाजकल्याण विभाग की जो सांठगांठ हुई है उसका मुझे अत्यंत दुख है। हरिजन कल्याण विभाग का ३/४ करोड़ रुपये का बजट है और समाज कल्याण विभाग का केवल ५२ लाख रुपये का है। अब मैं आपके सामने जो लिख कर लाया हूं वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। श्रीमन्, प्रदेश के विभिन्न पिछड़े वर्गों के साथ जनता द्वारा .....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य पढ़कर न सुनायें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्य किताबें पढ़ते हैं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पढ़ते हैं। माननीय सदस्यों को मौका मिलता है। आपने स्वयं पढ़ा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप याददाश्त से सुना दीजिये, पढ़िये नहीं।

श्री धूमप्रसाद—

इन दोनों विभागों के कर्मचारियों को एक में मिला दिया गया है। इसलिये जो श्रेय हरिजन विभाग को मिलना चाहिये था वह अब समाज कल्याण को मिल रहा है। अब सारा रुपया समाज कल्याण की ओर ही चला जा रहा है और हरिजनों के साथ अन्याय किया जा रहा है। समाज कल्याण वाले आगे आ गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत अनुदान के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं। सब से पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि हरिजन उत्थान का कार्य बुद्ध जी के काल से हुआ है। उनके दो सिद्धांत थे —एक तो यह था कि जनसाधारण की भाषा में प्रचार करके और दूसरा था जातिपांति मिटाना। इसी प्रकार आर्य समाज ने भी हम लोगों के लिये बहुत काम किया है। राष्ट्रपिता गांधी जी और अन्य महानुभावों के द्वारा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी चाहते थे कि ग्रामीण लोगों का उत्थान करें। हमारी कांग्रेस सरकार बनी। हमारी सरकार बनी और उन्होंने हरिजन कल्याण और समाजोत्थान का विभाग रखा। उस विभाग के द्वारा अगर गहराई से देखा जाय तो समाजकल्याण के कार्यों में जितनी प्रगति हुई है वह सराहनीय है क्योंकि पहले समाज में महिलाओं के लिये कोई इस प्रकार के साधन नहीं थे कि उनको किसी प्रकार उन्नति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के रास्ते पर लाया जाय । उन्होंने केंन्द्र जगह-जगह खोले और उन केंन्द्रों के द्वारा जो निराश्रित बहनें थीं उनको शिक्षा दिलाई गई । उनको कंडेंस्ड कोर्स के द्वारा विद्याविनोदिनी और प्रवेशिका पास कराकर उनका उत्थान किया और वहां से पढ़ लिख कर आज वह दूसरों का उत्थान कर रही हैं । किन्तु इसके साथ-साथ मुझे कुछ सुझाव भी देने हैं ।

हमारे समाज कल्याण और हरिजन विभाग की तरफ से विमुक्त जाति के लिये जो रुपया खर्च किया जाता है उसका मैं समझती हूं कि उसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी संतान पढ़लिखकर आगे बढ़ती है तो जहां उनकी नौकरी की बात आती है तो उनके माता पिता को अचरित्रवान बताकर उनको नौकरी से वंचित रखा जाता है । मैं मिसाल पेश करती हूं । हमारे जिले का दर्लासिह नाम का एक लड़का जो सांसी जाति का था उसे सिपाही की ट्रेंनिग में लिया गया और कुछ दिन तक मैनपुरी में उसने ट्रेंनिग भी पायी । लेकिन कुछ समय के पश्चात् जब कैरेक्टर रोल की बात आयी और उसके मां बाप के बारे में पता लगाया गया तो वह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कुछ समय पहले ये लोग चोरी किया करते थे और जरायम पेशा थे, तो जब यह मालूम हुआ तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसे ट्रेंनिग से अलग कर दिया गया और वह आज तक खाली फिर रहा है । मैं मंत्री जी से कहूंगी कि जब विमुक्त जाति के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो उनकी नौकरी की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिये । दूसरी बात छात्रवृत्ति जो अनुदान के रूप में रखी गई है, उसमें हरिजन बच्चों की संख्या अब पहले से दुगुनी हो गई है और सातवें, आठवें, नवें में इतने लड़के हो जाते हैं कि उनको पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती । इसलिये मेरा अनुरोध है मंत्री जी से कि इसमें अधिक से अधिक पैसा रखा जाय । दूसरी बात भूमिहीन हरिजन, जितने यहां पर हमारे प्रांत में हैं उनकी आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि वह जमीन को खरीदें और उसमें मकान बनायें । मैं प्रार्थना करूंगी कि जैसे कि पंजाब की सरकार ने जमीन लेकर के हरिजनों के मकान बनवाये और उनके रहन-सहन और रोजीरोजगार के लिये मदद दी उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी जमीन लेकर और मकान बनवाकर उन्हें दिये जायं ताकि उनका उत्थान हो सके । हमारे जिले में कई जगह कालोनीज जो बनी हैं उनमें जिन बेचारों को अनुदान दिया जाता है वह उससे मकान बनवाने नहीं पाते और जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बने हैं वह इस प्रकार के हैं कि बरसात के दिनों में सारा पानी मकान के अन्दर चला आता है और वह बेचारे उसमें रह नहीं पाते । इसलिये अगर मकान या कालोनीज बनवाकर दी जाती हैं तो उनकी सरकार द्वारा अच्छी देख-भाल होनी चाहिये जिससे उनके मकान अच्छे ढंग से बनाये जायं और वह उसमें रह सकें । चौथी बात मुझे यह कहनी है कि जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनके लिये सरकार कोई रोजी का साधन देने में सफल नहीं हो सकी है । मैं अधिक न कहते हुए मंत्री जी से यह निवेदन करूंगी कि अगर हरिजनोत्थान का कार्य करना है तो जैसे जिले में पहले एक कमेटी बनी थी हरिजनोत्थान के लिये वैसे ही फिर दोबारा बना दी जाय तो उनको अनुदान ठीक तरह से मिल सकेगा । जो ब्लाकों के द्वारा अनुदान दिया जाता है वह उन लोगों को नहीं मिल पाता बल्कि जो उनसे संबंधित लोग होते हैं और जिनकी आर्थिक दशा भी अच्छी होती है उन्हीं को वह अनुदान दिया जाता है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान दें ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है, इस समय कोरम नहीं है । पहले कोरम कर लीजिये ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी थी उसमें यह नहीं कहा था कि कोरम चैलेंज किया जायगा, माननीय सदस्य का सवाल उठाना गलत है ।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम होना आवश्यक है । आप बैठें । (कुछ क्षण उपरान्त) कोरम है ।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, समाज का ६०–७० प्रतिशत जनसमुदाय जो समाज की नींव और रीढ है, नंगा, भूखा, गृहविहीन, अपमानित और असहाय है, इसमें हरिजन, स्त्रियां और शूद्र आते हैं जिनका तन और मन दोनों दुखी हैं । मुट्ठी भर लोग जिनका कब्जा है, धन, धरम और धरती के ठेकेदार बनकर देश को खाये जा रहे हैं । स्वतंत्रता के पहले विदेशी अंग्रेजों का राज्य था और अब स्वदेशी गोरों का राज्य है । इतिहास यह बताता है कि यह भी विदेशी हैं । उनका व्यवहार, आचरण भी विदेशियों जैसा ही है । यदि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है तो पूरे समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार मिलें तभी राष्ट्र मजबूत होगा । तब चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि देश की तरफ वे आंख उठाकर देख सकें । हरिजन कल्याण विभाग का वैधानिक रूप चाहे जो कुछ हो, लेकिन व्यावहारिक रूप ऐसा है कि :

जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजै संग
जो संग राख ही बने तो करि राखे अपंग
तो करि राखे अपंग फिर पनपे सो न कीजे
सब्ज बाग दिखलाय दम्भ से मन हर लीजे ।

लेकिन हमारा कहना है कि अब पिछड़ा वर्ग चेता है और हरिजन समुदाय चेता है । तब हमको यह कहना है कि :

खटक नहि जइहै वाकी, कोटि दिलासा देउ हरी धन धरती जाकी ।

आज हरिजनों को संरक्षण मिला हुआ है, १८ फीसदी, परन्तु उनका कोटा पूरा नहीं होता है । जब वे चुनाव में बुलाये जाते हैं तो उनको अयोग्य कह दिया जाता है । अयोग्य बताने वाले कौन लोग हैं ? वे लोग जिन्होंने नीचे दबाया है, जिन्होंने ठगा है और चूसा है और अपमानित किया है । जब ऐसी दशा है तो हालत कैसे सुधरेगी ? जिलों की बात दूर रही यहां सरकार के अन्दर भी जितनी संख्या हरिजनों की सदन में है उतने उनके मंत्री नहीं हैं । न सभासचिव हैं और न उपमंत्री हैं । जिले के स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर वह कोटा पूरा नहीं होता है । उनके साथ व्यवहार बड़ी क्रूरता का है । अगर कोई आदमी अपने दरवाजे पर हरिजन को चारपाई पर बैठा लेता है तो उसकी चारपाई उलटकर फूंक दी जाती है । अगर कोई कुयें से पानी भर ले तो गांव में उसका रहना दुश्वार हो जाय । इसी सदन में जो पानी पिलाने का इन्तजाम है वहां पर भी दो तरह के व्यवहार दिखाई देते हैं । एक तरफ पानी के लिये गिलास रखा है और दूसरी तरफ कुल्हड़ रहते हैं । समझ में नहीं आता कि जब यहीं पर ऐसा है तो बाहर क्यों नहीं होगा ? बाहर वाले लोग भी ऐसा ही करेंगे । जब आप बाहर वोट मांगने के लिये जाते हैं तो कहते हैं कि बेगार प्रथा खत्म हो गई है । जो हरिजनों के प्रतिनिधि यहां पर बनकर आये हैं वह इस तरह से हरिजनों की टीका-टिप्पणी करने लगते हैं । मैं उनको चुनौती देता हूं कि वह चलें गांव में और किसी नाई से अपनी हजामत को बनवा लें । अगर उनकी हिम्मत है तो गांव में चलकर देखें कि लावारिस मुर्दों को जब लोग उठाने के लिये तैयार नहीं होते तो उनको जबरदस्ती उठाने के लिये मजबूर किया जाता है । पोस्टमार्टम के लिये वे ही उठाकर ले जाते हैं । यह हालत है, इसको रोका जाय । गत वर्ष ६०, ७० छात्रावासों को १०-१० हजार रुपया हर छात्रावास को देने के लिये मंजूर हुआ, लेकिन बुरजुआ लोग सब उसको खा गये और पूरा का पूरा रुपया हड़प गये । कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर उससे एक नई इमारत बनी हो । हरिजन कल्याण समिति जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर बनी हुई है, लेकिन हरिजनों के कल्याण का काम नहीं होता है केवल वह नाम के लिये बनी है । उनमें कहीं एक भी हरिजन सदस्य नहीं है । बहुमत सवर्णों का है । पर यहां लोग फूले नहीं समाते हैं कि हम तो एम० एल० ए० बनकर

आ गये हैं। जब हरिजन, अछूत और स्त्री को स्थान मिलेगा और वह वैधानिक नहीं, व्यावहारिक होगा तभी मामला सुधरेगा। छात्रवृत्ति में आधी तो इधर-उधर चली जाती है और जब साल के आखिर में उनको दी जाती है तो लोग देखते हैं कि उनको तो बड़ा पैसा मिल रहा है। जुलाई के बजाय फरवरी, मार्च में जब इम्तहान होते हैं तब किताबें बंटती हैं। तब तक या तो मास्टर निकाल देता है या लोटा-बगरी बेंच कर किताबें खरीदते हैं। अनुदान ऐसे कामों के लिये दिये जाते हैं, जिनसे अपमान हो—जैसे सूअर पालना। इसी अपमान-जनित प्रथा के कारण तो यह दशा हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे हरिजन कल्याण विभाग पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं अपने भारत के बड़े-बड़े चिन्तकों का एक वाक्य आपको सुनाता हूं—"मानव समाज एक है, यह सारा संसार मेरा परिवार है, मनुष्य की एकता में मेरा विश्वास है, सबका सुख-दुख मेरा अपना सुख-दुख है, मैं सब का हित चाहता हूं।" फिर भी हरिजन जिनको मैं अपनी भाषा में "हारा हुआ जन" कहता हूं और पिछड़ी हुई जातियां जिनको मैं पछाड़ी हुई जातियां कहता हूं, ये क्रिमिनल्स जो बेचारे युगों से हमारी सामाजिक सुविधाओं से अलग हैं आज भी क्रिमिनल्स कहलाते हैं। बड़ी समझ वाले दफ्तरों में बैठकर रिश्वत लें और बाजारों में ३ पैसे के ३६ बनायें, चोर-बाजारी करें, उनको कोई क्रिमिनल कहने के लिये तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन, आप यह रनिंग कमेंटरी बन्द करें।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

आज भी पढ़े लिखे राजनीति और शासन के धर्म के ठेकेदार उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं? गधे, घोड़े, खच्चर, बैल इनके जब तक दांत न आ जायं, यानी सिने बालिगियत को न पहुंच जायं तब तक कोई समझदार आदमी इनसे काम नहीं लेता, लेकिन गरीब और मासूम हरिजन बच्चा पैदा होने से पहले ही पेट की ज्वाला की आग को बुझाने में लग जाता है। क्या यही प्रगतिशील समाजवाद की चीजें हैं जो हमें आज भी मजबूर करती हैं? अपनी बेबसी और लाचारी के कारण भारतीय हरिजन अपने को समाज के अनुकूल नहीं बना पाये हैं।

गर्भवती स्त्रियों की देख भाल का राज्य की ओर से अच्छा और मुफ्त प्रबन्ध होना चाहिये। उनके बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा का कार्य सार्वजनिक विषय होना चाहिये। आज हालत यह है कि गांवों में उन लोगों को तालाबों से मिट्टी तक नहीं लाने दिया जाता ताकि वे अपने घर की मरम्मत आदि भी कर सकें। अब तक यह होता था कि गरीब महिलायें जंगलों से कुछ चारा या घास आदि लाकर बेंच लिया करती थीं। अब वह भी बन्द कर दिया गया। उनके अपने घरों का खाद भी जबरन उठा लिया जाता है। आज भी गांवों में उनसे बेगार ली जाती है। जो ऐसा नहीं करते उनको थानेदारों से मिलकर चोरी आदि में फंसा दिया जाता है। सरकार की तरफ से इसका इन्तजाम होना चाहिये (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बीच में टोकना अच्छा नहीं है, आप लोग शांति से सुनें।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

आज १५–१६ साल की आजादी के बाद, करोड़ों रुपया खर्च करके भी हम इन भाइयों को जन साधारण के अनुकूल नहीं बना पाये हैं। आज १५–१६ साल की आजादी के बाद भी हम देखते हैं कि मेहतर अपने सर पर पाखाने को ढोते हैं। मेहतरानी के अब भी सरपर पाखानों का टोकरा है। यह उनके सर पर नहीं, भारतमाता के सर पर पाखाना ढोना है। जब यह सरकार इस समस्या को राष्ट्रीय रूप में समझेगी, तभी इस ओर कुछ सुधार हो सकेगा।

मेरा सुझाव है कि अगर मेहतर जाति, जो शिक्षा में पिछड़ी हुई है, को सुधारना है तो उनके घरों पर, रेसीडेंशियल स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे तो आज यह देख कर बड़ा दुख हो रहा है कि इस अनुदान पर बहस के लिये बहुत कम समय दिया जा रहा है। मैं गोंडा जिले से आता हूं। वह तराई क्षेत्र में है। गोंडा, बस्ती, देवरिया आदि जितने जिले हैं जहां ऐसे लोग हैं जो जंगलों के किनारे बसे हुये हैं। मेरा सुझाव है कि जंगलों के किनारे जो कटी-फटी जमीन है, वह हरिजनों को दी जाय और वहां पर उनको बसाया जाय। दूसरी बात यह है कि जहां-जहां हरिजनों की घनी बस्तियां हैं वहां-वहां स्कूल और छात्रावास खोले जायं। तीसरी बात यह कि इस समय हरिजनों को १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थान दे रखे हैं लेकिन आज का प्रतिशत उससे भी कम है जब कि १० प्रतिशत स्थान थे। मंत्री जी इसकी जांच करायें और जहां कमी हो वहां पूरी करायें। यहां लोग लंबी-चौड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब क्षेत्रों की समस्या आती है तो पार्टीबन्दी में पड़कर हरिजनों के प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। उसके लिये मुझे बहुत खेद है। कल माननीय धर्मसिंह जी बोल रहे थे कि हरिजनों की सुरक्षित सीटें पूरी नहीं हो पायीं लेकिन जब वे किसी विभाग के डिप्टी मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस विभाग में क्या काम किया, जरा बतायें तो ?

आज की स्थिति ही बताती है। आप जो इस समय उस कुर्सी पर विराजमान हैं, अलीजहीर साहब ने जब कल दूसरी बहस चल रही थी, आपके साथ जो व्यवहार किया वह बहुत ही दुखदायी था। जब सदन में अलीजहीर साहब ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो हजारों वर्ष पिछड़ी जाति को गांवों में किस प्रकार से दबाया जाता होगा, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

मौजा सेहरीबा, तुलसीपुर ब्लाक, जिला गोंडा में एक हरिजन चमार मोतीपुरा का रहने वाला है। उसकी ६ बीघा जमीन को दो साल पहले देव बख्श सिंह और हुसेन रजा ने दबा ली। जब वह उस जमीन को जोतने के लिये आया तो उसको डंडों से मारा। मैं भी मदद करने के लिये तैयार हुआ लेकिन उसका और कोई सहारा न होने से आगे न चलाया जा सका। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसकी जमीन उसको दिलाई जाय और उचित कार्यवाही की जाय।

तुलसीपुर ब्लाक में ही प्रटोहा कोट एक और गांव है। वहां १६ हरिजनों को २ साल पहले जमीन दी गयी थी। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कुछ गांव वालों से दरख्वास्त दिला दी कि यह जमीन उसी गांव के लोगों को मिलनी चाहिये। वह जमीन उन लोगों को अभी तक नहीं मिल पायी। यहां के हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक ने कलेक्टर को लिखा। उसका पत्र नंबर मैं नोट कराये देता हूं। इस पर भी उचित कार्यवाही की जाय। उसका नं० है ५७७७/५५/६३–सामान्य (अ) ६–१–६४/D, M. गोंडा को भेजा गया है। मैंने गोंडा से पता लगाया है, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कम समय होने के कारण मैं अधिक बातें नहीं कह सकता लेकिन मैं खासतौर से गोंडा जिले के हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनको ६ रु० से १५–१६ रु० तक की भी नौकरी मुश्किल से मिल पाती है। इसकी आप जांच कराने की व्यवस्था करें ताकि हरिजनों के साथ उचित व्यवहार किया जा सके।

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का कार्यक्रम ८ बजे समाप्त किया जाय और अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—

मैं इसका विरोध करता हूं । इसको भी देख लिया जाय कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने हरिजन बजट के लिये जितना समय तय किया था उसमें से कितना समय बीत गया है और अभी कितना समय बाकी है ।

श्री बनारसीदास—

इस सदन को ५ बजे उठ जाना चाहिये था लेकिन उसके बाद ३ घंटे का समय बढ़ा दिया गया, तो फिर क्या किया जाय ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरे जैसे आदमी को कम से कम दो मिनट भी नहीं दीजियेगा और यह बहस बन्द हो जायगी ? कम से कम एक मिनट ही दे दें । श्रीमन्, मुझे पता लगा है कि बनारसीदास जी अपने घर से खाना खाकर आये हैं जब कि हम लोग सवेरे से भूखे हैं । मुझे यह बात आकर एक आदमी बतला गया है और फिर भी हमें बोलने नहीं देते ।

श्री अधिष्ठाता—

किसी के खाना खाने या न खाने के आधार पर सदन का समय निश्चित नहीं होता ।

श्री उग्रसेन—

९ बजे से पहले इस पर बहस बन्द न करें, ९ बजे बहस बन्द कर दें तो ठीक होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं प्रश्न सदन के सामने रख देता हूं, सदन जैसा चाहे निर्णय ले ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, आज हरिजन अनुदान पर आधा दिन बहस होने को थी । ६ बजे तक तो दूसरी बहस चलती रही और ६ बजे के बाद ही यह अनुदान लिया गया, तो आज कम से कम ३ घंटे का समय तो इस पर देना ही चाहिये । ९ बजे के पहले मध्य में बहस बन्द करने का प्रस्ताव रखना उचित नहीं है । अभी बहुत से साथी बोलना चाहते हैं । उनको बोलने का मौका दें और इस प्रस्ताव को अभी न रखें ।

श्री जसराम सिंह—

जब राधाकृष्णन रिपोर्ट आयगी तो उस पर बोल लिया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें ।

श्री उग्रसेन—

माननीय बनारसीदास जी द्विज हैं इसलिये उनको हरिजनों के बजट पर बहस के लिये ज्यादा समय देना बुरा लगता है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री नाथूराम शिक्षक—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि १० बजे से पहले यह कार्यवाही खत्म नहीं हो सकती। जब तक कार्यवाही पूरी न होगी तब तक सदन चलता रहेगा। अपना हम लोग आज यहां से हटेंगे नहीं, चाहे घसीट कर ही क्यों न निकाले जायं। जो हमारे हक को छीन रहे हैं वे हमें सुनना भी नहीं पसन्द करते। इसलिये हमको आप मौका दें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री नाथूराम शिक्षक—

यह आप पक्षपात कर रहे हैं, हमारे साथ यह ज्यादती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप चेयर पर आक्षेप नहीं कर सकते, आप अपने शब्द वापस लें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

इस समय नहीं तो फिर हमें कब मौका मिलेगा? आप के सामने और हम कैसे कहें?

श्री उग्रसेन—

उन्होंने कहा ही क्या है?

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने कहा है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, वह इस को वापस लें।

श्री उग्रसेन—

आप ने कोई निर्णय नहीं दिया है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

हरिजनों की ग्रांट का समय बाकी है और आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

तो अब हमारा ५ मिनट तो भाषण होगा ही।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो खड़े ही नहीं हुये।

प्रश्न यह है कि अब यह बहस समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष—में ३२,

विपक्ष में ३०।)

श्री उग्रसेन—

आप बहुमत के बल पर इस तरह से हरिजनों का नाश कर रहे हैं और हम आप के इस निर्णय से बिलकुल असहमत हैं और सारे विरोधी पक्ष के साथ इसके विरोध में हम वाक-आउट करते हैं और श्री बनारसी दास की सरकार से कहते हैं कि अब की बार गांवों में जब हरिजनों के वोट मांगने जाओगे तो यही हरिजन तुम्हारे मुंह पर कालिख पोतेंगे ।

(व्यवधान)

(समाजवादी दल तथा अन्य विरोधी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये श्री सत्यनारायण पांडेय केवल उपस्थित रहे ।)

श्री अधिष्ठाता—

श्री खेमचन्द नहीं हैं । माननीय डाक्टर सीताराम बहस का उत्तर दें ।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं·····

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है और जो कार्यवाही चल रही है वह अनियमित है । इसलिये मैं कोरम का प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी कृपा कर के अभी बैठ जायं, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं सदन में कोरम नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी देर से घंटी बज रही है इसलिये हम १५ मिनट के लिये उठते हैं । तब तक सरकार कोरम के लिये इन्तजाम करें ।

(कोरम के अभाव में ७ बजकर ५४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ८ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय समाज कल्याण मंत्री ।

डाक्टर सीताराम—

अधिष्ठाता महोदय,·····

श्री सत्यनारायण पांडेय—

कोरम हुआ है कि नहीं ? मेरा यह विचार है कि इस समय भी कोरम नहीं है ।

(गणपूर्ति न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और सोमवार, दिनांक २३ मार्च, १९६४ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजकर १० मिनट पर सोमवार, २३ मार्च, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
२१ मार्च, १९६४।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश